

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol.XII, Fifth Session, 2015/1937 (Saka)
No.16, Wednesday, August 12, 2015/Shravana 21, 1937 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	9
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.323 to 325	17-43
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.326 to 342	44-129
Unstarred Question Nos.3681 to 3910	130-559

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT	565-567
PAPERS LAID ON THE TABLE	568-580 703-705
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	581
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'S BILLS AND RESOLUTIONS	
14 th Report	582
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION	
6 th , 7 th , 8 th and 9 th Reports	582
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT	
3 rd Report	582
STANDING COMMITTEE ON LABOUR	
9 th and 10 th Reports	583
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS	
12 th Report	583
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT	
10 th to 15 th Reports	584-585
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL	
(i)14 th Report	586
(ii)Statements	586
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	
20 th Report	587
STANDING COMMITTEE ON COMMERCE	
119 th Report	587
STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS	
268 th Report	587

**STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT,
TOURISM AND CULTURE**
223rd Report

588

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Urban Development on 'functioning of Delhi Development Authority (DDA), particularly with reference to affordable houses in Delhi and its role in regularization of unauthorised colonies in Delhi and matters connected thereto', pertaining to the Ministry of Urban Development.

Shri M. Venkaiah Naidu

588

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 'Implementation of Prime Minister's New 15-Point Programme', pertaining to the Ministry of Minority Affairs.

Dr. Najma A. Heptulla

589

- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

Dr. Jitendra Singh

589

- (iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture.

Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya

590

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 257 th and 258 th Reports of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research and Department of Science and Technology respectively, Ministry of Science and Technology.	590
Shri Y.S. Chowdary	
(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 47 th report of the Standing Committee on Information Technology on 'Issues related to Paid News', pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.	591
Col. Rajyavardhan Rathore	
MOTION RE: TWENTY-FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	592
MOTION FOR ADJOURNMENT	593-702
Reported involvement and admission of a Union Minister in assisting a fugitive and stand taken by Government	
Shri Mallikarjun Kharge	593-615
Shrimati Sushma Swaraj	616-627
Dr. P. Venugopal	628-633
Shri Dinesh Trivedi	634-635
Shri Bhartruhari Mahtab	636-641
Shri Anandrao Adsul	642-644
Shri Thota Narasimham	645-646
Shri A.P. Jithender Reddy	647-649
Shri P. Karunakaran	650-654
Shri Mekapati Raja Mohan Reddy	655

Shri Prem Singh Chandumajra	656-657
Shri Tariq Anwar	658-659
Shri Bhagwant Mann	660-661
Shri E.T. Mohammed Basheer	662-663
Shri Asaduddin Owaisi	664-665
Shrimati Anupriya Patel	666-667
Shri Dushyant Chautala	668-669
Shri N. K. Premchandran	670-672
Shri Chirag Paswan	674-675
Shri Rahul Gandhi	682-684
Shri Arun Jaitley	686-695
Motion- Negatived	702
MATTERS UNDER RULE 377	706-725
(i) Need to expedite construction of LalitpurSingrauli rail project and run a direct train from Singrauli to Delhi and Bhopal	
Shrimati Riti Pathak	707
(ii) Need to take suitable measures for conservation of cow and cow breeds and frame a strict law for total ban on cow slaughter and export and smuggling of beef	
Shrimati Jayshreeben Patel	708
(iii) Need to frame a transparent policy for providing employment on compassionate ground	
Shri A.T. Nana Patil	709
(iv) Need to shut down illegal slaughter houses and stop open sale of meat in every nook and corner in Uttar Pradesh posing serious health hazard to the public	
Yogi Adityanath	710

- (v) Need to protect the interests of sugarcane farmers and workers in Deoria district, Uttar Pradesh
- Shri Ravinder Kushawaha
- 711
- (vi) Need to expedite payment of arrears to sugarcane farmers in Uttar Pradesh
- Shri Jagdambika Pal
- 712
- (vii) Need to clear the arrears of sugarcane farmers by sugar mills in Gonda Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
- Shri Kirti Vardhan Singh
- 713
- (viii) Need to provide fluoride free water to Kudalgi taluka of Bellary Parliamentary Constituency, Karnataka
- Shri B. Sriramulu
- 714
- (ix) Need to allow SC/ST Welfare Associations in Government departments to hold meetings with the management for presenting their grievances
- Dr. Udit Raj
- 715
- (x) Need to construct a permanent school building for Kendriya Vidyalaya Gopeshwar, Chamoli district, Uttarakhand
- Maj. Gen. (Retd.) B. C. Khanduri, AVSM
- 716
- (xi) Need to provide financial assistance to farmers distressed due to loss of crops caused by excess rains and hailstorms in Sant Kabir Nagar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
- Shri Sharad Tripathi
- 717

- (xii) Need to provide adequate financial assistance to all the farmers distressed due to loss of crops caused by excess rains and hailstorms in Akbarpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
- Shri Devendra Singh Bhole 718
- (xiii) Need to take steps to protect the ancient monuments of Sivasagar district of Assam and develop it as a tourist destination
- Shri Kamakhya Prasad Tasa 719
- (xiv) Need to regularize the services of non-teaching non-muster roll employees of National Institute of Technology, Tiruchirapalli
- Shri P. Kumar 720
- (xv) Speedy completion of Outer Ring Road in Madurai city in Tamil Nadu
- Shri R. Gopalakrishnan 721
- (xvi) Need to expedite the procurement of Genexpert TB test machines
- Shri Kalikesh N. Singh Deo 722
- (xvii) Need to review the shifting of Air India office from Mumbai to Delhi
- Shri Gajanan Kirtikar 723

- (xviii) Need to revise the Coal Mines Pension Scheme, 1988 for the welfare of coal mine workers

Shri P. Srinivasa Reddy 724

- (xix) Problems faced by Cardamom growers in Kerala

Adv. Joice George 725

DISCUSSION UNDER RULE 193 726

Sustainable Development Goals

Shri Prahlad Singh Patel

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 727

Member-wise Index to Unstarred Questions 728-732

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 733

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 734-735

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, August 12, 2015/Shravana 21, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे दो पूर्व सदस्यों श्री बालेश्वर राम और श्री जगन्नाथ सिंह के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री बालेश्वर राम बिहार के रोसड़ा संसदीय क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री बालेश्वर राम ने सन् 1982 से 1983 तक केंद्रीय कृषि और ग्रामीण पुनर्गठन राज्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

इससे पूर्व, श्री बालेश्वर राम सन् 1952 से 1977 तक पांच बार बिहार विधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने बिहार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री बालेश्वर राम का 87 वर्ष की आयु में पटना, बिहार में 2 मई, 2015 को निधन हो गया।

श्री जगन्नाथ सिंह ने नौवीं और बारहवीं लोक सभा में मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री जगन्नाथ सिंह नौवीं लोक सभा के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य थे और दसवीं लोक सभा के दौरान रेल संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री जगन्नाथ सिंह सन् 1992 से 1998 तक राज्य सभा के सदस्य थे और चार बार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री जगन्नाथ सिंह का निधन 69 वर्ष की आयु में 3 अगस्त, 2015 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हो गया।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

11.03 hrs.

The Members then stood in silence for short while.

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Mallikarjun Kharge, Shri K.C. Venugopal, Shri Rajeev Satav, Dr. Thokchom Meinya, Shri D.K. Suresh, Shri R. Dhruvanarayana, Shri Gaurav Gogoi, Shrimati Butta Renuka, Shri P. Karunakaran, Shri Md. Badaruddoza Khan, Shri N.K. Premachandran, Shri M.B. Rajesh, Shri Dharmendra Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and Dr. A. Sampath on different subjects. The matters though important enough do not warrant interruption of business of the day. The issues can be raised through other means. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई खड़ा नहीं रहेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप रोज-रोज क्यों खड़े होते हैं? प्लीज़ बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूँ। I am sorry. मैं आपको पूछूंगी न!

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. Yes, Shrimati Sushma Swaraj.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मैं कल उस समय यहाँ बैठी थी,...(व्यवधान) आज आपने अभी बताया,...(व्यवधान) खड़गे जी, दो मिनट दीजिए, ...(व्यवधान)

11.05 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri Anto Antony and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, अभी आपने यह बोला कि आज कुछ एडजर्नमेंट मोशंस आए हैं।...(व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी मोशन है।...(व्यवधान) मैंने वह मोशन देखा है।...(व्यवधान) वह मोशन मेरे विषय से सम्बन्धित है।...(व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप खड़गे जी का वह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें।...(व्यवधान) और जिस भाषा में उन्होंने दिया है, उसी भाषा में स्वीकार कर लें।...(व्यवधान) और प्रश्नकाल को स्थगित कराकर तुरन्त चर्चा शुरू करवा दें।...(व्यवधान) आप इनसे कहिए कि ये अपनी सीटों पर जाएं।...(व्यवधान) खड़गे जी चर्चा शुरू करें।...(व्यवधान) मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ।...(व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं तैयार हूँ।...(व्यवधान) उन्हीं की भाषा में तैयार हूँ।...(व्यवधान) बिना फुल स्टाप काटे, बिना कोमा हटाए, मैं उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के द्वारा दिये गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।...(व्यवधान)

महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें और अभी तुरन्त चर्चा शुरू करवायें और खड़गे जी को कहें कि वह बोलें।...(व्यवधान) मैं और आगे बढ़कर कहना चाहती हूँ कि स्थगन प्रस्ताव पर आप ऐसी चर्चा करवा लें,...(व्यवधान) जिसमें केवल विपक्ष के सांसद बोलें, हमारी ओर से कोई नहीं बोलें।...(व्यवधान) और जितने समय वे बोलना चाहें, उतने समय बोलें।...(व्यवधान) और जितने सांसद बोलना चाहें, वे सब बोलें।...(व्यवधान) बस एक निवेदन है, जिस समय मैं उत्तर दूँ उस समय सदन में जरूर उपस्थित रहें।...(व्यवधान) मेरा उत्तर सुनने के लिए बैठें।...(व्यवधान) मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें, खड़गे जी को बुलवायें।...(व्यवधान) अभी तुरन्त चर्चा शुरू करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, हम यह चाहते थे कि इस एडजर्नमेंट मोशन को आप एक्सेप्ट करो, एडमिट करो और जब इतना चैलेंज करके सुषमा जी बोल रही हैं कि इसको डिस्कशन के लिए लिया जाए। आपने एडजर्नमेंट मोशन तो रिजेक्ट किया, लेकिन हम यह चाहते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन आप एडमिट करके, सभी बिजनेस पोस्टपोन करके, चर्चा के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा।... (व्यवधान) प्राइम मिनिस्टर को आने दीजिए। ... (व्यवधान) उनके बारे में... (व्यवधान) एक मिनट।... (व्यवधान) अरे ठहरो... (व्यवधान) आपकी पोल खोलता हूँ।... (व्यवधान) आप ठहरिए।... (व्यवधान) मैडम स्पीकर, जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनकी बात नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वे जब तक यहाँ बैठकर सुनेंगे नहीं, तब तक वह मिनिस्टर के ऊपर एक्शन कैसे लेंगे?... (व्यवधान) How can an accused plead his own case?... (*Interruptions*) We have got allegations against her. ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Speaker, yesterday, they said: "Take up this on priority." From the Government's side, we have no problem. Now, the hon. External Affairs Minister has come forward saying that she has no problem in taking it up on priority in whatever form it is required. I request the Chair.... (*Interruptions*) यह कोई तरीका नहीं है। ... (व्यवधान) If they go, sit in their seats and want to take up this on priority, the Government has no problem. You can convert it. But I respect the ruling of the hon. Speaker. I cannot go against the hon. Speaker's ruling. The hon. Speaker can modify it if they agree to allow the House to function. We can have a two-hour discussion wherein everybody will get an opportunity to know the facts on this issue. ... (*Interruptions*) What is this justice? Now, 500 Members are sitting quietly, 20 Members are shouting and then not allowing the House to function. What is this justice? Let them accept it. We have no problem.

माननीय अध्यक्ष : मैंने माननीय खड़गे जी को भी सुना है, माननीय सुषमा जी और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को भी सुना है।

पहली बात तो यह है कि एक बार मैंने इसको डिसअलाउ किया है। अगर सदन चाहता है, आप सब लोग अगर चाहते हैं तो प्रोसीजर के अनुसार मुझे इसे लेना पड़ेगा। I will go through the procedure. मगर प्रोसीजर में एक बात यह भी है कि स्थगन प्रस्ताव 12 बजे, after Question Hour लिया जाता है। After Question Hour, अगर आप सभी लोग सहमत हैं and if it is according to the procedure, then only after Question Hour, I will think about it. खड़गे जी, स्थगन प्रस्ताव के बारे में आप भी जानते हैं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We do not want to challenge your authority but the purpose of giving notice under Rule 56 is that we want to discuss on the Adjournment Motion, not under any other rule, which the Naidu *ji* is proposing. We want Adjournment Motion to be taken up, which has got a value and weightage for voting. For that, we want you to take up Adjournment Motion.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We have no problem provided the House is in order. Let them go and sit in their seats. Let them follow the rules of the House. We are ready. 12 बजे डिसकशन शुरू करिये। Madam, go through the procedure, decide; we have no problem from our side. The Government is ready for discussion.

HON. SPEAKER: Only thing is, I will have to see this first because today I have just declared that I am disallowing it. आप लोग अपनी जगह पर जाइए। मुझे पहले इस बात को समझने दो, इसके बाद ही मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर एडजर्नमेंट मोशन ले सकती हूँ। मुझे उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन का भी एक प्रोसीजर होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात है कि यहाँ खड़े रहकर आप नहीं बोलेंगे। Then only, you are allowed to speak. फालतू जैसी बात यहाँ पर नहीं करते हैं। यह सदन है, सम्मान रखना सीखो। First, you have to respect the House.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Kharge *ji*, I have no objection in take up Adjournment Motion.
लेकिन इस तरीके से नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : फिर भी वह शुरू नहीं होता।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: As soon as you came here and presided over the proceedings, at that time, you should have declared that you have admitted our Adjournment Motion; let us start discussion. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No doubt, I have disallowed it because there is a discussion under Rule 193. If the House thinks so, मैं हाउस के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। I have no objection. I have no objection for taking up Adjournment Motion also. लेकिन एडजर्नमेंट मोशन का भी प्रोसीजर है कि - it can start after 12 noon only. Yes, there are rules.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, ऐसे चर्चा मत करो। It can't be like this.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जो अरेंजमेंट ऑफ द बिज़नेस है, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन्स होंगे और क्वेश्चन्स के बाद - leave to move Motion for adjournment of the business of the House. बिज़नेस में यही कहा है। उसके अनुसार I will.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग एक बात सुनिये। रूल्स के अनुसार, जो रूल आप ही लोगों ने बनाया है, - there will be no suspension of Question Hour. So, there is no question of suspension of Question Hour.

... (व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, we have asked for suspension of Question Hour. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: But there is no rule as such. आप लोगों के बनाए हुए रूल्स हैं। I am sorry. I will take it after Question Hour. This is the rule. What can I do? First go back to your seats. Then, I would allow everybody. But not like this.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। ऐसे चलने वाला यह क्या सदन है,
...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: In Question Hour there is no point of order पहली बात। क्वश्चन ऑवर सस्पेंड करने का कोई रूल नहीं है, यह समाप्त कर दिया गया है। So there cannot be suspension of Question Hour and in the Directions of the Speaker, it is written that Adjournment Motion will be taken after the Question Hour, not before that. It is written there. There is no suspension of Question Hour at all. I cannot help it.

... (*Interruptions*)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : हमको कोई आपत्ति नहीं है, स्पीकर मैडम को भी कोई आपत्ति नहीं है...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam Speaker, Rule 56 cannot be read in an isolated manner. Kindly read Rule 61 also.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, first let the House be in order. We have to follow some procedure. Let them first go back to their places. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर आप सब चाहते हैं तो I have no objection.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am ready to take up Adjournment Motion, but that is after Question Hour, not before that because there is no suspension of Question Hour, according to rules.

... (*Interruptions*)

11.06 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 323 Kumari Shobha Karandlaje.

... (*Interruptions*)

(Q. 323)

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE: Madam Speaker, the Minister has given elaborate answer. ... (*Interruptions*) We should feel proud that India is the first developing country in the world to have a geo stationary satellite and INSAT for continuous weather monitoring in this part of the world, particularly for cyclone warning. ... (*Interruptions*) Indian Meteorological Department (IMD) provides very comprehensive weather forecasting for agriculture, aviation, shipping, fisheries, cyclone warning and many other special services for the general public. ... (*Interruptions*) About 80 per cent of our agriculture depends on rains only. ... (*Interruptions*) So weather forecast will help farmers to minimize their losses due to abnormal weather conditions. ... (*Interruptions*) India is a vast country and so we should have proper monsoon forecast. ... (*Interruptions*) The country requires at least 5,000 satellite-based automatic rain gaugers, at least 50 upper air observatories, 50 equipment for preparing profile of wind patterns, 20 cyclone detection radars and 35 storm detection radars. ... (*Interruptions*) There is a need for automatic rain gaugers, wind profilers and storm detection radars. ... (*Interruptions*) The Government should also provide IMD with better observation equipment and super computers. ... (*Interruptions*) In the given situation, the Department is doing a good job. ... (*Interruptions*) But still I would like to ask the Minister, through you, as to what action the Government will take to minimize errors in weather forecasting.... (*Interruptions*)

DR. HARSH VARDHAN: Madam, through you, I would like to inform the hon. Member that we are fully equipped to forecast weather and provide all related services. ... (*Interruptions*) At the moment, our services are world-class. Although

the Member herself has elaborated, referring to the detailed answer that I have given about the various services and various equipment that are available in the Department, I wish to inform her that we are in the process of further improvement.... (*Interruptions*) We are planning to improve our super computing facility from 1.5 petaflop to 10 petaflops.... (*Interruptions*) All over the country, as you know, we have various equipments.... (*Interruptions*) Like in every district, we already have an automatic weather station. ... (*Interruptions*) We have two automatic rain gauges in every district. ... (*Interruptions*) In places like Delhi, Jaipur, Patiala, Srinagar, Lucknow, Patna, Kolkata, Visakhapatnam, Machilipatnam, Chennai, Mumbai, Bhuj, Bhopal, Nagpur, Assam, Agartala, Hyderabad, and second one in Delhi also, and in Nellore, we have 19 Doppler weather radars.... (*Interruptions*) At 39 places, we already have upper air observation stations.... (*Interruptions*) As you have also mentioned, we have an INSAT-3D satellite through which, every half-an-hour, we take updates about temperature, humidity, cloud, wind direction and speed.... (*Interruptions*) For the immediate future also, we have plans for the hill areas. We are going to put up 9 more Doppler weather radars, 5 upper air observation systems, 10 micro range radars.... (*Interruptions*) For the North East – specifically our focus is as per the directions of the Prime Minister – we are going to put up 12 more radars and 5 upper air observation systems. ... (*Interruptions*) I understand that since the Member belongs to the South, I would like to tell her that we have a Doppler weather radar in Hyderabad which is functional, which is helping Raichur, Gulbarga and Bidar. ... (*Interruptions*) There is one in the process of commissioning in Goa which is going to help the coastal regions, Belgaum, Hubli, Dharwad and Bijapur.... (*Interruptions*) One is under commissioning in Kochi which will help the South-West Karnataka region.... (*Interruptions*) We have plans to set up Doppler weather radar in Mangalore, Bengaluru and Anantapur.... (*Interruptions*) So, we have a very exhaustive programme to ensure that the services which are already very very exhaustive and very very advanced

comparable to the best in the world, we are going to improve them further in the coming years.... *(Interruptions)* The services that we are making available at the district level all over the country, we have plans to take them up to the block level in the new two years. ... *(Interruptions)*

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE: Madam, IMD is fully equipped now.... *(Interruptions)* Still the Sikka Committee has given the recommendations. ... *(Interruptions)* I would like to know from the hon.Minister, through you, whether they have any plans to implement the Sikka Committee recommendations. ... *(Interruptions)*

DR. HARSH VARDHAN: Madam, as I said in my reply, and I have given an elaborate reply about the facts also, whatever good recommendations have been given by anyone, our scientists are fully well-equipped. ... *(Interruptions)* We have detailed, definite plans to improve upon what we already have.... *(Interruptions)* Our existing facilities are already very good. ... *(Interruptions)* As I have elaborated, we have detailed plans to improve upon what we are already doing.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Shri Pratap Simha – not present.

Shrimati R. Vanaroja

... *(Interruptions)*

SHRIMATI R. VANAROJA: Thank you, Madam. With your permission, I would like to speak from this seat.... *(Interruptions)* Although the recent advancement in satellite and in computer technology has helped significantly in improving weather forecast, however our knowledge about the atmosphere is still incomplete and, hence, hundred per cent accuracy in weather prediction is not possible.... *(Interruptions)*

The hon. Minister and the Government are aware that the economy of the Countries like India is largely depending on the farming sector. ... *(Interruptions)* Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what steps the

Government is taking to make them aware about the accurate weather prediction.... (*Interruptions*)

DR. HARSH VARDHAN: Respected Speaker Madam, I wish to disagree a little bit with the observations of the hon. Member. ... (*Interruptions*) I have to inform her that we provide a lot of services through our Department particularly to the farmers and the fishermen, about which she is also concerned. There was a study by the Institute of Applied Economic Research. ... (*Interruptions*) They said that the services and the information that are provided by the Departments to the farmers in the country create a positive impact of Rs. 1 lakh crore to 2.1 lakh crore in the GDP. The information that we provide to the fishermen for giving them safe area and giving them the areas which are very very productive for catching the fishes that information itself creates an impact of Rs. 34,000 crore. ... (*Interruptions*) That is a positive impact in the GDP.

As I said in my answer to the earlier Member's question that the services that we provided at the District level, we are now going further to provide them at the Block level to ensure that the farmers are helped on the basis of this information. This information is also crop specific. ... (*Interruptions*) We are now going to give them the information at the Block level also. As there is always a scope for improvement from better to best – we have already one of the best services available in the whole world – we will certainly strive to continue upon what we already have. ... (*Interruptions*)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Madam Speaker, my question is relating to the benefits to the farmers and to the fishermen.

The Indian National Centre for Ocean Information Services is in my Constituency. We had visited there. The data is reaching the fishing ports but it is not being disseminated properly. What is the Government doing to take this valuable data? The Government is pushing it but it is not being disseminated.

Secondly, the data is not ground proof or water proof that is because our Government prohibits exchange of this data with other countries. Now, in Bay of

Bengal, you have the satellites and ocean BIOS. If we exchange this data from Thailand, Malaysia and other countries in the Bay of Bengal then, only this collated data will be valuable. I would like to know as to what steps the Ministry is taking to exchange ocean data from neighbouring countries of Bay of Bengal and Arabian Ocean. This is absolutely important.

The next point is relating to the farmers. It brings a huge benefit to them. If the automatic weather stations are ground based then we have the satellite imagery there. This satellite imagery has to be translated. Now, the translation is effective only if the data is ground proof. So, the question is this. How are these automatic weather stations being used to ground proof the satellite data?

DR. HARSH VARDHAN: Madam, I wish to inform the hon. Member that we are already collaborating with all the possible sources of international data. That is number one.

As regards our information about what is happening in the ocean, we are at the moment providing information to, at least, two dozen countries which are near the ocean or on the ocean banks.

As far as the data relating to the fishermen is concerned, we are using all possible tool of the technological advancement to provide information to lakhs of farmers as well as the fishermen through SMS, through APPs and through various screenings which are at various places. All this is given to the fishermen and the farmers very easily. It is also very easy to access for those who are interest in it.

And, as I said earlier, this has been evaluated by the Institute of Applied Economic Research also. ... (*Interruptions*) We will always welcome any other suggestion for further improvement and strengthening our communication system to the farmers and the fishermen.... (*Interruptions*)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: In the State of Odisha, there are six Weather Stations which have been allowed by the Government of India. One is at Paradip, second is at Sambalpur, third is Balasore, fourth is, Bhubaneswar, fifth is Berhampur ... (*Interruptions*) But till today, even though the financial assistance

has been made five years ago, in most of the buildings in my constituency, Sambalpur, the construction has already been completed but the erection of machinery is not there.... (*Interruptions*) So, I want to know this from the hon. Minister, through you, Madam. What is the position of those stations which are sanctioned by the Government of India for installation and operation?... (*Interruptions*)

DR. HARSH VARDHAN: Madam, I wish to inform the Member that not only for the State of Odisha but for the whole country, whatever is there in the Plans, there is an active process of implementation of those Plans.... (*Interruptions*) The hon. Member has mentioned about the building being there and it is still waiting for the equipment. I can assure him that we are moving all these things in a fast track manner and very soon the hon. Member will see that in the coming years all those Plans which have been formulated in the past, will be implemented.... (*Interruptions*) We have a provision for further drafting new Plans to make us still better than what we are.

As far as Odisha matter is concerned, I have been informed by the Department that at Paradip and Gokulpur, they are already in the process of commissioning and in 2-3 months, they will be commissioned. ... (*Interruptions*)

(Q. 324)

श्री राहुल शेवाले : अध्यक्ष महोदया, हमारी दूरसंचार कंपनियां अपने नेटवर्क को बढ़ाना और अपग्रेड करना चाहती हैं।... (व्यवधान) उसके लिए वे उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही हैं।... (व्यवधान) उनकी सेवा में कुछ विकास भी हुआ है।... (व्यवधान) पर, आज हमारी दूरसंचार कंपनियां सर्विस के मामले में प्राइवेट कंपनियों से पिछड़ी हुयी दिखती हैं।... (व्यवधान) हमारे फिक्स्ड लाइन पर टेलीफोन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन कई बार बीच में जवाब दे जाते हैं।... (व्यवधान) खास तौर से बरसात में छुट्टी का दिन हो तो ठीक होने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता है।... (व्यवधान) आज टेलीफोन और इंटरनेट हमारी आवश्यकता बन चुके हैं।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या दूर संचार कंपनियां अपने ग्राहकों को नयी टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा अबाध टेलीफोन और इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठा रही है? ... (व्यवधान) इस संबंध में शिकायत के निपटान और सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए 24/7 सेवा की व्यवस्था के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कई सवाल पूछे हैं।... (व्यवधान) आपने सही कहा है कि इंटरनेट को सुधारने के लिए 'डिजिटल इंडिया' का कार्यक्रम है।... (व्यवधान) जिसके तहत हम देश के ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं।... (व्यवधान) उसका बहुत बड़ा काम हुआ है।... (व्यवधान) हम उसको 'भारत नेट' के नाम से कर रहे हैं।... (व्यवधान) आपने सरकारी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों के बारे में बात कही है।... (व्यवधान) सरकारी कंपनियों को सुधारने की दिशा में हम प्रयासरत हैं।... (व्यवधान) पिछले एक साल में बी.एस.एन.एल. ने 47 लाख नये कस्टमर्स जोड़े हैं।... (व्यवधान) आज वह फ्री रोमिंग दे रहे हैं।... (व्यवधान) रात के नौ बजे से सुबह सात बजे तक लैंड लाइन फ्री है। ... (व्यवधान) आप जिससे चाहें उससे बात कर सकते हैं।... (व्यवधान) उसे और सुधारने की गुंजाइश है।... (व्यवधान) जहां तक नयी टेक्नोलॉजी की बात है।... (व्यवधान) आपको मालूम है कि 'फोर-जी' की सेवा शुरू हो गयी है।... (व्यवधान) उसमें और अधिक सुधार हो यह हमारी कोशिश है।... (व्यवधान) मैं यह नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक है।... (व्यवधान) लेकिन हम सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री राहुल शेवाले : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हमारी सरकारी कंपनियां नये प्रावधान कर रही हैं। ... (व्यवधान) वे ज्यादा नये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस और सुविधायें दे रही हैं।... (व्यवधान) मेरी जानकारी में दोनों सरकारी कंपनियां चाहे वे बी.एस.एन.एल. हो या एम.टी.एन.एल. हो... (व्यवधान) दोनों का फाइनेंशियल स्टेट्स देखा जाये तो दोनों कंपनियां लॉस में हैं। ... (व्यवधान) अगर प्राइवेट कंपनियों के

फाइनेंशियल स्टेट्स देखे जाएं तो सब प्रॉफिट में हैं। क्या कारण है कि हमारे दोनों पीएसयूज़ बीएसएनएल और एमटीएनएल लॉस में हैं? ...(व्यवधान) उनके फाइनेंशियल स्टेट्स बताइए। उन्हें प्रॉफिट में लाने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : आप इस बात को नोट कीजिए कि बीएसएनएल वर्ष 2004 तक 10 हजार करोड़ रुपये के प्रॉफिट में था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, उस समय बीएसएनएल 10 हजार करोड़ रुपये के प्रॉफिट में था। ...(व्यवधान) दस साल के बाद 8 हजार करोड़ रुपये के लॉस में है। वह लॉस में क्यों आया, यह इनसे पूछिए। हम सुधार रहे हैं। ...(व्यवधान) दूसरी बात, आपने एमटीएनएल के बारे में कही। एमटीएनएल भी प्रॉफिट में था। 2008 के बाद से एमटीएनएल लॉस में चला गया। ...(व्यवधान) हम उसे सुधार रहे हैं। वह लॉस में क्यों गया, हमसे मत पूछिए, इनसे पूछिए जिन्होंने दस साल काम किया। ...(व्यवधान) लेकिन हां, हम एक बात कहना चाहते हैं कि यहां कई सांसद बैठे हुए हैं जो जानते हैं कि एमटीएनएल और बीएसएनएल में जितना पूंजी निवेश होना चाहिए, उतना नहीं हुआ।...(व्यवधान) मैं यह काम कर रहा हूं कि उसमें पूंजी निवेश हो, प्रोफेशनलिज़्म आए, अधिक से अधिक ग्राहक आए।...(व्यवधान) अभी बीएसएनएल एकमात्र ऐसी संस्था है जो फ्री रोमिंग दे रही है, और कोई नहीं दे रहा है। फ्री रोमिंग का मतलब क्या है?...(व्यवधान) फ्री रोमिंग का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भोपाल, बलिया, गोरखपुर, पटना से दक्षिण भारत में जाता है, अपने परिजनों से जितनी चाहे फ्री इनकमिंग बात कर सकता है, कोई रोमिंग चार्ज इनकमिंग कॉल पर नहीं लगेगा। ...(व्यवधान) लैंडलाइन का मतलब क्या है? रात के नौ बजे से सुबह के सात बजे तक हिन्दुस्तान में किसी भी मोबाइल, लैंडलाइन से जितनी चाहें बात कर सकते हैं।...(व्यवधान) यह हमने एक साल में करके दिखाया है। समय दीजिए, और काम करना बाकी है। हम सुधार में आगे बढ़ रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, the dream of the hon. Prime Minister for Digital India continues to be threatened by the poor quality of wireless broadband which exists in India today. ... *(Interruptions)* We have the cheapest broadband, but we have also one of the worst quality broadbands. ... *(Interruptions)* This is the discussion that we had with the hon. Minister last evening. ... *(Interruptions)* The reason is that India has auctioned some of the least amount of spectrum. ... *(Interruptions)* As it stands today, America has auctioned 425 MHz and China has auctioned 300 MHz while India has auctioned a mere 125 MHz. ... *(Interruptions)* The solution to that is that we have new technology

which we can bring in which can increase the throughput. ... (*Interruptions*) The carrier aggregation technology can increase the throughput in each cell from 100 mbps to 400 mbps. ... (*Interruptions*) Will the hon. Minister ensure that the new technology, such as carrier aggregation technology, comes into being and the quality of service actually improves? ... (*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, the hon. Member has asked a technology-related question. Spectrum availability is fixed in the country. You know it very well. ... (*Interruptions*) Whatever spectrum was available to us, we have done the auction. Hon. Member would know that with defence, we have got the defence band done. ... (*Interruptions*) Also, optimization harmonisation is going on. Very soon, we are going to come with spectrum sharing, spectrum trading guidelines. ... (*Interruptions*) That also, we are doing, but what is important is that we will do our work, but the operators also have to reinforce their systems. They have to do optimum utilization. All the processes will keep on going. ... (*Interruptions*)

Yes, Digital India is a dream, but we are committed to implement that. I would like to tell the hon. Member that when Shri Atal Bihari Vajpayee started the National Highway Programme, there was lot of opposition, but we succeeded. Similarly, we will succeed in Digital India also. I need the cooperation of all of you. ... (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने दिया। ...(*व्यवधान*) माननीय मंत्री जी ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में जिस तरह सुधार के लिए कदम उठाए हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, निश्चित तौर से सुधार है कि 47 लाख और उपभोक्ता बीएसएनएल में जुड़े हैं।...(*व्यवधान*) ढाई लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना है। जिस तरह रोमिंग को फ्री किया गया है, लैंडलाइन को भी रात से सुबह तक फ्री किया गया है। ...(*व्यवधान*) मैं इसके लिए अपनी सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा। ...(*व्यवधान*) लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह ब्रॉडबैंड और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर की बात की है। अभी ब्रॉड बैंड की स्पीड कम है, ...(*व्यवधान*) आप गांवों में ढाई लाख ब्रॉड बैंड

लगाना चाहते हैं, ...(व्यवधान) अभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपद जैसे सिद्धार्थ नगर और बस्ती में शिकायत है कि ब्रॉड बैंड की स्पीड कम है, ...(व्यवधान) क्या विभाग की प्रस्तावित ब्रॉड बैंड की स्पीड को बढ़ाने की कोई योजना है ...(व्यवधान) या नेशनल ऑप्टिकल फाइबर उत्तर प्रदेश के एक-एक विकास खंडों में लग रहे हैं, ...(व्यवधान) अगर सभी विभागों को ब्रॉड बैंड से जोड़ने की विभाग की योजना है, ...(व्यवधान) क्या एक-एक विकास खंड को ऑप्टिकल फाइबर से साल में जोड़ने की योजना है, ...(व्यवधान) यह कितने वर्षों में पूरी हो पाएगी? ...(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट के सभी खंडों को सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, पूर्वांचल या श्रावस्ती जनपदों के सभी विकास खंडों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की कोई निश्चित योजना है, ...(व्यवधान) समयबद्ध योजना है, ...(व्यवधान) अगर है यह तो कब तक पूरी हो जाएगी?

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम को हम 'भारत नेट' कहते हैं। ...(व्यवधान) अगले तीन साल में देश के ढाई लाख ग्राम पंचायतों को हम इससे जोड़ने वाले हैं। ...(व्यवधान) उसमें सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर शामिल है। ...(व्यवधान) इस देश में लगभग 6,00,000 गांव हैं, ...(व्यवधान) 2,50,000 पंचायत हैं और 650 जिले हैं। ...(व्यवधान) भारत नेट में डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक और ब्लॉक से ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले कर रहे हैं, ...(व्यवधान) फिर वहां से उसे आउटसोर्स करेंगे, हम दूसरी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे। ...(व्यवधान) ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है? लोगों को ई-शिक्षा मिले, ई-स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले तो हम काफी काम कर सकते हैं। ...(व्यवधान) हम किसी भी ग्राम पंचायत को छोड़ना नहीं चाहते हैं, केरल में हमने सभी ग्राम पंचायतों में कर लिया है, ...(व्यवधान) कर्नाटक में जल्द ही पूरा होने वाला है। ...(व्यवधान) आपके सिद्धार्थनगर की स्थिति के बारे में मैं स्वयं देखूंगा और इसे जल्दी किया जाएगा।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : Thank you, Madam. ... *(Interruptions)* Through you, I would like to ask this from the hon. Minister. ... *(Interruptions)* We are happy that you are trying to improve the health of BSNL, but along with it there is an Obligation Fund that is setup for rural infrastructure development. ... *(Interruptions)* We understand that this Fund runs into thousands of crore and this Fund will be given to the private companies and auctioned. ... *(Interruptions)* Instead of that, can we give this work to BSNL so that the health of BSNL will improve? ... *(Interruptions)* I am saying this because BSNL is a Government organization and it will work with more responsibility. ...

(Interruptions) इससे रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो सकता है। So, instead of tendering it and giving it to the private companies, can we give this Rural Obligation Fund to the BSNL? ... *(Interruptions)* Thank you, Madam. ... *(Interruptions)*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Madam, she has asked a very important Question and I would like to thank her for that. ... *(Interruptions)* I would like to tell her very gently that as far as the role of BSNL is concerned, it is there. ... *(Interruptions)* I am trying to improve the working of BSNL in contrast to what had happened to them in the last 10 years. ... *(Interruptions)* In fact, I am waiting for a debate in the Parliament on one day as to what was done to MTNL and BSNL, and we need to respond to that. ... *(Interruptions)*

As far as your specific query is concerned, I want to tell you that I have called a meeting of all the IT Ministers, and the IT Minister of Telangana also had come. ... *(Interruptions)* We had discussed the matter in detail, and many State Governments said that we need to involve the States also in a big way through State SPV. ... *(Interruptions)* About 14 States have come forward. ... *(Interruptions)* Andhra Pradesh and Telangana are having a different model where they want to involve much beyond the Gram Panchayat, and I am quite happy about that. ... *(Interruptions)* Therefore, in SPV model also BSNL will be there, but what is important is all of us need to work together -- the Government of India, the State Governments, the State of Telangana, the State of Andhra Pradesh -- to make this great BharatNet a success, which we all are committed to do. ... *(Interruptions)*

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN: Madam, according to reports, about 700 high speed telephone lines had been misused by the former Minister of Communications causing a loss of more than several crore to the already loss suffering BSNL. I would like to know from the hon. Minister about the action taken by the Government to prevent such misuse of high speed telephone lines. ... *(Interruptions)*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, as regards the question, I would like to tell the hon. Member that in this case the CBI is investigating the matter and proper proceedings are being taken against all persons who are involved. I can tell him on behalf of the Government that the CBI should be allowed to undertake free and fair investigation and we will render all the cooperation.

SHRI ARVIND SAWANT : Madam, let me first heartily congratulate the hon. Minister for taking initiative to revive the ITIs. The ITIs have got the big plants over here. In Bengaluru, maybe 50 to 60 acres of land is available and the infrastructure is available. As rightly pointed out by my colleague Shrimati Kavitha, I would like to tell the hon. Minister that there are two points in it. While doing the revival, we have to ensure the speed of the broadband. He can very well observe that every Saturday and Sunday normally the broadband is out. He can very well check it for the entire year. He will find that the server is out on Saturday and Sunday. Therefore, I would like to ask, through the hon. Speaker, the hon. Minister whether he is going to investigate the matter as to what is happening on Saturday and Sunday. I would like to tell the hon. Minister that particularly for the revival of the ITIs not to create it as a trader company. As we talk about the 'Make in India', let us try to do 'Make in India' through ITIs. I would request him to go for the manufacturing of the mobile equipment, mobile instruments and mobile chip cards. That also can be done through the ITIs. Are we going to do it? Are we thinking in that way? Kindly enlighten us... (*Interruptions*)

श्री रवि शंकर प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य टेलीकॉम के क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी आदमी हैं। ... (व्यवधान) उनको इसका बहुत ही व्यापक अनुभव है। ... (व्यवधान) वे मुझसे मिलते भी रहते हैं और मैं उनके अनुभव का बहुत सम्मान करता हूँ। ... (व्यवधान) इस क्वश्चेन का सही में यही सार था कि आईटीआई में क्या करना है? ... (व्यवधान) बाकी लोगों ने बीएसएनएल के बारे में पूछा, तो मैंने उसका उत्तर दिया। ... (व्यवधान) आईटीआई की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। ... (व्यवधान) मैं इस बात में जाना नहीं चाहता कि पिछले दस सालों में आईटीआई के लिए क्या किया गया? ... (व्यवधान) उस बारे में हम कभी चर्चा करेंगे और आपको बतायेंगे। ... (व्यवधान)

अरविंद जी, आपके लिए जानना जरूरी है कि एक आईटीआई रायबरेली में भी है। ... (व्यवधान)

रायबरेली के आईटीआई की क्या हालत है, क्या किया गया, यह आप मुझसे न पूछकर उनसे पूछिये। ... (व्यवधान) एक आईटीआई मनकापुर में है। ... (व्यवधान) मनकापुर भी रायबरेली के बगल में है। उसकी भी पिछले दस सालों में क्या चिंता की गयी, यह आप मुझसे न पूछकर उनसे पूछिये। ... (व्यवधान) यह जो दस साल की विरासत है, मुझे अच्छा लगता कि आज ये आवाज करने की बजाय इस पर बहस करते। ... (व्यवधान) मेरे उत्तर को सुनते, मुझसे और पूछते। ... (व्यवधान) मैं यह भी कहूंगा कि माननीय सोनिया जी भी मुझसे सवाल पूछती, तो मैं कहता कि रायबरेली में क्या हो रहा है, यह आप बताइये? ... (व्यवधान) हम मिलकर काम करना चाहते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन जहां तक सवाल है ... (व्यवधान) मैं सुधार रहा हूं, कैबिनेट ने एक पैकेज दिया है। ... (व्यवधान) मैंने आईटीआई को कहा है कि कृपया आप भारत में नये प्रोडक्ट्स लायें। ... (व्यवधान) वे एल-वन से परेशान होते हैं। ... (व्यवधान) मैंने स्मार्ट कार्ड के लिए कहा है। ... (व्यवधान) मैंने यह भी कहा है कि प्राइवेट से टाईअप करो। ... (व्यवधान) मैं आपसे कह सकता हूं कि आईटीआई को सुधारने के लिए मेरी ओर से पूरा प्रयास जारी है। ... (व्यवधान) उनको भी नयी टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

(Q.325)

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा। मुझे लगा कि माननीय मंत्री जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन लाना चाहती हैं, नई योजनाएं बना रही हैं और इसके लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का विषय भी लिया है। ... (व्यवधान) आज हर परिवार को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले इसलिए हर अच्छे स्कूल की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रवेश नहीं मिलता। उनको कहां प्रवेश मिलता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में मिलता है। सिम्बाओसिस, फर्ग्युसन या के.जी. कॉलेज के ब्रैंड से हर मां-बाप को लगता है कि मेरा बच्चा इस युनिवर्सिटी में पढ़े। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय और नवोदय विद्यालय को ब्रैंड के रूप में प्रस्तावित करने का विचार है? ... (व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, before I begin to answer that question, let me as a woman say that I am extremely proud of the way that you conduct this House, the determination and the perseverance with which you uphold the dignity of our House; and I am sure that you are an inspiration to millions of women across the country.

Insofar as the answer to the hon. Member's question, I think when he compares Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas to universities and colleges a distinction has to be made that the Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas are primarily schools which differ from the universities and colleges that he refers to in his question.

Madam Speaker, the very fact that we have people across the country urging Members of Parliament time and again to ensure that their children are admitted into Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas, the fact that children from Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas outshine in terms of results many private institutions which have more costly education in it, is a testimony to the fact that Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas are established and celebrated brands in the country.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि मानव संसाधन मंत्रालय में पैसे की कमी नहीं है। आजादी के 50 साल बाद 1950-60, 1960-70, 1970-80, 1980-90, 1990-2000 और 2000 से 2015 तक कितने केंद्रीय विद्यालय खोले गए? ...(व्यवधान) इसकी संख्या का अभ्यास करने से पता चलता है जिस संख्या में जनसंख्या बढ़ी है, उस संख्या में इन विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ी है। मैं संसद के सभी सांसदों के माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ, उन्होंने जवाब में कहा कि अगर राज्य सरकारें जमीन उपलब्ध करा दें, अलग-अलग सुविधा उपलब्ध करा दें तो हम सहयोग करेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब हम पर जिम्मेदारी है, हम हर जगह पर आपको जगह ही नहीं बल्कि सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे क्योंकि हमें लोगों की अपेक्षाएं पूर्ण करनी हैं। ...(व्यवधान)

आपने जवाब में कहा कि छः जिलों में ग्रामीण जनसंख्या नहीं है इसलिए वहां नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला सबसे बड़ा है, जनसंख्या में भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी बड़ा है। मेरा प्रश्न है कि क्या महाराष्ट्र में छः जिलों में विद्यालय खोलेंगे? क्या अहमदनगर में विद्यालय खोलेंगे?... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद महोदय का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वह चाहते हैं कि पूरे देश में केंद्रीय और नवोदय विद्यालय जनसंख्या के आधार पर खोले जाएं, लेकिन नियमानुसार मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय सांसद द्वारा कही गई बात के बारे में बताना चाहती हूँ, जो भ्रम माननीय सांसद सभा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एचआरडी मिनिस्ट्री में पैसे की कमी नहीं है, काश मेरे पास भी कुबेर का खजाना होता, लेकिन यह सत्य नहीं है।

मैं कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय खोलने की संभावनाएं नियमानुसार तभी प्रस्तुत होती हैं जब प्रदेश की सरकार कोई प्रस्ताव भेजे अथवा भारत सरकार का कोई मंत्रालय, कोई डिपार्टमेंट या उनसे संबंधित कर्मचारी संगठन के माध्यम से कोई प्रस्ताव आए। ...(व्यवधान) अगर प्रस्ताव इन मानकों के आधार पर नहीं आते तो चाहे हम सब सांसद कितनी भी कोशिश करें, उन नियमों को भंग नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय वहीं प्रस्तावित हो सकता है जहां मुख्यतः रूरल आबादी हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय का नियम है कि 75 परसेंट सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित हैं। जहां पर आरक्षण का नियम पूर्ण नहीं होता वहां चाहे क्षेत्रफल कितना भी बड़ा हो, जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, नियमानुसार हम नवोदय विद्यालय नहीं खोल सकते।

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम सब सांसद चाह लें फिर भी नियम भंग नहीं होंगे।...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहूंगा कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार की दृष्टि से इन नियमों को किसके लिए बनाया जाता है और ये नियम कौन बनाते हैं?...(व्यवधान) इन नियमों के चलते आज देश की आजादी को 66-68 साल हो गये हैं और जिनके ऊपर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी, उनका आचरण आज हम सदन में देख रहे हैं कि ये किस रूप में सदन को चला रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब से पिछली सरकार ने खासकर यू.पी.ए.सरकार ने जिस तरह से निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, उसमें देश में प्राथमिक शिक्षा महंगी हो गई।...(व्यवधान)

ऐसे समय में देश की गरीब जनता जिसने हम सभी को चुनकर भेजा है और हमने उनसे वह वादा भी किया है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है लेकिन आज देश के 178 जिले ऐसे हैं जहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। ...(व्यवधान) ये बातें हम भी जानते हैं कि केन्द्रीय विद्यालय सेना और राष्ट्रीय स्तर की नौकरियों में काम करने वाले लोगों के लिए होते हैं। लेकिन देश का कोई जिला इससे वंचित नहीं है। खासकर मेरा चतरा जिला भारत के अत्यंत निर्धनतम जिलों में आता है और उग्रवाद से प्रभावित जिला है। ...(व्यवधान) वहां एन.टी.पी.सी. और सी.सी.एल. तथा कोयले की बड़ी-बड़ी केन्द्रीय उत्पादन इकाइयां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह की सहायता हम लोगों से चाहती हैं, हम लोग देंगे। लेकिन आप ऐसे क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपने जवाब में जो सीधे सीधे यह कहा कि इनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ...(व्यवधान) दूसरी ओर आपके जवाब में यह भी लिखा हुआ है कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने का यह कंटीनुअस प्रोसेस है तो यह विरोधाभास है। उसी तरह से लातेहार में हमारी सीट को बढ़ाने की कृपा करें।...(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जवाब में कोई विरोधाभास नहीं है। ...(व्यवधान) जो जो प्रस्ताव नियमानुसार आए हैं, उन प्रस्तावों के आधार पर स्कूलों को खोलना एक कंटीनुअस प्रोसेस है, यह सत्य है। ...(व्यवधान) जो जो प्रस्ताव नियम के बाहर आए हैं, उसके आधार पर हम लोग एक्सपेंशन नहीं कर सकते। ...(व्यवधान) इसलिए ऐसा कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। यह भी सत्य है। इसलिए जवाब में विरोधाभास कोई नहीं है, पहले तो मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं।

दूसरे, माननीय सांसद ने अपने क्षेत्र से संबंधित एन.टी.पी.सी. और कोयले से संबंधित कुछ पी.एस.यूज की चर्चा की।...(व्यवधान) अगर वो एन.टी.पी.सी. अथवा कोयले की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन

द्वारा अपने क्षेत्र में नियमानुसार स्पांसर करवाना चाहें और अगर यह प्रस्ताव एचआरडी मिनिस्ट्री में आता है तो सहानुभूति पूर्वक उन प्रस्तावों पर विचार अवश्य होगा।

श्री अजय मिश्रा टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, अभी मुझे कई केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों का निरीक्षण करने का अवसर मिला। वास्तव में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किया है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कई ऐसे केन्द्रीय विद्यालय हैं जो किराये की बिल्डिंग में चल रहे हैं। उनके भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) कई विद्यालय ऐसे हैं जैसे उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूँ कि लखीमपुर जनपद का विद्यालय है जिसमें सशस्त्र सीमा बल द्वारा एवं भूमि उपलब्ध कराने के लिए साढ़े तीन एकड़ जमीन का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जिनके लिए सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ आदि संगठन भूमि देना चाहते हैं।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी भूमि को लेकर विद्यालय भवन का निर्माण अतिशीघ्र शुरू कराएगी?

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : महोदया, माननीय सदस्य ने एक पर्टीकुलर स्कूल की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं बताना चाहती हूँ कि मानकों और नियमों के अनुसार मेट्रो सिटीज में जमीन की दरकार 4 एकड़ है, हिली एरियाज में 8 एकड़ जमीन की दरकार है और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की दरकार 10 एकड़ है।...(व्यवधान) इन मानकों के आधार पर जब जमीन प्रस्तावित होती है, तभी उस जमीन पर भवन निर्माण किया जाता है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में और उस परिस्थिति को भी विस्तार से लिख कर मंत्रालय तक पहुंचाना पड़ता है, स्पॉन्सिंग ऑर्गेनाइजेशन अथवा सरकार अगर हम तक पहुंचाती है तो उस पर निर्णय जरूर होता है।...(व्यवधान) रेंटिड एकोमोडेशन में केंद्रीय विद्यालय तब चलते हैं, जब इन चुनौतियों को पार नहीं किया जाता लेकिन यह जिम्मेदारी स्पॉन्सिंग एजेंसी की होती है कि जब तक स्थायी भवन का निर्माण नहीं होता, तब तक रेंटिड एकोमोडेशन को भी स्पॉन्सर्ड करे ताकि वहां विद्यालय चल सके।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, the Question Hour is over now. Hon. Members please go back to your seats.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Hon. Members, if you want Adjournment Motion, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

12.01 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri Anto Antony and some other hon.

Members went back to their seats.

HON. SPEAKER: Hon. Members, please sit down; you also co-operate. I know, you want to raise your issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you afterwards. First, let us take up Adjournment Motion and then I will allow you in 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please co-operate. I will allow you afterwards but not now.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have to inform the House that I have received seven notices of adjournment from Shri Mallikarjun Kharge and others regarding action taken by the Government on the reported involvement and admission of a Union Minister in assisting a fugitive.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, you have to allow the Speaker also to say something.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge has given notice at first point of time. I have accordingly allowed Shri Mallikarjun Kharge to move the motion in the following form.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You please listen to me. The Speaker has that much right.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Many notices were there. The notice says, 'action taken by the Government on the reported involvement and admission of a Union Minister in assisting a fugitive'.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: So, Shri Mallikarjun Kharge may now ask for leave of the House.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, I seek the leave of the House for moving the Adjournment Motion regarding:

“action taken by the Government on the Modigate scandal ...
(*Interruptions*)”

HON. SPEAKER: No, Shri Mallikarjun Kharge.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is my notice. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: That word is not there. 'Modigate' is not the word.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: My notice says, 'action taken by the Government on the Modigate scandal with respect to the resignation of the External Minister in assisting a fugitive ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: That word you have used. 'Modigate' is not the word.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It further says, 'and her admission of doing the same contrary to the law and procedure' ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. I will not allow this. This word will not go.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It adds, 'and the stand taken by the Government with respect to the Modigte. Please also suspend the Question Hour'.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: 'Modigate' is not the word. Whatever word you use, I am sorry Shri Kharge.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is the notice I have given. I stand by this notice. ... (*Interruptions*) If you are admitting, I will speak; otherwise, I will not speak. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, Shrimati Sushma Swaraj.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please listen to me also.

माननीय अध्यक्ष : सुषमा जी, आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: The Speaker can decide whether it should be the full text.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव कितना और किस तरीके से लेना है, इतना अधिकार स्पीकर को है। आपका मतिदार्थ लाना मतलब है। आपने जो लिखा है उसका मतिदार्थ लाना यह मतलब है। 'मोदी गेट' शब्द कहीं भी नहीं है। यह शब्द आपने निर्माण किया है। ऐसा कोई शब्द यहां नहीं आ सकता। I am sorry. यह शब्द यहां नहीं आ सकता है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई शब्द यहाँ नहीं आ सकता। He is not a Member of the House. यहाँ पर यह शब्द नहीं आ सकता है। He is also not a Member of the House.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्पीकर को यह अधिकार है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप न एडजर्नमेंट मोशन में इंटरस्टेड हैं, न ही चर्चा में।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. Yes, Sushma ji.

... (Interruptions)

12.06 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मैं श्री खडगे जी से यह कहना चाहती हूँ कि मैं चर्चा के लिए कोई चैलेन्ज नहीं कर रही हूँ ..(व्यवधान) बल्कि सदन का गतिरोध समाप्त करने के लिए इनकी बात को स्वीकार करके आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप इनका एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार कर लें।...(व्यवधान) मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि स्पीकर साहिबा ने भाषा की शुद्धि की है, तो आप चर्चा करते समय मोदी गेट, ललित गेट, जो बोलना है, बोल लीजिए, लेकिन आप चर्चा करवाइए। ... (व्यवधान) चर्चा से मत भागिए। आपने कल कहा था, आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं, आप 193 पर चर्चा नहीं चाहते। ... (व्यवधान) आपने कल कहा था कि आप आईपीएल के लिए नहीं, बल्कि अपनी भाषा पर चर्चा चाहते हैं। ... (व्यवधान) इसलिए मैं आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। आपसे भी निवेदन कर रही हूँ। ... (व्यवधान) चर्चा के दौरान मोदी गेट, ललित गेट, जो बोलना है, बोलिए। ... (व्यवधान) स्पीकर की भाषा-शुद्धि को स्वीकार करके चर्चा कराइए। ... (व्यवधान) आप बहाने मत बनाइए। चर्चा से मत भागिए। आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराइए। ... (व्यवधान) मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। ... (व्यवधान) जितने सांसद उस पर बोलना चाहें, बोलें, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराइए। आप बहाने बना-बनाकर मत भागिए। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.30 hours.

12.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

माननीय अध्यक्ष : सब लोग बहुत ही होशियार हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

Shri Mallikarjun Kharge, you have given a notice, with corrections, which says: 'Action taken by the Government on the reported involvement and admission of a Union Minister and related acts and actions in assisting a fugitive and the stand taken by the Government in this regard'.

I do not know whether he is a fugitive or not.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, it is alleged because the Government has not declared him fugitive... (*Interruptions*). From our side, we do not have any problem. Earlier Government had not declared him fugitive. If they have forgotten it, I have no problem... (*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : मैं अपने ज्ञान के लिए पूछ रही हूँ कि पार्लियामेंट की दृष्टि से यह शब्द हम यहां दे सकते हैं या नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। आप सब ज्ञानी हैं, मैं ही एक अज्ञानी यहां बैठी हूँ।

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, since it relates to an investigative agency under the Ministry of Finance, I may clarify. It is last week that a non-bailable warrant has been issued against him. Prior to that, there were investigations pending by the Enforcement Directorate... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I want to understand the position about the word 'fugitive'. Let him complete. I have asked him about this word. I want to know whether this word is correct or not.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the answer is that during the UPA Government's regime, he was not a fugitive. There was no warrant against him. It is only last week that a non-bailable warrant has been issued against him.

HON. SPEAKER: So, today, we can use the word 'fugitive'.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We have no problem either way but the truth will come out.

HON. SPEAKER: Now, Shri Mallikarjun Kharge may ask for leave.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, I seek the leave of the House for moving the Adjournment Motion regarding Action Taken by the Government on the reported involvement and admission of the Union Minister and related acts and actions in assisting a fugitive and the stand taken by the Government in this regard.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैडम, क्या इनके पास 50 मेम्बर्स हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: When I am here, why are you asking this?

माननीय अध्यक्ष : मैंने अपने आपको केवल एक शब्द के लिए अज्ञानी कहा है, रूल्स के लिए नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Is the leave opposed? यह जो एडजर्नमेंट मोशन पेश हुआ है, क्या उसे कोई अपोज कर रहा है?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, leave is granted. अगर ओपोज नहीं कर रहे हैं तो 50 सदस्यों खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ओपोज कर रहे हैं तो उसके लिए 50 सदस्यों की जरूरत पड़ती है।

...(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू : सरकार की ओर से हम बहस के लिए तैयार हैं। हम ओपोज नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान) हाउस बाद में डिसपोज करेगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर यही चलना है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप बैठ जाएं, आप तो बहुत होशियार हैं। Rule 61 Adjournment Motion is actually to be taken at 1600 hrs, यह जो नियम है, उसके अनुसार or at an earlier hour under Rule 62 and not less than two hours and thirty minutes, ढाई घंटे इस एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए दिए जाते हैं। in view of the large number of Members desirous of participating. If you want to take up this discussion after Laying of the Papers it is all right or at what time should this be taken up?

SHRI M. VENKAI AH NAIDU: Madam Speaker, we can take up the discussion after Laying of the papers.

HON. SPEAKER: So, we can start the discussion after Laying of the papers. I have no objection.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, ढाई घंटे क्यों देते हैं, समय सीमा मत बांधिए। जितनी देर बोलना चाहें, बोलने दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Everybody should not give direction to me. I know what to do. Please take your seats. मैं इसके लिए ढाई घंटे निर्धारित कर रही हूँ। आप जानते हैं कि ढाई घंटे से पांच-दस मिनट इधर-उधर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा न करें, थोड़ा निर्णय मुझे भी लेने दीजिए।

12.37 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Registration Offices and Fees) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 438(E) in Gazette of India dated 30th May, 2015.
- (ii) The Companies (Registration of Charges) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 440(E) in Gazette of India dated 30th May, 2015.
- (iii) The Companies (Declaration of Payment of Dividend) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 441(E) in Gazette of India dated 30th May, 2015.
- (iv) The Companies (Share Capital and Debentures) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 439(E) in Gazette of India dated 30th May, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3061/16/15]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 463 of the Companies Act, 2013:-

- (i) G.S.R. 464(E) published in Gazette of India dated 5th June, 2015, regarding exemptions to Private Companies under Section 462 of the Companies Act, 2013.
- (ii) G.S.R. 465(E) published in Gazette of India dated 5th June, 2015, regarding exemptions to Nidhis under Section 462 of the Companies Act, 2013.

- (iii) G.S.R. 466(E) published in Gazette of India dated 5th June, 2015, regarding exemptions to Section 8 companies under Section 462 of the Companies Act, 2013.
- (iv) G.S.R. 463(E) published in Gazette of India dated 5th June, 2015, regarding exemptions to Government Companies under Section 462 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 3062/16/15]

- (3)A copy of Notification No. G.S.R. 333(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th April, 2015, directing that the provisions of Section 458 of the Companies Act, 2013 shall apply to a limited liability partnership from the date of publication of the notification in the Official Gazette under sub-section (2) of Section 458 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 3063/16/15]

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. 45/2015-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 12th August, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to increase the basic customs duty by 2.5 per cent on specified goods falling under Chapter 72 under Section 159 of the Customs Act 1962.

[Placed in Library, See No. LT 3063A/16/15]

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014:-

- (i) The Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 583(E) in Gazette of India dated 28th July, 2015.
- (ii) The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands' Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 584(E) in Gazette of India dated 28th July, 2015.
- (iii) The Union Territory of Union Territory of Daman and Diu Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 585(E) in Gazette of India dated 28th July, 2015.
- (iv) The Union Territory of Union Territory of Chandigarh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 586(E) in Gazette of India dated 28th July, 2015.
- (v) The Union Territory of Union Territory of Lakshadweep Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 587(E) in Gazette of India dated 28th July, 2015.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3064/16/15]

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Madam, I, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, beg to lay on the Table a copy of the Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 1324(E) in Gazette of India dated 19th May, 2015 under sub-section (1) of Section 10 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and in pursuance of clause f(a) of the Rule 13 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 3065/16/15]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : महोदया, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, में आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक--संघ सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन (2015 का संख्यांक 23) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 3066/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam, I, on behalf of Shri Rajiv Pratap Rudy, beg to lay on the Table a copy of the Apprenticeship

(Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 502(E) in Gazette of India dated 18th June, 2015 under sub-section (3) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961.

[Placed in Library, See No. LT 3067/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3068/16/15]

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3069/16/15]

(तीन) इंडियन रेअर अर्थर्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3070/16/15]

(चार) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3071/16/15]

(पाँच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3072/16/15]

(2) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूमस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3073/16/15]

(3) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2015 जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3074/16/15]

(4) सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग (स्टेनोग्राफर ग्रेड 'डी') भर्ती नियम, 2015 जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3074A/16/15]

माननीय अध्यक्ष: श्री उपेन्द्र कुशवाहा - उपस्थित नहीं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया):- मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

प्रो० (डॉ.) रामशंकर कठेरिया निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3088/16/15]

- (3) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3089/16/15]

(5) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3090/16/15]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3091/16/15]

- (9) (एक) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3092/16/15]

- (11) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3093/16/15]

- (13) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3094/16/15]

- (15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3095/16/15]

- (17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3096/16/15]

- (19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3097/16/15]

- (21) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3098/16/15]

- (23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3099/16/15]

- (25) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3100/16/15]

- (27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3101/16/15]

- (29) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3102/16/15]

- (31) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राँची, राँची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राँची, राँची के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3103/16/15]

- (33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3104/16/15]

- (35) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3105/16/15]

- (37) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3106/16/15]

- (39) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3107/16/15]

- (41) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3108/16/15]

(43) ऑरोविल्ले फाउंडेशन (समूह 'क') भर्ती नियम, 2014 जो 12 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 244(अ) में दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3109/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3110/16/15]

12.39 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 5th August, 2015 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-

“That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee.”

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Ram Narain Dudi
 2. Shri Chunibhai Kanjibhai Gohel
 3. Shri B.K. Hariprasad
 4. Shri Ahamed Hassan
 5. Shri Vishambhar Prasad Nishad
 6. Shri V. Hanumantha Rao
 7. Shri Rajpal Singh Saini
 8. Shrimati Vijila Sathyananth
 9. Shri Ashk Ali Tak
 10. Shri Ram Nath Thakur'
-

12.39 ½ hrs.**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
14th Report**

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I beg to present the Fourteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.39 ¾ hrs.**COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
6th to 9th Reports**

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : महोदया, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.40 hrs.**JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
3rd Report**

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to present the Third Report (Hindi and English versions) of the Joint Committee on Offices of Profit.

12.40 ¼ hrs.

**STANDING COMMITTEE ON LABOUR
9th and 10th Reports**

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'शहरी हाटों की समीक्षा' नौवां प्रतिवेदन।
- (2) 'राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृत कर्मकारों के विधिक उत्तराधिकारियों का कल्याण-एक मामलापरक अध्ययन' के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

12.40 ½ hrs.

**STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
12th Report**

SHRIMATI ANJU BALA (MISRIKH): I beg to present the Twelfth Report (English and Hindi versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on the subject 'Functioning of National Institutes of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)' pertaining to the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

12.41 hrs.

**STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
10th to 15th Reports**

SHRI AJAY MISRA TENI (KHERI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:-

- (1) Tenth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the 1st Report on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).
 - (2) Eleventh Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the 2nd Report on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).
 - (3) Twelfth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the 3rd Report on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Panchayati Raj.
 - (4) Thirteenth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the 4th Report on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Drinking Water & Sanitation.
 - (5) Fourteenth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the 42nd Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005'.
 - (6) Fifteenth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the 45th Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Capacity Building of Panchayati Raj Institutions (PRIs)'.
-

12.41 ½ hrs.**STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL****(i)14th Report**

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला/लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में निवासियों/कर्मकारों के लिए संरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) Statements

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 44वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में कर्मकारों की सेवा शर्तें' के बारे में 51वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात का विपणन और ढुलाई' के बारे में 52वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

12.42 hrs.

**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT
20th Report**

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): अध्यक्ष जी, मैं 'वक्फ संपत्ति (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.42 ¼ hrs.

**STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
119th Report**

SHRI BODH SINGH BHAGAT (BALAGHAT): I beg to lay on the Table the 119th Report on Rubber Industry in India (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce.

12.42 ½ hrs.

**STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY,
ENVIRONMENT AND FORESTS
268th Report**

SHRI DADDAN MISHRA (SHRAWASTI): to lay on the Table the Two Hundred Sixty-eighth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on 'Environmental issues of the Nilgiris'.

12.42 ¾ hrs.

**STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
223rd Report**

KUNWAR HARIBANSH SINGH (PRATAPGARH): I beg to lay on the Table the Two Hundred Twenty-third Report (Hindi and English versions) on The National Waterways Bill, 2015 of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture.

12.43 hrs.

STATEMENT BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Urban Development on 'functioning of Delhi Development Authority (DDA), particularly with reference to affordable houses in Delhi and its role in regularization of unauthorised colonies in Delhi and matters connected thereto', pertaining to the Ministry of Urban Development.*

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Urban Development on 'functioning of Delhi Development Authority (DDA), particularly with reference to affordable houses in Delhi and its role in regularisation of unauthorized colonies in Delhi and matters connected thereto' pertaining to the Ministry of Urban Development.

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 3111/16/15.

12.43 ¼ hrs.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 'Implementation of Prime Minister's New 15-Point Programme', pertaining to the Ministry of Minority Affairs. *

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 'Implementation of Prime Minister's New 15-Point Programme', pertaining to the Ministry of Minority Affairs.

12.43 ½ hrs.

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. **

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This may please be considered as read.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3112/16/15..

** Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3113/16/15.

12.43 ¾ hrs.

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture.*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): अध्यक्ष जी, मैं कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

12.44 hrs.

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 257th and 258th Reports of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, and Department of Science and Technology respectively, Ministry of Science and Technology.**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay the following statements regarding:-

- (1) the status of implementation of the recommendations contained in the 257th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology.

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 3114/16/15.

** Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 3115/16/15

- (2) the status of implementation of the recommendations contained in the 258th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.
-

12.45 hrs.

(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 47th report of the Standing Committee on Information Technology on 'Issues related to Paid News', pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): I beg to lay a Statement on the status of implementation of recommendations/observations contained in the Forty-seventh Report of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology (2012-13) on the subject of "Issues related to Paid News" concerning the Ministry of Information and Broadcasting in pursuance of Direction 73 A of the Speaker, vide Lok Sabha Bulletin Part II, dated 1st September, 2004.

A Statement of the aforesaid Action Taken Notes on the above 18 recommendations/observations as contained in the 47th Report of the Standing Committee on Information Technology in respect of the Ministry of Information and Broadcasting may be taken as laid on the Table of the House.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3117/16/15.

12.46 hrs

**MOTION RE: TWENTY-FIRST REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move the following:

“That this House do agree with the Twenty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 11th August, 2015.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Twenty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 11th August, 2015.”

The motion was adopted.

12.47 hrs

MOTION FOR ADJOURNMENT

Reported involvement and admission of a Union Minister in assisting a fugitive and stand taken by Government

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I beg to move:

“That the House do now adjourn.”

मैडम स्पीकर, मुझे खुशी है कि बहुत दिन के बाद मेरा एडजर्नमेंट मोशन आज एडमिट हुआ और जिस मकसद से हमने इस सदन में बार-बार उसे रखने की कोशिश की तो सरकार ने बार-बार अप्रत्यक्ष रूप से आप पर दबाव डालने की कोशिश भी की, लेकिन आप उनके दबाव में नहीं आयेगी, ऐसा मेरा हमेशा विश्वास था।

माननीय अध्यक्ष : कोई दबाव नहीं होता है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : स्पीकर के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते और कागज फेंकने के बाद भी कुछ नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : एकचुअली दबाव नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं तो यह कह रहा हूँ कि ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वास्तव में चर्चा चाहते हैं तो जरा थोड़ा समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें, स्पीकर पर दबाव नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने यह कहा कि आप उनके दबाव में नहीं आती हैं, ऐसा मुझे विश्वास है, समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ!... (व्यवधान) आप बैठिये। मैं दूसरी बात कहने से पहले आपकी तरफ से इस सदन को और खासकर सरकार को यह बताना चाहता हूँ, क्योंकि वह हमेशा बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और चाणक्य नीति भी अपनाने की कोशिश करते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल आप नाटक देखने नहीं आए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: चाणक्य ने यह कहा - “आंख के अंधे को दुनिया नहीं दीखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दीखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दीखता, स्वार्थी को कभी भी दोष नहीं दीखता”। ये जो स्वार्थी हैं और ये जो मद से भरे हुए हैं, उन्हें दूसरा कुछ नहीं दीखता, वह जो कर रहे हैं, वही सही है

और वे जो बता रहे हैं, वही सही है। इसी पर निर्भर रहकर आज उन्होंने यह शुरू किया और हमेशा इस बात को कहने की कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं, वह ठीक है और आप जो कहते हैं वह गलत है, उन्होंने हमेशा यह कहने की कोशिश की है। मैडम, जो डिस्कशन हम चाहते थे, हम हाऊस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप चुप रहिए। बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only Shri Mallikarjun Kharge's speech will go on record.

... (Interruptions)... *

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर सरकार इतनी चिंतित थी तो जब हम एड्जर्नमेंट मोशन दो-तीन हफ्तों से ला रहे थे, तब सरकार स्वीकार कर सकती थी और आपसे विनती कर सकती थी। ... (व्यवधान) अच्छा आप ही बोलिए, मैं बैठ जाता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बार-बार अच्छा नहीं है। उनकी बात सुनिए न! चर्चा हो रही है, आपके मंत्री सक्षम हैं, वे जवाब देंगे। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप अगर चार हफ्ते पहले इसी एड्जर्नमेंट मोशन को स्वीकार करते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गलती मेरी हो गई।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : लेकिन आपने आज इसको जो स्वीकार किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमारे एड्जर्नमेंट मोशन को स्वीकार किया है। हम इसमें क्यों लाना चाहते थे, क्योंकि बाहर के लोग भी हमसे पूछते हैं कि ... (व्यवधान) अगर ऐसे ही बात करनी है, तो मैं बोलना छोड़ देता हूँ और आप ही बोलिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सब ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर आपको ही बोलना है, तो आप ही बोलिए ... (व्यवधान) मैं बैठ जाता हूँ। ... (व्यवधान) आपका बोलना खत्म होने के बाद मैं बात करूंगा। ... (व्यवधान)

* Not recorded.

HON. SPEAKER: I have said that nothing would go on record; only your speech would go on record.

... (Interruptions)... *

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, जरा उनको भी टोकिए। ... (व्यवधान) आप उधर ज़रा ज्यादा टोकिए तो वे ज़रा ठीक हो जाएंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरे टोकने से कहां कोई रुक रहा है?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इस समस्या को सुलझाने का काम उनका था। यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। आज जो उठ-उठ कर फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रही हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अभी लो, अभी करो। आपने दो बजे का कुछ प्रस्ताव रखा तब भी उन्होंने कहा कि अभी लो। यानि यह जो आतुरता है, जो एंग्ज़ाइटी आप दिखा रहे हैं, अगर 15-20 दिन पहले यह दिखाते तो इतना समय बर्बाद नहीं होता। ... (व्यवधान) इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो प्राईम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। ... (व्यवधान) अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो उधर के लोग जिम्मेदार हैं। ... (व्यवधान) हम कोई जिम्मेदार नहीं हैं। ... (व्यवधान) इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस चर्चा के वक्त प्राईम मिनिस्टर का यहां पर रहना जरूरी है। ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए कि क्यों जरूरी है, आपने तो हमारे मोशन को एडमिट किया और जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक भगोड़े को जो सपोर्ट किया, उसके बारे में जब हम बताएंगे तो किनको बताएंगे, इस सदन के जो नेता हैं, प्राईम मिनिस्टर, उनको ही हम बता सकते हैं। ... (व्यवधान) अगर कोई गलती हो तो वही एक्शन ले सकते हैं। उनका संपूर्ण अधिकार है मिनिस्ट्री बनाना, मिनिस्टर किसको रखना, किसको निकालना, किसका क्या दोष है, यह सारी चाज़ें देखने का अधिकार प्राईम मिनिस्टर को है। जिनके विषय में हम प्रस्ताव करना चाहते हैं, जो हमारे एलिंगेशंस हैं, अगर वे ही बार-बार उठ कर, उत्तर देते रहेंगे, एक बार तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पर कहा है, अपनी बात सदन के सामने रखी है और बाहर भी बताया है तो आज हम यह चाहते हैं कि प्राईम मिनिस्टर खुद आ कर हमारी बात को सुनें, उसी वक्त हमको संतोष होगा कि वे एक्शन लेने वाले हैं, या नहीं लेने वाले हैं। अगर वह सुनना भी नहीं चाहते और यहाँ क्या चल रहा है, उसके बारे में बात भी नहीं

* Not recorded.

करना चाहते, वे अंदर भी बात नहीं करना चाहते, बाहर भी बात नहीं करना चाहते हैं। वे जो भी बात करना चाहते हैं या तो रेडियो में या तो टीवी पर या एडवरटाइजमेंट पर, यह ठीक नहीं है। सदन में ऐसा गंभीर विषय जब आ रहा है और चंद आरोप जो हम कर रहे हैं, तो उसका वही जवाब दे सकते हैं, दूसरा कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता है।... (व्यवधान) इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि उनको भी बुला लीजिए और बुलाकर इस विषय पर उनकी क्या राय है और उनका उत्तर भी हम चाहेंगे और उनको खुद प्रेजेंट भी यहाँ रहना चाहिए।... (व्यवधान) यह मेरी एक विनती है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप उनके ऊपर प्रभाव डालकर, उनको किसी ढंग से यहाँ पर बुला लीजिए, क्योंकि अगर मैं चर्चा भी करूँ, अगर वह नहीं सुनेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है।... (व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे खुद यहाँ आए। ... (व्यवधान)

दूसरी जो चीज है, जो यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं, खैर उनका तो एक बार उत्तर हो गया, एक बार फिर वह उत्तर दे देंगे। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि बार-बार उन्हीं की तरफ से उत्तर हम नहीं लेना चाहते हैं। हम जो उत्तर लेना चाहेंगे, वह प्राइम मिनिस्टर की ओर से ही उत्तर लेना चाहेंगे।... (व्यवधान) प्रधानमंत्री से ही उत्तर लेना चाहेंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका डिस्मिशन तो मुझे लेना है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, इसका डिस्मिशन आप ही के द्वारा होगा।... (व्यवधान) उसका प्रधानमंत्री जी को ही उत्तर देना चाहिए, यह पहली चीज है। दूसरी चीज, इसको रूल 56 में इसलिए हम लाए, इस विषय की गंभीरता देखकर ही हम रूल 56 में इसे लाए। इस सदन में रूल 184 का भी प्रस्ताव था, हमारे सदस्य प्रेमचंद्रन जी का ऐसा प्रस्ताव था। आपने फिर इसको नियम 193 में, क्योंकि इस सदन के चीफ क्लर्क भी नियम 193 में लाए थे, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए नियम 193 में लाकर चर्चा करके उसे खत्म करना चाहते थे।... (व्यवधान) इसलिए हमने इसको एडजर्नमेंट मोशन के तहत, रूल 56 के तहत ही इनसिस्ट किया। इस वजह से हम बार-बार इसको इनसिस्ट करते रहे, ताकि आप यह न समझें और सदन के बाहर के लोगों को भी यह मालूम हो कि रूल 56, नियम 193 और रूल 184 में क्या फर्क है? ... (व्यवधान) इसलिए रूल 56 का हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह अच्छा नहीं है, आपके लोग जवाब देंगे। यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठे-बैठे कोई भी कोई बात नहीं कहेगा। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह जो मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो बार-बार यह कहते रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं दी, उन्होंने किसी को पत्र नहीं दिया।

13.00 hrs.

कोई करॉस्पॉन्डेंस नहीं है, जो यहाँ से एक इकोनॉमिक ऑफ़ैन्डर चला गया, वह वहाँ पर बसा हुआ है। यह सब उनको मालूम रहते हुए भी उनकी मदद करने की पूरी-पूरी कोशिश उन्होंने की और यहाँ तक कि उनको यह भी मालूम था कि उनके ऊपर फाइनेन्स डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नोटिस था और ब्लू कॉर्नर नोटिस था। अब फिर कल रैड कॉर्नर नोटिस भी उनको इश्यू करने का निर्णय फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने किया है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा। ये सारी चीज़ें उनको मालूम रहते हुए भी क्यों उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, यह पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न क्या है? भारत सरकार के बार-बार कहने पर भी ललित मोदी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हाज़िर नहीं हुए। हाज़िर नहीं होने की वजह से उनका पासपोर्ट भी कैंसेल हुआ। जब पासपोर्ट कैंसेल हुआ तो हाई कोर्ट में वह पड़ा हुआ था। हाई कोर्ट ने वह पासपोर्ट दिलाने के लिए उनके फेवर में एक जजमेंट दिया। लेकिन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का कर्तव्य था कि अगर किसी का पासपोर्ट कैंसेल हुआ और वह एक इकोनॉमिक ऑफ़ैन्डर है, वह विदेश में रहता है, उसके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है तो क्यों आप अपील में नहीं गए, यह मैं पूछना चाहता हूँ। आप अपील में क्यों नहीं गए, अगर मैं वह कहूँगा तो नाराज़ हो जाएँगे, लेकिन कोई हरकत नहीं है। ...(व्यवधान)

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं नाराज़ नहीं हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्योंकि उसमें उनके घर के लोग वकील थे और उस ग्रुप में ललित मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने वह केस लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं थी, क्यों कोशिश नहीं की, यह मैं पूछना चाहता हूँ। आप बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं। आपने

अपील क्यों नहीं की? इतना सब मालूम होते हुए भी इसके पहले के जो फाइनेन्स मिनिस्टर थे, उन्होंने दो बार 2013 में इंग्लैंड के चांसलर ऑफ एक्सचेंजर को लिखा कि ललित मोदी के खिलाफ एक्शन लेना है, इसीलिए आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए क्योंकि वे यहाँ से इकोनॉमिक ऑफेंस में इनवॉल्व्ड हैं, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेना है। ऐसा खत दो बार उन्होंने लिखा। लेकिन अगर आपमें हिम्मत है तो वह लैटर्स, कॅर्रस्पॉन्डेन्स क्या है, वह ज़ाहिर करो। वह नहीं बोल रहे हैं। ... (व्यवधान) चिदम्बरम जी ने जो लैटर लिखा। ... (व्यवधान) आर.टी.आई. में जो सात प्रश्न मेरी पार्टी की ओर से पूछे गए, उन प्रश्नों का राइट टु इनफॉर्मेशन में कोई उत्तर नहीं आया। यह चीज़ तो मालूम थी, इसके बावजूद भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने भी कोशिश नहीं की। पिछली यूपीए गवर्नमेंट में चिदम्बरम साहब ने जब दो बार बात की थी तो उसका सारांश क्या था और क्या क्या वजह थीं, क्या कारण थे, किसलिए ऐसा हुआ, यह भी उन्होंने उसके अंदर जाकर उसकी इनक्वायरी करने की कोशिश नहीं की। तो उसके बजाय उन्होंने यह कहा कि वह कोई बड़ी बात नहीं है और बाद में उन्होंने यह भी एडमिट किया कि जो कुछ भी वहाँ चल रहा है, यह ठीक नहीं है। उनके ऊपर 16 केसेज़ हैं, उन्होंने बताया। जब 16 केसेज़ हैं, आपको मालूम है, यहाँ से इकोनॉमिक ऑफेंस में वह इन्वोल्ड है, यह भी मालूम है और वह कहाँ रह रहा है, यह भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी, फॉरेन मिनिस्टर ने किस बेसिस पर उसकी मदद करने की कोशिश की, हम यह जानना चाहते हैं?

वे कहते हैं कि ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड पर, ह्यूमेनिटेरिन लॉ और ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड्स, ये अलग होते हैं। जेटली साहब तो बहुत बड़े वकील हैं, माने हुए वकील हैं, अच्छी फीस भी लेते हैं और ... (व्यवधान) जब ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड पर अगर उनकी मदद करनी है तो कानून के तहत आप मदद कर सकते थे। आपने इमोशन में आकर इस हाउस को इतना इमोशनल कर दिया कि सारा बोझ आपके ऊपर है और जितनी भी ह्यूमेनिटेरिन वैल्यूज़ हैं, वे पूरे आप ही के पास हैं, हम सब निर्दयी हैं। ऐसी एक भावना आपने यहाँ पर जाहिर की। अगर आपको किसी की मदद करनी भी है तो इस देश का कानून है। यहाँ पर उनको था, आप यहाँ भारत में आइये, आपकी वाइफ अगर कैंसर से वहाँ पर पुर्तगाल में हॉस्पिटल में अगर है तो उसकी कानून के तहत हम मदद कर सकेंगे, यह आप कह सकते थे, लेकिन बिना किसी को पूछे, किसी को भी आपने नहीं पूछा, फाइनेन्स डिपार्टमेंट को नहीं पूछा, आपने अपने डायरेक्टर को नहीं पूछा और आपने अपने एम्बेसडर को नहीं पूछा और फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी ऑफिस को यह पता नहीं है कि आप डायरेक्टली उसकी मदद करने के लिए आप बात करते हैं। फॉरेन सैक्रेटरी भी इसमें इन्वोल्ड नहीं हैं तो मैं समझता हूँ और आप कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से किया। आपने कहा कि मेरी चिट्ठी भी वहाँ नहीं है, मेरा पत्र भी नहीं है, अगर है तो बताओ। आप जो ओरली बात करते हैं, उसका क्या सबूत रहता है। ओरली

जो चीज़ आपके और ब्रिटेन के बीच क्या हो गई, आप वहां के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनके बीच क्या हो गई, ओरली जो बातचीत हो गई, वह आपके और उनके बीच में हो गई, हमको तो मालूम नहीं है, इसलिए वह रिकार्ड में कैसे आएगी। चिट्ठी कहां है, रखेंगे, वह चिट्ठी भी नहीं है, कुछ भी फाइल भी नहीं है, सिर्फ आपकी जुबानी इंस्ट्रक्शंस हैं, यह सब काम हो गया, क्योंकि रिकार्ड में कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, यह ऐसा हुआ कि गलती करने के बाद उसका कहीं सबूत न मिले, उसका एक उदाहरण कहें तो मैंने ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड्स पर बात की, यह आपने एडमिट किया। जब आप यह एडमिट करते हैं और जेटली साहब भी यह जानते हैं, कानून अलग चीज़ है और किसी को ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड पर मदद करना, वह अलग चीज़ है। जब आप कानून के तहत आप उसकी मदद नहीं कर सके और आज गलती करके आपने ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड पर उनकी मदद की हो, यह कहना कानून के खिलाफ है, इसी से यह मालूम होता है कि आपके और उनके सम्बन्ध बहुत बड़े गहरे थे और 20 साल से उनके साथ आपका सम्बन्ध है और यह सिर्फ हो सकता है कि इकोनोमिकली आपके रिश्ते हो सकते हैं। आपके रिश्ते, जैसे कि फेवर देने के लिए आपने जो कुछ किया, वह शायद उनको फेवर करने के लिए आपने किया, यह तो हमारा एलीगेशन है।

आपने इस हाउस में पहले ही बोल दिया, यहां तक आपने कहा कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा, मैं तो पूरी बात रखने के लिए आई हूं। बाहर लोग हम से पूछ रहे हैं कि इतना सब हो रहा है और आप अपनी सफाई क्यों नहीं दे रही हैं? इसलिए उन्होंने यहां पर सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई गलती नहीं की, सिर्फ मानवता की दृष्टि से मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उन पर उपकार किया। माननीय विदेश मंत्री जी ने ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने के लिए इंग्लैंड सरकार से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलाने में सहायता की और यह भी कहा कि ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे देने से भारत और इंग्लैंड के रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी। इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश एन्वॉय से स्पेशल बात की। उसकी सहायता करने से पहले इन्होंने अपने ही मंत्रालय के विदेश सचिव, वित्त मंत्रालय, ई.डी. और डी.आर.आई. से भी कंसल्ट नहीं किया, यह हमारा निवेदन है। माननीय मंत्री जी ने इसे मान लिया है और उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि उन्होंने यह किया है। उन्होंने यह जो किया है, यह गलती है। इसीलिए, हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम हवा में इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो गलती की, अगर इस गलती को उन्होंने महसूस किया है, तो वे अपने मोरल ग्राउण्ड पर इस्तीफा दें।

दूसरी चीज़, कभी-कभी इमोशन में आकर कुछ कहना और बात है, लेकिन सत्यता तो यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि वहां की सरकार ललित मोदी को ट्रैवल कागज़ात देना चाहती थी। ...(व्यवधान) उन्होंने दिनांक 14 जून के अपने ट्वीट में यह कहा है कि हमें इस में कोई आपत्ति नहीं होगी, इससे दोनों

देशों के संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपीए सरकार में चिदम्बरम साहब ने वहां की सरकार को यह वार्न किया था कि अगर आप उन्हें यह ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हमारे संबंधों में कुछ बाधा आएगी। यह भी रिकॉर्ड उनके पास है। जब यह रिकॉर्ड सरकार के पास है, तो वे ऐसा कैसे कह सकती हैं कि अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया गया तो हमारे संबंधों में बाधा नहीं आएगी। क्या यह देश के हित में है? क्या वे उन्हें डिफेंड करना चाहती थीं? क्या वे उनका सपोर्ट करना चाहती थीं, यह मैं पूछना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति को, जिस ने यहां से टैक्स की चोरी की है, आई.पी.एल. में घोटाला किया है, 460 करोड़ रुपये का घोटाला करके जो भाग गया है, ट्यूमैनिटैरियन ग्राउण्ड की आड़ में उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Khargeji is saying.

... *(Interruptions)*... *

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, वास्तविकता यह है कि वहां की सरकार ने उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की याचना को खारिज कर दिया था। ललित मोदी को यू.के. के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स न देने के संबंध में वहां की सरकार ने और वहां के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने 03 जुलाई 2014 को यह सूचना अधिकृत रूप से लिखित रूप में ललित मोदी और उनके वकीलों को दी थी। यह सब चीज़ें हो गयी थीं। फिर यह सब होने के बाद इन्होंने ऐसा क्यों किया? यह महत्वपूर्ण है कि दोबारा इसके लिए प्रयास इनकी ओर से शुरू हुआ। वहां की होम अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन मिस्टर कीथवाज हैं। ललित मोदी जी ने सुषमा जी से बात की, उसके बाद कीथवाज को कहा कि भारत की विदेश मंत्री यह कहने को तैयार हैं कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और उनको कागजात दे दिए जाएं। ...(व्यवधान) वाज ने पत्र के द्वारा सारी जानकारी वहां के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनको दी। उस आफिस को पासपोर्ट देना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देना, जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनको दिया। अब यह कहना कि कोई कागज नहीं है, कोई ई-मेल नहीं है, लिखकर भी नहीं बताया तो उसका क्या अर्थ है? मैं यह पूछना चाहता हूं।

वाज ने यह भी लिखा है, बोला है, लिखकर दिया है कि सुषमा जी ने स्वयं यह कहा कि मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की। यानी यह तो वहां के डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने जो विजिट की थी, उसके बाद आपके प्रयास से फिर उसको पुनर्जीवन मिला, आपने भी खुद यह कहा है कि मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की है। यू.के. के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्री का यह कहना आज उनको ट्रैवल कागजात दे दें और हमारे संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह सिफारिश नहीं है तो क्या है? अगर यह सिफारिश नहीं है तो सिफारिश क्या हो सकती है? आप जब यह कहते हैं कि प्रभाव नहीं

* Not recorded.

पड़ेगा, तो इसीलिए यह आपके कहने के ऊपर ही मिला। आप अब मोड़-तोड़ कर बोल सकते हैं, क्योंकि आप बातों में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, व्याकरण वाली बातें बोलते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ओरली भी कहते हैं तो क्या यह रिकमेंडेशन नहीं है, क्या रिकमेंडेशन सिर्फ राइटिंग में होती है, क्या रिकमेंडेशन अगर सिर्फ रिकार्ड में है, फाइल में है, तो ही यह है? आपने खुद माना है कि मैंने ओरली उनको कहा, ह्यूमेनेटेरियन ग्राउंड पर कहा। ये महाशय, ह्यूमेनेटेरियन ग्राउंड पर आपने जिनको पासपोर्ट दिया या वीजा के लिए रिकमेंड किया, वे कहां गए?

उन्होंने तीन कारण बताये थे। उन्होंने पहला कारण बताया था कि हमारे किसी रिलेटिव की शादी है, इसके लिए जाना है, दीजिए। दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि वहां के प्राइम मिनिस्टर या किन्हीं से मिलना है, उसके लिए...(व्यवधान) उनको मिलना था। ...(व्यवधान) तीसरा कारण यह था, यह तीसरे नम्बर पर था, जिसे आप ह्यूमेनेटेरियन ग्राउंड पर बता रहे हैं, यह उनकी लिस्ट में तीसरे नम्बर पर था कि मेरे को पुर्तगाल जाना है, मेरी पत्नी बहुत बीमार हैं और इसलिए मेरा वहां प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। हालाँकि पुर्तगाल के रूल्स के मुताबिक वहाँ पर आपरेशन करते वक्त इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कभी भी कोई पति जाना चाहता है। लेकिन पति की प्रायोरिटी क्या थी? एक तो नम्बर वन पर उनको शादी में जाना था, दूसरी प्रायोरिटी उनकी प्रेसीडेंट से मिलने की थी और तीसरी प्रायोरिटी वाइफ से मिलने की थी। एक और लेटर उन्होंने ट्वीट किया, उसमें जब एप्लाई किया तो उस दूसरे लेटर में उन्होंने क्या दिया? पहली प्रायोरिटी फिर भी शादी दिया, सेकेंड प्रायोरिटी वाइफ का दिया, थर्ड प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर से मिलने का दिया। कहीं भी अपनी पत्नी के बारे में पहली प्रायोरिटी अपने लेटर में दी ही नहीं। ...

*(Interruptions)... **

इसीलिए मैं स्पष्ट यहाँ रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में एक और प्रश्न उठता है कि मान भी लीजिए कि वह सही कह रहे हैं। तथ्य में जाने की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, पत्नी भारत की नागरिक हैं, वह स्वयं भारत के नागरिक हैं, पासपोर्ट रद्द होने से भारत की नागरिकता नहीं चली जाती है या नागरिकता खत्म नहीं होती है तो वहां उनकी याचना पर भारत का ट्रेवल कागजात देती, यह उनका अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है।

वहां उनको इलाज के लिए जाना है तो उसके बाद आप उनसे भारत लौटने के लिए कह सकती थीं, क्योंकि उनकी यहां जरूरत थी। जब आपसे उनके संबंध इतने गहरे हैं तो आप उनसे यह कह सकती थीं कि आपके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, अब जेटली साहब ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू किया है,

* Not recorded.

इसीलिए आप जल्दी वापस आइए। आप यह कह सकते थीं, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा है, आपने यह नहीं बताया है। आपने यह सब छोड़ दिया। आप इमोशन में आकर बार-बार यही कहती रहीं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, आपने यह बताया है, फिर यह कौन-सा संबंध है। ... (व्यवधान) मैडम, कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुन रही हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ट्रेवेल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वह कहां-कहां गये, वह पुर्तगाल गये, उसके बाद वियाना गये... (व्यवधान) उसके बाद जहां-जहां अच्छे रिसोर्ट्स हैं, वहां-वहां जाकर आराम करते रहे, और आप उनको मानवीय आधार पर मदद करते हैं।... (व्यवधान) जो लोग रिसोर्ट्स में जाकर रहते हैं, जो लोग वियाना में जाते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, आप उन्हें वीजा देने के लिए रिकमेंड करते हैं। ... (व्यवधान) आप यह कह सकती हैं कि अगर आठ दिनों के लिए जाना है तो आप पुर्तगाल जा कर वापस आ सकते हैं, यह इंडियन गवर्नमेंट कह सकती थी। आप यहां उसे बुलाकर भेज सकते थे। लेकिन आपने यह नहीं किया। आपने उनको घुमने के लिए जितनी मदद करनी चाहिए थी, आपने उतनी मदद की।

मैंने सात प्रश्न पहले पूछे थे। मैं उन सात प्रश्नों का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहता हूँ। यह जरूरी है कि आप उन सात प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है, अनेक बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री और यू.के. के चांसलर ऑफ एक्सचेकर के बीच हुए पत्राचार को जारी क्यों नहीं किया जा रहा है?

दूसरा प्रश्न, यदि विदेश मंत्री की मंशा मानवीय आधार पर मिस्टर ललित मोदी को पुर्तगाल के लिए यात्रा दस्तावेज की सुविधा प्रदान कराने की थी, तब उन्होंने मिस्टर ललित मोदी को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह स्थायी यात्रा दस्तावेज के लिए लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष आवेदन करें ताकि वह एक सीमित अवधि के लिए केवल पुर्तगाल जा सकें। माननीय विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया, महसूस किया कि एक भारतीय नागरिक मिस्टर ललित मोदी के पास भारतीय यात्रा दस्तावेज होने की बजाय, यू.के. का यात्रा दस्तावेज होना चाहिए, आपने यह क्यों सोचा? इंडियन पासपोर्ट यहां से लेकर जाने की बजाय, यू.के. का पासपोर्ट लेकर जाना, यह क्यों किया, यह क्यों सोचा?

तीसरा प्रश्न यह है कि माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए। मैं इसे एक बार और पढ़ता हूँ - "माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए और इसी शर्त पर उन्हें मानवीय आधार पर अस्थायी यात्रा दस्तावेज जारी किया जाये।"

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने श्री ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय बदला, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय किसने लिया? क्या आपने लिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिया या प्राइम मिनिस्टर ने लिया? हमें यह मालूम होना चाहिए क्योंकि जब आपका हाई कोर्ट में केस फेल हुआ तब आपने अपील क्यों नहीं की, क्यों चुप बैठे? इस चुप्पी में कुछ गड़बड़ है।...(व्यवधान) इसीलिए पूरी सरकार चुप है, इसीलिए प्रधान मंत्री चुप हैं। क्या ईडी, जिसकी पहल पर पासपोर्ट को निरस्त किया गया था, के साथ इस मामले में सलाह की गई थी? श्री ललित मोदी को एक नया पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया? सरकार द्वारा इस मामले में फाइल में की गई नोटिंग को सार्वजनिक किया जाए। फाइल में क्या लिखा है, उसे सार्वजनिक होने दीजिए। इसीलिए हमने आरटीआई दी थी। उस नोटिंग में क्या है, आपने वह भी नहीं बताया। आपने यूके के साथ क्या कौरेसपॉइंडेंस किया, वह भी नहीं बताया।...(व्यवधान)

मेरा पांचवा प्रश्न यह है कि पासपोर्ट यात्रा करने का एक दस्तावेज है। विदेश में रुकने के लिए उस देश का वीजा अथवा परमिट लेने की जरूरत होती है। क्या भारत सरकार द्वारा यूके सरकार के साथ इस आपत्ति को उठाया गया कि श्री ललित मोदी, जिन्होंने ईडी के सम्मुख पेश होने से मना कर दिया, को लम्बे समय तक वीजा अथवा रैजिडेंसी परमिट कैसे दिया गया? आपको इसका जवाब भी देना होगा कि उन्हें रैजिडेंसी परमिट कैसे दिया गया।...(व्यवधान)

छठा प्रश्न है कि अभी श्री ललित मोदी के पास भारतीय पासपोर्ट है। भारतीय कानून के अनुसार वह भारत के नागरिक हैं। चूंकि ईडी द्वारा जारी सम्मन को लागू कराने के लिए एक नया पासपोर्ट जारी किया गया है, सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, यह भी सदन को बताना होगा, लोगों को भी बताना होगा।

मेरा सातवां प्रश्न यह है कि श्री ललित मोदी के आरोप कि यदि वे भारत लौटते हैं तो उनके जीवन को खतरा है, यह उन्होंने ट्विटर पर दिया है, मैंने पेपर में भी पढ़ा है। क्या एनडीए सरकार एक भारतीय नागरिक जिसे ईडी की जांच में पेश होने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती?...(व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूँ कि जो घोटाले में फंसा हुआ है, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो काला धन लेकर गया है, भगोड़ा है, उसे अगर आप यहां नहीं ला सकते, बार-बार दूसरों की बात करते हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए।

मैंने अभी जो सात-आठ प्रश्न उठाए हैं, उनका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं क्योंकि इस केस में जो इन्चॉल्व हैं, अगर वे उत्तर देंगे तो हमारी बात का समाधान नहीं होगा और देश को भी यह मान्य नहीं होगा।...(व्यवधान) इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर और श्री ललित मोदी में क्या अंडरस्टैंडिंग है, यह भी

बताना होगा। आपको इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि आपने पहले जो स्टेटमेंट दिए हैं, मैं उसके तहत पूछ रहा हूँ। वहां के एमपी के बारे में भी, जो कहा है, वह भी बताना होगा। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने कान बंद कर लिए, आंख बंद कर ली और मुंह भी बंद कर लिया। यह मुश्किल हो गया है। अगर इस बारे में बाहर और अन्दर स्पष्टीकरण दिया जाता इतना एजिटेशन नहीं होता, अब इनसे खता हो गई। ललित मोदी ने और क्या किया? ... (व्यवधान) राजस्थान की मुख्यमंत्री के बारे में ललित मोदी ने यह भी यह भी बताया कि मेरे और ...* से मेरी दोस्ती पिछले 30 सालों से है।

माननीय अध्यक्ष : नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वर्ष 2011 से वह यूके में है।

HON. SPEAKER: The name will not go in the record.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please take your seats.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। मैंने कह दिया है कि नाम नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I know it, and I have already said it.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, ललित मोदी ने खुद ही बताया कि* से पिछले तीस वर्षों से संबंध हैं।

HON. SPEAKER: The name will not go in the record.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने भी उनकी मदद की थी। वर्ष 2011 में ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप भी नियम जानते हैं नाम नहीं लिया जाता है, जो संसद का सदस्य नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आप बहुत होशियार हैं, आपके नेता बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, मैंने एक्सपंज करा दिया है। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह बताना जरूरी है कि वर्ष 2011 में यूके में रेसिडेन्सी परपस के लिए यूके बॉर्डर एजेंसी को जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें चार लोगों के हस्ताक्षर थे उनमें से एक...*(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यह विषय से संदर्भित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, जो आवश्यक नहीं है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, आप एडजर्नमेंट मोशन से संदर्भित बात कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यू.के. बार्डर एजेंसी को जो एप्लीकेशन दी गई उसमें चार लोगों के हस्ताक्षर थे, उसमें एक चीफ मिनिस्टर ने एक कंडीशन भी लिखा है ... (व्यवधान) यह उन्होंने कहा है।... (व्यवधान) ऐसा उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की। ... (व्यवधान) इतना ही नहीं, ललित मोदी को जो जान मिली, वह राजस्थान से मिली। ... (व्यवधान) वे क्रिकेट एसोसियेशन के चेयरमैन बने, उसके लिए वहां जगह बना कर दी गयी, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। ... (व्यवधान) व्यक्तिगत उनके खिलाफ नहीं हूं। ... (व्यवधान) जो संस्था है, उनको इतना बड़ा बना दिया ... (व्यवधान) चार-पांच सौ हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने के लिए उन्होंने मदद की। ... (व्यवधान) इतना ही नहीं, ललित मोदी जो इकोनॉमिक अफेन्डर, जो चोरी करके भागा, उसे पद्म-विभूषण देने के लिए भी उन्होंने रिकमंड किया। ... (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि एक कम्पनी, ललित मोदी की कम्पनी जो मॉरिशियस में एग्जिस्टन्स में नहीं है, उस कम्पनी के थ्रू यहां पर, अब सदस्य भी यहीं हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं ... (व्यवधान) दुष्यंत सिंह जी भी यहां हैं। ... (व्यवधान)

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Madam, I am on a point of order. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is it? What is your point of order?

... (*Interruptions*)

* Not recorded.

DR. KIRIT SOMAIYA : Sub-clauses (iii), (iv) and (v) of Rule 352 says,

“A member while speaking shall not—

(iii) use offensive expressions about the conduct or proceedings of Parliament or any State Legislature;

(iv) reflect on any determination of the House except on a motion for rescinding it;

(v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;”

Now, the Chief Minister falls under the category of ‘high authority’. She is the Chief Minister of Rajasthan. He is making allegations against the Chief Minister of Rajasthan, whereas sub-clause (v) says, “A member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms.” ...

(Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have given notice of the Adjournment Motion. मैं मोदी गेट के बारे में बात कर रहा हूँ and everything is involved in that.

...(व्यवधान) इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ...*की कम्पनी, जिसमें 11 करोड़ 63 लाख रुपये लगाये गये हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किरीट जी, आप बैठिये। मैंने बोला है कि वे नाम नहीं लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह खुलासा उसके सहयोग की जांच में हुआ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह इश्यू बहुत बड़ा है। ...(व्यवधान) यह कम्पनी जो अस्तित्व में काम नहीं कर रही ...(व्यवधान)

* Not recorded.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Madam, I am on a point of order. ...
(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, फिर भी समय तय है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जो डिफेंक्ट कम्पनी है, उस कम्पनी से पैसा मंगाकर दस रुपये का शेयर 96 हजार रुपये में ...(व्यवधान) जो बिजनस नहीं करती, जो काम नहीं करती, अगर उसे खरीदते हैं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप समय तय कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, यह इम्पोर्टेंट इश्यू है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You have taken more than one hour.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ईडी के एक सूत्र के मुताबिक ललित मोदी की फर्म- Anand Heritage Hotels Private Limited को मॉरिशियस की कम्पनी Wilton Investment Limited से मिले 21 करोड़ रुपये की जांच के दौरान यह पता चला कि इस राशि का एक हिस्सा ...* की फर्म Anand Heritage Hotels Private Limited को दिया गया।

HON. SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge, you should not make any allegations. ऐसा नहीं होता।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो एलीगेशन, ऐसे नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने जो विषय दिया है, उसी के संदर्भ में बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडजर्नमेंट मोशन का जो विषय है...

...(व्यवधान)

* Not recorded.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am not alleging anything. ... (*Interruptions*)

This is what the Income-Tax Department said. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या सब लोग बोलेंगे?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ जो डिफ़ॉक्ट कंपनियाँ हैं, कोई होटल का काम नहीं करती, ... (व्यवधान) अस्तित्व में नहीं है, अगर दस रुपए का शेयर अगर 96,000 रुपए में बेचा जाता है तो आप बोलिए कि उसे क्या कहेंगे? ... (व्यवधान) यह घोटाला नहीं तो क्या है? ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow him. I know.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है कि नियम 353 में एलीगेशन्स नहीं होने चाहिए। यह मुझे भी मालूम है। दुष्यंत सिंह जी बोलेंगे, उनको जो बोलना है... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने... (व्यवधान)... (*Interruptions*)... *

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, जो मर्यादा है, उसी में बोलिए। एलीगेशन्स नहीं लगाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने पहले कुछ बोला है। आप क्यों एलीगेशन लगा रहे हैं।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं एलीगेशन नहीं लगा रहा हूँ।... (व्यवधान) What Shri Arun Jaitley ji said. He himself said that he is present. He said that the transaction between Shri Lalit Modi and Shri Dushyant Singh was merely a commercial transaction between two individuals. He himself has said this. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You have been speaking for 55 minutes. कम्पलीट कीजिए। It is already one hour. I am sorry. Shri Kharge ji, you have been speaking for almost one hour.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप अपने एडजर्नमेंट मोशन के विषय में बोलें।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You cannot take that much time. It is already one hour.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अब आप कम्पलीट करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं सदन में ज्यादा रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ मैं जेटली साहब की डिबेट बहुत सुनता हूँ। अरुण जेटली साहब ने खुद कहा है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

... (व्यवधान) ... *

13.44 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

* Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। क्या हो गया?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष जी, इनको बिठा दीजिए, ऐसे करेंगे तो हमें फिर वही करना पड़ेगा।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

HON. SPEAKER: Let me see first. What is it?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I just do not know anything. How can I say? What is all this? You do not want any debate?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry, I will have to see. I just do not know. I have already said nothing will go on record. I do not know. I will go through the record. How can I know? ... (Interruptions)

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : यहां बैठे हुए लोग यहां बैठे-बैठे चिल्ला रहे हैं और उधर से आप चिल्ला रहे हैं।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I must know what happened. Mr. Kharge, are you completing now or not?

... (Interruptions)

* Not recorded.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, he should apologize for what he said. ... (*Interruptions*) We cannot leave it like this. ... (*Interruptions*) No, it cannot be done. It should be expunged. He should apologize. उन्हें माफी मांगनी चाहिए।... (ब्यवधान)
उन्होंने जो कुछ कहा, वो पहले माफी मांगे।... (ब्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2:45 p.m.

13.46 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.46 hrs.

*The Lok Sabha reassembled at Forty Six Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Speaker in the Chair)

MOTION FOR ADJOURNMENT

Reported involvement and admission of a Union Minister in assisting a fugitive and stand taken by the Government - Contd.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी, चर्चा के दौरान उधर से सोनिया गांधी जी के बारे में दो-तीन सदस्यों ने आपत्तिजनक बात कही। अगर वह बात रिकार्ड में है, तो उसे रिकार्ड से निकाल देना चाहिए। जिन सदस्यों ने कमेंट किया है, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि एक नेता के खिलाफ कोई भी कुछ भी कमेंट करे तो हम उसे सहन करने वाले नहीं हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो भी ऐसे कमेंट्स हैं वे रिकार्ड में नहीं जाएंगे। मैंने कहा था कि जिसे मैं एलाऊ करूंगी, केवल वही बात रिकार्ड में जाएगी। जब आप बोलने के लिए खड़े हुए थे, यह बात मैंने तभी कह दी थी इसलिए कोई अन्य बात रिकार्ड में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि उधर से भी कमेंट्स आते हैं और उधर से भी कमेंट्स आते हैं। ऐसे कमेंट्स रिकार्ड में जाने का सवाल ही नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर कोई सदस्य ऐसे कमेंट्स करता है तो उसे माफी मांगनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कुछ रिकार्ड में नहीं गया है, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Speaker Madam, I agree with Shri Kharge that no Member, either on this side or that side, should make any allegation against other Members or even important leaders whether it is Congress President, BJP President or the Prime Minister of India. No Member has got a right to make allegations. I just inquired and I would like to tell you that there is nothing on record. If there is anything objectionable on record

about anybody, it should be removed. If it is not on record, we cannot even discuss it.

HON. SPEAKER: Yes, there is nothing on record. इस तरह के कमेंट्स तो किसी तरफ से भी नहीं आने चाहिए। मैं सभी को कह रही हूँ। आपका प्वायंट आफ आर्डर खड़गे जी की बात के बाद देखती हूँ। खड़गे जी, आप इस बात पर ज्यादा जोर मत दीजिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने बहुत-सी बातें सदन के सामने रखी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बारे में भी मैंने सदन को बताया। उन्होंने इसका समर्थन भी किया कि ललित मोदी का इनवाल्मेंट है, जो पैसे मारिसिस से इस संस्था को आए, जिस फोरम में ... (*Interruptions*)* मैंने किसका नाम लिया है। वे एमपी यहीं बैठे हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी बार-बार बताया गया कि Rule 353 is also there. आप बिना नोटिस के एलीगेशन करो और फिर उन्हें भी बोलने का समय देना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, I am talking on 'Modigate'; I am talking on the Modi scandal. ... (*Interruptions*) ये सब चीजें उसमें हैं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You speak without taking names.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कोई फर्म हो तो बताएं, वह बात अलग है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please try to conclude now.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I will conclude in two or three minutes. मैं सत्य बोल रहा हूँ, असत्य नहीं। ... (व्यवधान) यह बयान मेरा नहीं है, यह जेटली साहब का बयान है। इसीलिए मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। ... (व्यवधान)

“The transaction between Lalit Modi and Dushyant Singh was merely a commercial transaction.” ... (*Interruptions*)

* Not recorded.

यह स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया। जब मॉरिशस की एक कंपनी से उनकी कंपनी को पैसा आया, तो यह बात उन्होंने ही कही कि यह उन दोनों के बीच की बात है, इसीलिए इसका सरकार से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा। ये किसके पैसे हैं, जो इनकम टैक्स ऑफेंस में इंवोल्व है यहाँ से आईपीएल में जो घोटाला किया गया, उनके पैसे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसे इंवेस्टमेंट कहिए न।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने इसमें इंवेस्ट किया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक आदमी 10 रुपये के शेयर को 96 हजार रुपये में यदि खरीदता है, तो आप भी उसे समझ सकते हैं और पूरी दुनिया समझ सकती है कि इसमें क्या है। ... (व्यवधान) किसको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने किया। यह बहुत महत्व की बात है।

लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ ... (*Interruptions*)... * मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ, इसीलिए ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं। हम इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन सारी चीजों में उनका इंवोल्वमेंट है और उन्होंने इसे पुष्टि दी है और प्रोत्साहन दिया है। हो सकता है कि बार-बार रिकॉर्ड में क्या है, पेपर्स में क्या है, फाइल में क्या है, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब खुद एडमिट करते हैं, *admission itself is proof. We need not prove it.* इसीलिए *it is a confession.* तो कंफेशन उन्होंने खुद ही किया। इसीलिए उनको राजीनामा देना चाहिए और *we demand her resignation.* इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी, जो हमेशा यह कहते हैं कि “न मैं खाऊँगा, न खाने दूँगा।” ऐसी बात हो रही है। आज वे ऐसी बात कर रहे हैं कि जो खा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम खाते जाओ, मैं देखता रहता हूँ। यह हो रहा है। दूसरी बात, हमेशा हाऊस में रहने की वजह से कभी-कभी यदि कोई अच्छी बात बोलते हैं, तो उसे मेरी लिख लेने की आदत है। जब यूपीए गवर्नमेंट में हम उधर बैठे थे, तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी इस जगह से यह बात बोली थीं। वे बोली थीं-

“न इधर-उधर की तू बात कर,
यह बता कि क्राफिला क्यूँ लूटा,
हमें रहजनों का गिला नहीं,
तेरी रहबरीपन का सवाल है।”

* Not recorded.

इसे आपने ही कहा था, तो जो रहबरी करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें आने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी है। मेरे जो भी सात-आठ प्रश्न हैं, उनका पूरा उत्तर प्राइम मिनिस्टर दें, उसके जो मेरा क्लैरिफिकेशन होगा, उसे हम पूछेंगे। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आज श्रीमती सुषमा स्वराज जी नैतिकता की दृष्टि से और उनका जो डायरेक्टली या इन-डायरेक्टली इंवोल्वमेंट है, उसके लिए उन्हें राजीनामा देना चाहिए।

आपने मुझे इतना लम्बा समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

HON. SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Shrimati Sushma Swaraj, just a moment. ...
(Interruptions)

As for the reference made by Shri Mallikarjun Kharge about the Prime Minister, it has no relevance at all. It has no relevance. ... (Interruptions) हमारे प्रधानमंत्री जी खाते नहीं और किसी को खाने देते नहीं, इनकी यही शिकायत है।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Let others speak and then let her reply. ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.... (Interruptions)

HON. SPEAKER: She can intervene. How can you say 'No'?

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : वह इंटरवीन कर सकती हैं, यह गवर्नमेंट की रिप्लाय नहीं है। No, you will have to sit. This is not fair.

... (Interruptions)

14.55 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: She is not replying. From the BJP side she is intervening. Reply will be given by the Finance Minister... (Interruptions)

HON. SPEAKER: She can intervene. She is intervening. She has full right to intervene. This is not fair. You go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

... (*Interruptions*)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : यह क्या तरीका है? आप लोग अपनी सीट पर जाइए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी जगह जाइए। ऐसे बात नहीं बनती है कि अपनी बात बोलकर आप चले जाओ। अपनी बात बोलो और गड़बड़ करो। This is not fair. She can intervene.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing, except whatever Shrimati Sushma Swaraj says, will go on record because she can intervene from her Party's side. She is intervening and she has every right. Please go to your seats.

... (*Interruptions*)*

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: If you do not want to listen, you can go out but this is not the way. You are disturbing the House every now and then. This is not fair. I am asking all the Leaders. This is not the way. You are disturbing the House. She has every right. Yes, Sushma ji.

... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जस्टिस तभी होगा कि जिस पर आरोप लगे हैं, उसे बोलने का मौका दिया जाए।... (व्यवधान) अन्यथा जस्टिस कैसे होगा।... (व्यवधान) जस्टिस तो मुझे चाहिए।... (व्यवधान)

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली) : एक घण्टे खड़गे जी सुषमा जी के खिलाफ बोले हैं, ... (व्यवधान) इसलिए यह स्वाभाविक है कि अब खड़गे जी उसका उत्तर भी सुन लें। क्या खड़गे जी के जवाब इतने खोखले हैं, ... (व्यवधान) Are his claims so hollow that he is not willing to listen to her reply?... (*Interruptions*)

* Not recorded

HON. SPEAKER: I am sorry, this is not fair.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप वेल में से नहीं बोलेंगे।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. I am requesting Shri Kharge, as a Leader, to take all the Members back to their seats.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : एक घण्टे तक आपने जिन पर आरोप लगाया है, you will have to listen to her. I am sorry, this is not fair.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Mohammad. Salim, take your seat.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You can speak after her but now you will have to listen.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : मैडम स्पीकर, मैंने सुबह कहा था कि ये लोग अपना मौका लेकर बाद में साथ नहीं देंगे। ये लोग वही कर रहे हैं। ... (व्यवधान) मैंने सुबह भी कहा था आपको। ... (व्यवधान) आपको भी कहा है। ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। ... (व्यवधान) ये लोग एक महिला से इतना डर रहे हैं। ... (व्यवधान) क्यों? ... (व्यवधान) नियम 353 देखिए, आपने उनका नाम लिया है, अब उनकी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। ... (व्यवधान) धैर्य रखना चाहिए सुनने के लिए। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके, सदन की सेंस लेकर इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया। ... (व्यवधान) हालांकि वही हो रहा है, जिसकी हमें शंका थी। मेरे साथी मुझसे कह रहे थे कि तुम पहल मत करो चर्चा की, ये लोग खुद बोलेंगे और तुम्हें सुनने नहीं देंगे।

15.00 hrs.

लेकिन मुझे विश्वास था कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि मैं अपनी बात कह सकूँ। पहले ही दिन दोनों सदनों में मैंने कह दिया था कि मैं बोलना चाहती हूँ, अपनी स्थिति स्पष्टकरना चाहती हूँ, लेकिन चर्चा स्वीकारी नहीं गई। मुझे लगा कि सत्र समाप्ति से एक दिन पहले दोबारा कोशिश करके देख लूँ। हालांकि आपने स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था, तो भी मैंने आपसे निवेदन किया और आपने कहा कि मैं हाउस की कंसंस ले लेती हूँ। उसके बाद आपने इसे स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छी तरह से चर्चा चल रही थी। हमने खड़गे जी की पूरी बात सुनी। मैं यह अपेक्षा करती हूँ कि ये मेरी भी बात सुनें। ये नारा लगा रहे हैं - वी वाँट जस्टिस, जस्टिस तो मैं मांग रही हूँ। आपने जो आरोप लगाया, उसके बारे में अगर आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनेंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा।

अध्यक्ष जी, इसलिए ये शोर करते रहें, तो भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। अध्यक्ष जी, खड़गे जी कह रहे थे कि मेरी इन्वॉल्वमेंट भी है और मेरा एडमिशन भी है। वह कह रहे थे, मैं बार-बार कहती हूँ कि मैंने गलती नहीं की। मैं आज भी कहती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैं इस बात को दोहराती हूँ। जिसे वह एडमिशन कहते हैं, वह एडमिशन मैंने आपके सामने किया था। मैंने क्या कहा था,

“कि अगर एक ऐसी महिला की मदद करना, जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैसर से ग्रसित है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है और आपरेशन कराने के लिए पुर्तगाल जा रही है, वह ऑपरेशन जीवन घातक है। अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह कबूल करती हूँ।”

यह मैंने कहा था। उसे ये मेरा सिर्फ गिल्ट कह रहे हैं। ये जरा पढ़ें उसे कि मैंने क्या कहा था। जहां तक ताल्लुक है इस बात का, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना या दिलवाना, यह तो मेरे विचाराधीन ही नहीं था। मेरे विचाराधीन तो इतना ही विषय था, “कि अगर ब्रिटिश सरकार उसको यात्रा दस्तावेज दे देती है, देने का फैसला कर लेती है तो क्या हम दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे?” उस पर मैंने कहा, जो मौखिक संदेश भिजवाया -

“The British Government should examine the request of Lalit Modi as per British rules and regulations. If the British Government chooses to give travel documents to Lalit Modi that will not spoil our bilateral relations.”

यही उन्होंने किया भी। मैंने उस दिन यू.के. होम ऑफिस का एक संदेश पढ़कर सुनाया था, जिसमें यू.के. होम डिपार्टमेंट ने कहा -

“The UK Home Department on Monday claimed: ‘Travel documents issued to IPL boss, Lalit Modi, to travel to Portugal to assist his ailing wife was determined in accordance with the appropriate rules.’”

ब्रिटिश सरकार जब यह कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं तो फिर मुद्दा कहां रह जाता है। एक नॉन-इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? जब यह तय हो जाता है कि वह नियमों के अनुसार दिए गए थे, तो बाकी के सारे तर्क निरर्थक हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो विषय ये उठा रहे हैं...(व्यवधान)

आज खड़गे जी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग उसके वकील हैं इसलिए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अध्यक्ष जी, मैं यहां खड़े होकर कहना चाहती हूँ कि मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में वकील नहीं थे। जहां तक मेरी बेटी का सवाल है, मेरी बेटी नौवें नंबर की जूनियर थी। मैं इस केस की एपियरेंस लिस्ट लाई हूँ। इस एपियरेंस लिस्ट में 11 वकील हैं। पहले हैं मि. पराग त्रिपाठी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिनको उसने वकील किया, जिसका वह क्लाइंट बना। उसके बाद अनुप घोष, ऋषि अग्रवाल, स्वदीप भूरा, मेनका, अभिषेक सिंह, रोहित गुप्ता, उमंग गुप्ता और नौवें नंबर पर बांसुरी स्वराज है...(व्यवधान) कुणाल बाहरी और फिर एक है...(व्यवधान) नौवें नंबर के जूनियर को कोई एक पैसा भी देता है? एक रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस केस की वकालत के लिए हासिल नहीं किया...(व्यवधान) वह अपने सीनियर के साथ अपीयर हुईं। वह जूनियर है, वह भी नौवें नंबर की...(व्यवधान) लेकिन कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यह मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है, जब पी. चिदंबरम जी वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी ...* को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकालत...(व्यवधान) पी. चिदंबरम जी वित्त मंत्री होते हैं और ...* को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकील नियुक्त करता है और जब राज्य सभा में विषय उठता है, अन्नाडीएमके के एन. ज्योति इस विषय को उठाते हैं तो चिदंबरम जी सदन में आकर स्वीकार करते हैं और क्या कहते हैं?...(व्यवधान) The Minister made a statement in this regard in the Lok Sabha. The Minister is Shri P.Chidambaram. He repeated what he said in the Rajya Sabha that he had no knowledge of the IT Department’s decision to appoint his wife as a special counsel until he received the notice submitted by AIADMK MP, M. Jyoti in this regard to the Chairman, Rajya Sabha. “I believe none of my respected colleagues in the House

* Not recorded.

would seriously think that had the matter been brought to my notice I would not have allowed to proceed her further” he said.... (*Interruptions*) यानी स्वीकार करते हैं कि यह हुआ है, लेकिन कहते हैं कि मुझे तब तक पता नहीं था, जब तक ज्योति जी ने बताया नहीं और कहते हैं कि मेरे साथी यह स्वीकार करेंगे कि मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता...(व्यवधान) यानी खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं...(व्यवधान) गुनाह स्वीकार करते हैं और खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं...(व्यवधान) एक बार नहीं, कनफलिक्ट इंटरैस्ट तब होता है, जब पी. चिदंबरम जी वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी ...* शास्दा स्कैम में, जिसकी फाइल वह वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उस शास्दा स्कैम में एक करोड़ रुपया लेकर के...(व्यवधान) तृणमूल कांग्रेस ने यह विषय उठाया था। Trinamool Congress on Thursday dragged Finance Minister Shri P. Chidambaram into the unfolding Sharada scam by questioning the payment of Rs. 1 crore to his wife by ...* the disgraced chairman of the Sharada Chit Fund. Moving aggressively to contain the political fall out from the unveiling of Sharda in which thousands had put in their money. Mamata’s Trinamool Congress asked Shri Chidambaram to clarify the links of his wife, Chennai based senior lawyer, ...*, with the Sharada scam.

मेरे केस में कोई कनफलिक्ट ऑफ इंटरैस्ट नहीं है। मेरे पति ने एक नया पैसा इस पासपोर्ट केस में ललित मोदी से नहीं लिया...(व्यवधान) मेरी बेटी नौवें नंबर की जुनियर थी, एक नया पैसा उसे इसमें नहीं मिला...(व्यवधान) मेरा कनफलिक्ट ऑफ इंटरैस्ट नहीं है। कनफलिक्ट ऑफ इंटरैस्ट पी. चिदंबरम जी का है, जब उनकी पत्नी ...* पैसा लेती है...(व्यवधान)

दूसरा सवाल, मुझ से सात प्रश्न खड़गे जी ने किए हैं। उन सातों प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं इनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जवाब देना चाहूंगी जो वह बाहर खड़े होकर बोले।...(व्यवधान) कभी कहते हैं कि सुषमा स्वराज ने क्रिमिनल एक्ट किया है। क्रिमिनल एक्ट, एक भगौड़े को साइन करके दे दिया। अभी-अभी अरुण जी ने बताया कि वह भगौड़ा नहीं था...(व्यवधान) किसी कोर्ट ने ललित मोदी को फ्यूजिटिव या एबस्कोंडर या भगौड़ा घोषित नहीं किया हुआ है। साइन करके दे दिए। क्या साइन करके दे दिया? आप बाहर खड़े होकर आरोप लगाते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइये सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को क्या साइन करके दे दिया। अभी खड़गे जी कहते हैं कि इनके परिवार के संबंध हैं, उन संबंधों के कारण यह मदद की गई। इसे अंग्रेजी में कहते हैं - *quid pro quo* क्विड प्रो को का मुझ पर आरोप लगाया है और राहुल गांधी कहते हैं कि चोर आते हैं तो छुप-छुप कर आते हैं, सुषमा जी ने जो काम किया है, वह छुप-छुप कर किया है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप-छुप कर नहीं किया है। अगर छुप-छुप कर किया तो क्वात्रोची को भगाने का काम आपने किया।...(व्यवधान) अगर छुप-छुप कर कोई काम किया तो राजीव गांधी की

* Not recorded.

सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया...(व्यवधान) यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रही हूँ, यह इनके अपने मुख्य मंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की आटोबायोग्राफी है, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के केवल मुख्य मंत्री नहीं थे, उसी पद पर थे, जिस पर आज राहुल गांधी हैं। वह कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय मां-बेटा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं होते थे। कोई न कोई व्यक्ति और होता था। ...(व्यवधान) यह किताब है, इस आटोबायोग्राफी में उस एंडरसन के भगाने का जिक्र है।

अध्यक्ष जी आप मध्य प्रदेश की हैं, आप भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हैं। यूनियन कार्बाइड की कंपनी से रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ। 15 हजार लोग मर गये, कितने - 15 हजार लोग मर गये।...(व्यवधान) चार दिन बाद एंडरसन वहां आए, मुख्य मंत्री, अर्जुन सिंह ने उनको अरेस्ट के वारंट दे दिये। राजीव गांधी चुनाव के लिए तभी वहां पहुंचे, उनसे पूछा, आपने एंडरसन को अरेस्ट क्यों कर लिया? मुख्य मंत्री ने कहा कि इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैंने अरेस्ट किया है। मैं यहां से इन चार लाइनों को पढ़ती हूँ।

Arjun Singh is talking to Rajiv Gandhi. He says:

“I emphasised the point that I had to order the arrest of Anderson to retain the confidence that the people had reposed on me. Rajiv heard me out quietly but made no comment. A little later, while we were touring, I received a wireless message from the Brahma Swaroop informing me that a top official from the Union Ministry of Home Affairs had rung him up repeatedly from New Delhi advising us to make sure that bail was granted to Anderson. After that, we were instructed to send him to New Delhi in a State plane.”

... (*Interruptions*) यह अर्जुन सिंह कह रहे हैं जब मैंने यह बताया कि मैंने उन्हें क्यों अरेस्ट किया था तो मुझे एक फोन और वायरलैस मैसेज आया और कहा कि उसकी तुरंत बेल होनी चाहिए और उसे स्टेट प्लेन से वापस भेजें...(व्यवधान) आगे सुनिये, यह आप ही की किताब है, मुख्य मंत्री की किताब है।

“Early in the afternoon, Anderson was granted bail according to Indian law by the Bhopal District Magistrate. The DIG of Bhopal who was supposed to escort Anderson to the airport after instructions for his release was given was not in town. Consequently, this task had to be done by Swaraj Puri very discreetly.”

... (*Interruptions*) छुप-छुप कर, अरुण जी इन्हें बताओ डिस्क्रीटली की हिन्दी क्या होती है। यह अर्जुन सिंह कह रहे हैं।

“Swaraj Puri had done this job very discreetly. The media immediately did not get to know that Anderson had flown out of Bhopal at 1 p.m. to Delhi and then to the USA. It was only around 6 p.m. that the BBC reported this news which soon created a political storm.”

There was a huge hue and cry demanding to know why Anderson had been let off so lightly. Anderson had flown out of India never to return. ... (Interruptions) Anderson had flown out of India never to return. ... (Interruptions) यह सुषमा स्वराज नहीं कह रही है। ... (व्यवधान) यह कौन कह रहा है? यह इनके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं। यह तत्कालीन मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश कह रहे हैं कि छिप-छिप के एंडरसन को वहां से ले जाया गया और छह बजे भेज दिया गया, ताकि वह वापस न आ सके। ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, इसका खुलासा थोड़े दिन बाद हुआ। ... (व्यवधान) यह सौदा क्या हुआ था, वह पता नहीं लगा था। ... (व्यवधान) अर्जुन सिंह इसमें कहते हैं कि मेरे कान में राजीव गांधी ने कुछ कहा था, लेकिन वह राज़, राज़ ही रहेगा। ... (व्यवधान) मेरे साथ चित्ता में भस्म हो जाएगा। ... (व्यवधान) मैं बोलूंगा नहीं। ... (व्यवधान) लेकिन वह राज़ पता चला। ... (व्यवधान) वह राज़ कैसे पता चला? ... (व्यवधान) वह राज़ कब पता चला? ... (व्यवधान) छह महीने बाद वह राज़ खुला। ... (व्यवधान) वह राज़ क्या था? ... (व्यवधान) राजीव गांधी का एक बचपन का दोस्त, गांधी परिवार के घनिष्ठ मित्र का बेटा आदिल शहरयार अमरीका में 35 वर्ष के लिए जेल में बंद था। ... (व्यवधान) कोई छोटी-मोटी बात तो नहीं होगी, जब 35 वर्ष के लिए जेल हुई होगी। ... (व्यवधान) अब आप सुन लीजिए। ... (व्यवधान) The Rajiv Gandhi Government had allowed Anderson to flee as a *quid pro quo* arrangement with the United States on giving Presidential pardon to one Adil Shahryar. ... (Interruptions) ये *quid pro quo* यह वह राज़, जो अर्जुन सिंह अपने अंदर दफन कर के चले गए, वह राज़ छह महीने बाद खुला। ... (व्यवधान) Adil's father, Muhammad Yunus, former Indian Ambassador to Spain and long time Chairman of the Trade Fair Authority of India was close to Gandhi family. Adil, who was given a federal sentence of 35 years in prison for various crimes was given a Presidential Pardon by the United States President Ronald Reagan on June 11, 1985. ... (Interruptions) यह वह तारीख है, जिस दिन राजीव गांधी अमरीका पहुंचे। ... (व्यवधान) राजीव गांधी अमरीका पहुंचते हैं, 11 जून, 1985 को, छह महीने चार दिन के बाद उनके

बचपन के दोस्त मोहम्मद युनुस का बेटा, आदिल शहरयार को अमरीका के राष्ट्रपति क्षमा दान दे देते हैं एंडरसन के बदले शहरयार को छोड़ा कर भारत ले कर आते हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं यहां के माननीय सांसद, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का, दो-दो महीने आप छुट्टियां मनाते हैं। ... (व्यवधान) आप किसी दिन इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठ कर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए और मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि अकेले में बैठ कर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं, उनको पढ़ें और लौट कर पूछें कि मम्मा! क्वात्रोची के उसमें हमने कितना पैसा लिया था। ... (व्यवधान) और पूछें कि मम्मा! 15000 लोगों के हत्यारे को, एंडरसन को डैडी ने क्यों छोड़वाया था? ... (व्यवधान) और पूछें कि एंडरसन को छोड़ कर, शहरयार को ला कर उन्होंने यह *quid pro quo* क्यों किया था। खड़गे जी, मैं बताना चाहती हूँ जो *quid pro quo* आप कह रहे हैं, इसे कहते हैं *quid pro quo* जब एंडरसन को छोड़वा कर शहरयार को लाया जाता है। यह परिभाषा है *quid pro quo* .

सुषमा स्वराज ने कोई *quid pro quo* नहीं किया।... (व्यवधान) आप मुझसे सात सवाल पूछते हैं।... (व्यवधान) आपने मुझसे कहा कि चिदम्बरम की करॉस्पॉन्डेंस आप शायद क्यों नहीं करतीं, आप पब्लिक क्यों नहीं करतीं।... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी एम.ई.ए. को बताई हो तो मैं शायद करूँ।... (व्यवधान) आज मैं देश को बताना चाहती हूँ कि चिदम्बरम ने अपनी एक भी चिट्ठी एम.ई.ए. को नहीं दी।... (व्यवधान) और एम.ई.ए. को बाईपास करके वे चिट्ठी लिखते रहे अपने समकक्ष विदेश मंत्री (ब्रिटिश) को, जिसे चांसलर ऑफ एक्स्चेकर कहते हैं।... (व्यवधान) चांसलर ऑफ एक्स्चेकर को चिट्ठी लिखते रहे।... (व्यवधान) ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो इनके समकक्ष हैं, वहाँ ब्रिटेन में उसे चांसलर ऑफ एक्स्चेकर कहते हैं।... (व्यवधान) उसको इन्होंने पत्र लिखा।... (व्यवधान) जब उसका जवाब आया प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय में तब हमें पता चला कि चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी लिखी थी।... (व्यवधान) और क्या लिखी कि आप उसको डिपोर्ट कर दें।... (व्यवधान) चांसलर ऑफ एक्स्चेकर ने कहा कि कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है, आप एक्स्ट्रडिशन की रिक्वेस्ट डाल दें।... (व्यवधान) दोबारा फिर चिट्ठी लिख दी कि एक्स्ट्रडिशन नहीं चाहिए, डिपोर्टेशन चाहिए।... (व्यवधान) आप जानती हैं, देश की साख कितनी गिरी।... (व्यवधान) चिदम्बरम की चिट्ठी का जवाब तक देना गंवारा नहीं समझा वहाँ के वित्त मंत्री ने।... (व्यवधान) उसने वह चिट्ठी, वहाँ के वित्त मंत्री ने वह चिट्ठी विदेश मंत्रालय को दे दी कि यह तो ऐसे ही चिट्ठियाँ लिखता रहता है, अपने राज्य मंत्री को कहो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री को चिट्ठी लिख दें।... (व्यवधान) और यह चिट्ठी मेरे पास है, जो परनीत कौर को आई।... (व्यवधान) वित्त मंत्री की चिट्ठी

का जवाब उनके विदेश राज्य मंत्री अपनी समकक्ष परनीत कौर को देते हैं।... (व्यवधान) ओसबोर्न ने जवाब देना बन्द कर दिया, उनको लगा कि ये लगातार ऐसी ही चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं।... (व्यवधान) कौन सा पत्राचार, कौन सा करॉस्पॉन्डेंस... (व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : ऐसे इधर आना अच्छा नहीं है।... (व्यवधान) यह आप लोगों को शोभा नहीं देता है।... (व्यवधान) मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी जगह पर जाइए।... (व्यवधान) हमारी तरफ के सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ जाइए।... (व्यवधान) खड़गे जी, एक महिला मंत्री जवाब दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए।... (व्यवधान) आपके लोग यहाँ आकर कुछ हमला करें तो अच्छा नहीं होगा।... (व्यवधान) यह शोभा नहीं देगा।... (व्यवधान) आपके संसद सदस्य यहाँ आकर महिला मंत्री के सामने कुछ करें, वह अच्छा नहीं होगा।... (व्यवधान) आप उनको सलाह दीजिए।... (व्यवधान) उनको अपनी जगह पर जाने के लिए बता दीजिए।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को यह चिट्ठी वहाँ के चांसलर ऑफ एक्स्चेकर की हमें मिलती है तो हम हैरान होते हैं कि चिदम्बरम जी ने उसको कब चिट्ठी लिख दी।... (व्यवधान) 17 जुलाई को यह चिट्ठी हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि यह कौन सी चिट्ठी का जवाब है।... (व्यवधान) यह चिट्ठी चिदम्बरम जी ने कब लिख दी।... (व्यवधान) लेकिन उसमें उनके वित्त मंत्री लिखते हैं-

“For UK assistance to be provided in any criminal investigation, an extradition request should be made under the usual mechanisms for international judicial cooperation. We can then, of course, provide full assistance insofar as UK law will allow.”

अध्यक्ष जी, बार-बार यू.के. कह रहा है कि हमें एक्स्ट्रडिशन रिक्वेस्ट भेज दो, हम उसको वापस भेज देंगे।... (व्यवधान) लेकिन एक्स्ट्रडिशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते, डिपोर्टेशन की बात करते हैं।... (व्यवधान) और उसके बाद जब दोबारा यह चिट्ठी लिखते हैं तो वह अपने विदेश राज्य मंत्री को कह देता है कि तुम इसका जवाब दे दो, मैं जवाब नहीं दे सकता। तुमको तो आदत पड़ गई है चिट्ठियाँ लिखने की। उसके बाद प्रेणीत कौर का जवाब आता है। ... (व्यवधान) चिदम्बरम की चिट्ठी का जवाब प्रेणीत कौर को आता है। चिदम्बरम को उनका समकक्ष मंत्री चिट्ठी लिखना गवारा नहीं करता। उनको वे फिर लिखते हैं - My letter refers to the most recent correspondence from the hon. Minister of Finance, Mr. P. Chidambaram dated 20.8.2010 to the Chancellor of Exchequer requesting the deportation of Shri Lalit Modi and हम डीपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझसे खड़गे जी सवाल पूछते हैं कि उसे राइट ऑफ रैज़ीडेंसी कैसे मिला। अरे, कौन किससे पूछ रहा है भइया? राइट ऑफ रैज़ीडेंसी अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनने पर थोड़ी मिला। राइट ऑफ रैज़ीडेंसी तब मिला, जब तुम्हारी सरकार चार साल थी। ...(व्यवधान) यह सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि राइट ऑफ रैज़ीडेंसी उसे क्यों मिला यह आप मुझे आज बताओ। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? इसके बाद पूछते हैं कि अपील क्यों नहीं फाइल की गई? ...(व्यवधान) अपील इसलिए फाइल नहीं की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया था, वह इस कारण से खारिज हुआ कि ईडी चार साल तक निष्क्रिय रहा, उसने कोई कार्रवाई ललित मोदी के खिलाफ नहीं की। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह मैं जजमेंट में से पढ़ रही हूँ।

“That on the basis of the material available on record the consent of Section 16(3) of FEMA which was registered on 16.9.2010 has been followed by a Show Cause Notice dated 20.9.2010 which essentially requires the appellant to show cause as to why enquiry should not be held. The matter has not progressed beyond that stage. ”

शो कॉज़ नोटिस देने के बाद चार साल तक एक इंच भी केस नहीं खिसका। कौन दोषी है? In fact, nothing has been brought to our notice to indicate that the adjudicating authority has formed any opinion that an enquiry should be held or an enquiry should not be held. ...(व्यवधान) इसलिए अपील फाइल नहीं हुई क्योंकि आपने केवल शो कॉज़ नोटिस दिया। चार साल तक एक इंच भी कार्रवाई नहीं हुई और इस कारण से उन्होंने उसका पासपोर्ट वापस कर दिया। अब जब अरुण जी आए तब इन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की है। अब ये लोग कार्रवाई करेंगे तो कहीं दोबारा से केस चालू होगा। ...(व्यवधान)

मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक एम.ई.ए. का सवाल है, तीन तरह के केसेज़ होते हैं। एक केस होता है जो हम खुद फाइल करते हैं, जो पासपोर्ट का ऑफ़ेन्स होता है। उसमें अगर हम हार जाते हैं तो हम अपील करते हैं। एक होता है जहाँ ईडी एफ.आई.आर. करता है। वहाँ अगर हम किसी ईडी के कारण हार जाते हैं तो वह हमें कहते हैं अपील करो। ...(व्यवधान) तीसरा सीबीआई का होता है। अगर सीबीआई केस हार जाती है और हमें कहती है तो हम अपील करते हैं। सीबीआई दो केस कोयला घोटाले में हारी। कोयला घोटाले में सीबीआई ने हमें नहीं कहा।...(व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपील फाइल नहीं हुई आपके कारण। राइट ऑफ रैज़ीडेंसी उसे मिला आपके कारण। वह वापस क्यों नहीं लाया जा सका - आपके कारण, क्योंकि आपने एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली। आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने उसकी मदद की! ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं 38 साल से राजनीति में हूँ। जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है, वह तपस्या जैसी चीज़ होती है। ... (व्यवधान) आप साक्षी रही हैं मेरे राजनीतिक सफर की। एक तिल भर दाग नहीं लगा मेरे दामन पर, एक तिल भर दाग-धब्बा नहीं लगा। आज जीवन के इस पड़ाव पर आकर क्या मैं अपनी तपस्या भंग करूँगी? यह मुझसे किन चीज़ों का सवाल मांग रहे हैं? इन सारी चीज़ों के गुनहगार ये स्वयं हैं। खड़गे जी, आपके सातों के सातों सवाल का जवाब यह है। ... (व्यवधान) चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी मुझे नहीं लिखी, एम.ई.ए. को, जो मैं शायद करती। आपने एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली। यूके कहता रह गया, लेकिन आपने नहीं डाली। आपके ई.डी. ने कोई कार्रवाई नहीं की, चार साल तक वे चुपचाप करके बैठे रहे और क्यों बैठे रहे, यह भी बता दूँ। इस केस पर कांग्रेस नेतृत्व बंटा हुआ था। एक खेमा चाहता था कि ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरा खेमा चाहता था, नहीं हो। जो चाहता था कि कार्रवाई हो, उसका नेतृत्व चिदम्बरम स्वयं कर रहे थे। उस खेमे में और कोई नहीं था, वे अकेले थे। इसलिए वे कोई भी प्रक्रिया नहीं निपटाना चाहते थे। उन्होंने वित्त मंत्री, यू.के. का पल्ला पकड़ा कि डायरैक्टली खतो-किताबत करके, मैं डायरैक्टली कोरस्पोंडेंस करके केस को आगे बढ़ाऊँ। अगर वे ई.डी. को कहते तो नेतृत्व रोक देते। एक्सट्रैडिशन की रिक्वेस्ट डालते तो पता चल जाता, इसलिए अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला और आज भी इनको पट्टी वही पढ़ा रहे हैं, इनको गुमराह वही कर रहे हैं, ये सातों सवाल, जो खड़गे जी ने पूछे, चिदम्बरम ने लिख कर दिये हैं। वे मीडिया में भी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि संसद में खड़े होकर जवाब दूँ, जो कहते हैं न कि **the nation wants to know**. मेरा राष्ट्र यहां। यहां हर दल के प्रतिनिधि बैठे हैं, इसीलिए मैं बार-बार कह रही थी, यह सत्र नहीं निकलना चाहिए। मैं वेंकैया जी से कह रही थी, किसी भी विधा के तहत चर्चा करा लो, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दो, ताकि मैं बताऊँ, गुनहगार ये हैं, गुनहगार मैं नहीं हूँ।

चाहे आज मुझे शोर-शराबे में ही बोलने का मौका मिला, मैं चाहती थी कि इस सारी बात को शाइस्तगी से, शालीनता से यहां रखूँ, खड़गे जी अपने आप तो बोलकर चले गये और मेरे समय में इनको शोर-शराबा करने के लिए खड़ा कर दिया।

मैं आपकी धन्यवादी हूँ, कम से कम इनके शोर-शराबे में ही आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपना पक्ष रख सकी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I thank you very much for allowing me to put forth the views in the discussion on the Adjournment Motion initiated by hon. Kharageji.

Madam, generally speaking, in India, sporting fraternity needs more support for development as we have a population of more than 125 crores. Infrastructure development and training activities in the field of sports should go hand-in-hand for achieving laurels for our country in the world arena. ...
(Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Venugopalji, will you please yield for a minute?

DR. P. VENUGOPAL: Yes.

HON. SPEAKER: Venugopalji, why are you yielding? What is the matter?

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam Speaker, I am on a point of order. ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: What is the point of order? What is the rule?

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, क्या बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले रूल नम्बर बताइये। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके भाषण में भी बहुत बार हुआ।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Rule 352.... (Interruptions) There is a violation of Rule 352. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: 352 का कोई वायलेशन नहीं हुआ, बैठिये।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have gone through it. I know Rule 352.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: जो आपने बोला, उसका जवाब आया है, बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिये न।

DR. P. VENUGOPAL: Madam, it is a pride moment for all of us when we say Grand Master Viswanathan Anand remains the king in the field of Chess. We have many others in other fields of sports as well. It is pertinent to say here that besides Cricket, all other sports such as Kabaddi, Hockey, Football, Chess, Badminton, Tennis, Wrestling, etc. should be given equal importance. For the sake of infrastructure development... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Venugopal ji, one minute. Mr. Kharge.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, Rule 352 says, a member while speaking shall not—

- (i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;
- (ii) make a personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the *bona fides* of any other member of the House unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto.

See, the debate is not yet over. Reply is to be given by the Prime Minister. ... (*Interruptions*) She cannot give the reply.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: She can say. वह आपकी बातों का जवाब है। किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, Arun ji.

... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, Mr. Kharge has invoked Rule 352. When he was speaking, Dr. Kirit Somaiya invoked Rule 352 against the speech. ... *(Interruptions)* Every sentence of the speech will have to be disregarded because in the entire speech every aspect of Rule 352 has been violated by him. ... *(Interruptions)* You make allegations against the Chief Minister; that is against Rule 352.... *(Interruptions)* You make allegation against a Member; that is against Rule 352.... *(Interruptions)*

Even in your Motion, you name a person who is not a Member of the House; that is against Rule 352. You violate every tenet of Rule 352 and now you want to invoke Rule 352 against Sushma ji.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Venugopal ji, you carry on.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: No violation has been done. I have already said that.

... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : सभी उसी विषय पर बोल रहे हैं। आपकी बातों का जवाब दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

DR. P. VENUGOPAL: For the sake of infrastructure development and for encouraging sports activities, the Chief Minister of Tamil Nadu, hon. Amma had constructed world-class Nehru Stadium and has also made arrangements for holding the World Chess Tournament, both at Chennai.... *(Interruptions)*

Similarly, for motivating sportspersons, hon. Chief Minister of Tamil Nadu has been granting funds and extending housing facilities for them.... *(Interruptions)*

A classic example of Tamil Nadu Chief Minister's passion for helping the sportspersons is this. On seeing an article in the newspaper about a gymnast, by the name Sowmita Dey of Kolkata, suffering from neurological problems and affected by paralysis of the lower half of her body, hon. Chief Minister of Tamil Nadu had announced a cash assistance of Rs. 5 lakh for which I and my colleague Shri Senguttuvan, MP, went to Kolkata to personally handover the cheque and a

letter from the hon. Chief Minister, wishing her speedy recovery....
(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Venugopal *ji*, are you speaking on this Motion?

DR. P. VENUGOPAL: Yes, Madam. I am talking about sports only. ...
(*Interruptions*)

Basically, sports are for encouraging sportspersons and getting medals and laurels for the country. ... (*Interruptions*) It is not for gaining personal wealth and minting money.... (*Interruptions*)

Of late, cricket, especially IPL, is surrounded with controversies and corruption. ... (*Interruptions*) The IPL controversy has been on for quite some time now.... (*Interruptions*) The Government should have taken notice of this right then.... (*Interruptions*) Our view is that whoever committed mistake in the IPL Scam should be punished, however high and mighty he may be. ... (*Interruptions*) The guilty must be treated equally before law.... (*Interruptions*)

IPL became a money spinner for BCCI, which earned a surplus of Rs. 150.03 crore in 2011-12 and Rs. 261.43 crore in 2012-13, according to the Board's Annual Report.... (*Interruptions*)

The public of this country has a feeling that the cricket matches played under the banner of IPL are being misused for their own benefit, to amass wealth, and to convert black money into white.... (*Interruptions*) IPL has become synonymous with controversies since its inception.... (*Interruptions*)

In April 2010, soon after that year's IPL matches ended, the BCCI ousted Lalit Modi. In September 2013, he was banned for life from holding any administrative post in cricket after BCCI's Disciplinary Committee found him guilty on eight counts of indiscipline and misconduct in financial and administrative matters related to the IPL.

Lalit Modi has exploited the sentiments of lakhs and lakhs of cricket lovers and fans and earned a lot of ill-wealth. It is high time that the Government should take notice of this and act against him.

It appears that Lalit Modi has misused the travel documents to visit foreign countries. He applied for traveling abroad citing his wife's illness. One is not sure whether he is attending to his wife who is reportedly ill. If he really wanted to assist his wife, who is reportedly suffering from cancer, he should be by her side at the hospital. But it appears that he is spending his time in resorts. This shows his evil-intentions. He has diverted a lot of ill-gotten money, absconded himself and went abroad and settled.

Presently, the Enforcement Directorate has demanded Red Corner Notice against Lalit Modi so that he could be arrested and brought back to face trial here in India for financial impropriety. Since Lalit Modi is in the "Most Wanted List" of the Enforcement Directorate and the Government should not show any leniency to him. The Government should take stringent action against him. There were allegations of nepotism, abuse of authority and violation of rules. But the External Affairs Minister had also given a statement in Parliament clarifying her position on this.

The Government in its entirety - the Finance Ministry, the Home Ministry and the External Affairs Ministry - must look into this in all seriousness. The Government should not keep quiet by saying that the law will take its own course. The people of the country want some concrete action. Due procedure and legal process should be followed in all such cases where corruption and misuse of authority are alleged. It is time for the Government to regulate this field of sport and should act with an iron hand against gamblers who are involved in the illegal activities. The sports bodies should be free from politics.

I sincerely hope that the Government would take appropriate action in the future so that IPL is free from controversies and corruption charges. I further hope that the Government would take necessary action as it deems fit against Lalit Modi so that the air is totally cleared.

Thank you.

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Madam, I thank you very much for giving me this opportunity. This is a temple of democracy. This temple of democracy, as far as we are concerned in TMC, is perhaps much higher than all the temples which we go to. मैडम, इस मंदिर में चर्चा का कोई विकल्प नहीं है। I am not trying to be wiser. I have no doubt that all of us would share these sentiments and you have tried your best also to do it. But the fact is that I personally feel whenever it comes to corruption, TMC and our leader Mamata Banerjee has always been found to be fighting that. There is no question of this side versus that side. A lot of us are very senior Members of Parliament. Today, I can tell you that I am also pained as most of us would have been. I have been a Member of Parliament, Rajya Sabha from 1990. I have never seen this kind of acrimony and I hope and pray that this would be perhaps the last. Why do I say this? It is because these issues are very important. The entire country and perhaps the entire world is looking at India. We are very proud of our freedom. We are very proud of our democracy. The world's democracy is looking at India because in regard to stability of the world, India has taken a lead.

Madam, I am not digressing from the main subject. I would just come here and tell that my colleague and our Party leader, Shri Sudip Bandyopadhyay, in the All-Party Meeting and also in the meetings very kindly called by you several times to make sure that we get out of this impasse, suggested: "Please accept the Adjournment Motion notice and let us go ahead with the debate." Unfortunately that did not happen earlier.

Madam, there is another issue of Vyapam. Shri Sudip Bandyopadhyay and TMC have also given notices of Adjournment Motion on that issue, which is equally serious, and people also want certain clarifications.

Madam, I do not think that I need to really go any further because a lot of things have already been spoken about. I do not think that I have anything more to add to whatever has been spoken. But, 'yes', in conclusion I would like to tell you

that this is the highest temple, which I mentioned earlier, and in democracy no place can be higher than this august House and the Rajya Sabha.

Madam, we do not live by the legality. We live by the perception of the people of the country also. We have got to be equally concerned about what the perception is and what the propriety is. Legality is one thing; propriety is another. I do not think that it would be fair for me to say that we sit on somebody's judgment. The biggest court for us is the people of India. That is why, I say that this is what we live by perception and we are not sitting here on anybody's judgment but it is equally important that we debate the matters which are seized by the country like perhaps we are debating now with a very calm and silent state of affair. I just hope and pray that in future we will have the debates which the people of this country want to listen. I have not been honestly able to really make out and hear clearly what the hon. Sushma Swaraj ji ventured. But, Madam, after the reply of the Government, which I am sure would be forthcoming, our Party would again, if you again give me an opportunity, would speak on the subject.

Thank you very much for having given me this opportunity.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, after so much of sound and fury, I hope that something will come out of it and most of us who are seated here will be more educated because education tempers our motivation to understand the scheme of things.

Yesterday, we saw that famous enactment of Chanakya, and there, one thing struck me. That statement was: “Do not be committed to a person; do not be committed to a family; be committed to the nation.” Individuals may excel; individuals can also be benevolent despot; individuals can also become demoniacs; and families have ruled a large part of this world for many long period. Ages have been declared in their names. But there are many who are committed for the development of the nation. When our countrymen, the illiterate people, were fighting against the mighty British Empire, they were not committed to a single person; they were not committed to a single family. They were committed for the development and progress of this nation.

Whenever I am standing here in this august House, whenever I am going to express my party’s view, I always look up to the Chair and also those lines, which are engraved there. At times I wonder, is it glowing? Is the light on? Sometimes I feel, it is a bit shaded. What does it portray? It portrays “*Dharmachakra Pravartana*.” It says righteousness; the wheel of righteousness will prevail. When I am saying something in this House, I believe that whatever acrimony may happen, there are people in this House, who can jump to the Well and come out unscathed. But many of us in our party, do not have that talent to jump to the Well and come out unscathed!... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You have that expertise, Congressmen!... (*Interruptions*) You have that expertise, which I feel... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please. This is not fair.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है, सब टोका-टाकी कर रहे हैं।

... (ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

... (ब्यवधान)

HON. SPEAKER: Have patience. He is not speaking for anybody else.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, at times, perception also is very deceptive... (*Interruptions*)

श्री भर्तृहरि महताब : मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी पार्टी की बात कह रहा हूँ। हमारी यह दक्षता नहीं है कुंए में कूदना और सुरक्षित आ जाना। अगर किसी में यह दक्षता है तो उन्हें मुबारक है। हमारे लिए यह दक्षता का मापदंड नहीं है। हम यहां आज जिस विषय में चर्चा करने के लिए खड़े हैं... (ब्यवधान) मैंने भी कई बार यह समझकर नोटिस दिया था कि मानसून सेशन में ये चीजें चर्चा के लिए आएंगी।

Through some Resolutions, repeatedly I had also pleaded, Madam, that this needs to be discussed because it is there in public domain. A lot of things are being said from this side and from that side. It should be discussed in the House. After all, this is the House where concerns of the country need to be deliberated. But for some reason or the other, it was not happening.

First, it was said: "First resignation, then discussion." Today, the initiator of this Adjournment Motion, while concluding his speech, said: "We also demand resignation." Whether it will happen or not, whether they will concede or not, whether tomorrow, the House will function or not, is something for posterity. But I would like to refer here, Madam, to two Reports. One is the Report of the Standing Committee on Finance of 2010-11. This was placed in this House in the month of August, 2011. It is Report No. 38. It is Tax Assessment, Exemption and Related Matters concerning IPL-BCCI. I will come to this Report later. Here, the Chairman of the Committee was Mr. Yashwant Sinha. There is another Report.

That is also Tax Assessment, Exemption and Related Matters concerning IPL-BCCI. This is the 1st Report of November, 2014 and it is an Action Taken Note. Here in 2014 Mr. Veerappa Moily is the Chairman of the Standing Committee on Finance. These are the two Reports. The first is the general report and the second is the Action Taken Note concerning this Report. This deals with IPL and BCCI. I will quote here:

“The Committee are inclined to conclude that the fair name of a much loved sport in the country—about which Dr. Venugopal was mentioning—which is known as a ‘gentlemen’s game’ should not have been allowed to get sullied and embroiled in transgression of law, ‘off the field’.”

This Report discusses and comments upon the specific issues in the succeeding paragraphs. I am not reading the full Report. But towards the conclusion, on the observations and suggestions, the Report says,

“The Committee also note that most of the decisions taken by the Chairman were ratified *post facto* by the IPL Council. When closely questioned—and I have to name because it is there in the Report—Shri Shashank Manohar, President, BCCI admitted before the Committee that the cheques were not signed by Shri Lalit Modi but were signed by the Treasurer, Shri N. Srinivasan and subsequently by Shri Pandove who took over from him as Treasurer. Shri Srinivasan admitted before the Committee in the following words:-- and I am just mentioning here one line-- “We were taken for a ride”.”

I think this is the property of the Parliament. The onus lies with us to go through this Report. The onus lies with us to go through the Action Taken Note which the Finance Committee had submitted under the Chairmanship of Mr. Veerappa Moily, and from that Report I read the operative paragraph of the Action Taken Note. This is a Report submitted in November, 2014.

“The updated status furnished in the successive replies of the Government are indicative of a marked absence of seriousness in the approach towards this crucial case. Even going by the submission of the Government that a period of 21 months from the end of assessment year in question, one can see that things are yet to culminate fully in the context 2009-10, 2010-11 and 2011-12.

The Committee further are surprised to note that Income Tax Department was unaware of the amendments made by the BCCI in their rules and regulations on 1.6.2006 and 21.8.2007 and that Department came to know about it only after March, 2008, when the news about commercial auction of IPL franchise and related issues including tax evasion became public...”

I need not go through all this. It was only a single Income Tax Officer who stood against a group of persons. A single Income Tax Officer repeatedly said that here violation of law is taking place. The Finance Committee of our Parliament took it up. Subsequently, others took it up. And, here I am reminded of a book, ‘Thieves of State’ and this book is written by Sarah Chayes. Here I would like to mention this:

“The Prince ought to inspire fear in such a way that, if he does not win love, he at least avoids hatred... This he can always do if he abstains from the property of his citizens and subjects, and from their women.”

This is a quotation from the famous book, ‘The Prince’ written by Machiavelli.

16.00 hrs.

Many of us feel that Machiavelli was in support of feudal structure, but those who are students of history know very well that Machiavelli was an ardent believer in representative government and had spent more than a decade in the service of Florence’s short-lived republic. But that is not the issue here. The issue here is what he said. I further quote:

“Piety, for example, fear of God, mercy and generosity were predictable – if perhaps unappetizing – fare. Machiavelli deliberately played the contrarian. It was acceptable, he wrote, even beneficial, to be mean, not generous, to be harsh, not merciful. Those more bitter

qualities, he contended – if properly understood and embodied – could keep realms secure and princes from perdition.

But there was one vice that Machiavelli admonished his reader to shun if he cared to prolong his reign: theft of his subjects' possessions.”

प्रजा की सम्पत्ति का दुरुपयोग न करना, प्रजा की सम्पत्ति को सुरक्षित रखना, प्रजा की सम्पत्ति को कोई एक व्यक्ति विशेष, जिसके बारे में ... (व्यवधान)

That is the problem that people fail to understand how you protect the interest of the people. We are representing the people in this House. We are entrusted to protect the interest of the people here. In that respect, I say, Madam, that it is corruption which goes into the body politic to make our democracy weak and it is corruption which has through the last so many years actually weakened our intelligence. And, it is still weakening us again and again.

The weakness that was there in the Nanda Dynasty, about 2,300 years back, attracted a foreigner to attack our nation because the concept of nationhood was not there. We were fighting amongst ourselves. We have greater challenges to meet in this world. We have to fight against hunger; we have to fight against poverty; and we have to fight against those people who are eating into the basic structure of our democracy. Biju Janata Dal fought against corruption and that is why, since 2000 repeatedly the people of Odisha have elected Shri Naveen Patnaik and Biju Janata Dal as their representative to serve the people of the State. That is the reason why we could withstand the thunder from the North. That is why, I believe, West Bengal also could withstand the progress of BJP. That is why, we think, AIADMK in Tamil Nadu also could withstand it.

We have to understand that people sitting here are in a different move. It is the perception. That is why, I always repeat that we are here to serve the people. The Government is here to serve the people. The BJD will fight anyone, who indulges in corruption, tooth and nail.

Here is a case, Madam, which needs appropriate action from the Government side. Appropriate action has just started. Why had it not started during the last so many years despite two Reports? Despite a very authentic full-fledged Report of 2010-11 which was submitted in this House in August, 2011, what action was taken? As it is said in some Channel 'Nation wants to know'. I think that we all need to know. I am thankful to Mr. Kharge as he steadfastly stood his ground and made this Adjournment Motion a thing to be discussed. I also thank Shrimati Sushma ji that she accepted this challenge. This could have been done a week earlier. Of course, she made an attempt by placing her statement here in this House. ... (*Interruptions*) I was enquiring. ... (व्यवधान) अगर आपको मालूम है तो ज़रा मुझे बता दीजिए कि दिल्ली से लंदन तक कितने मील की दूरी है। कोई वहां बैठा है, ट्विटर कर रहा है, फेसबुक में बता रहा है और हमारे यहां टिमिड लोग उसी के ऊपर डांस कर रहे हैं। We should all be aware of the temerity of that person. The timidness of some should also be exposed. ... (*Interruptions*)

With these words, Madam, I would express my Party's viewpoint that we are against corruption and corruption is before us. We have to fight it out for the benefit of this nation. Thank you, Madam.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष नेता खड्गे जी काम रोको प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो तड़प जाती है। ऐसे ही चार हफ्ते कांग्रेस वाले, जो सत्ता के आदी हैं, तड़प रहे हैं। ... (व्यवधान) एक कहावत है - नौ सौ चूहे खाकर बिजली हज को चली। जो करप्शन के आदी हैं, उनको दूसरे में भी करप्शन दिखता है। सुषमा दीदी ने पहले दिन से कहा कि बाहर जो चर्चा मीडिया में है, पेपर में है, उसके बारे में मुझे स्टेटमेंट देना है। इनको पता है कि वह क्या स्टेटमेंट दे सकती हैं, वह स्टेटमेंट न दें इसलिए हंगामा चालू था। मानसून सत्र शुरू होने से पहले जब सब नेताओं की मीटिंग बुलाई गई, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी वहां थे, तब यह सबने मान लिया था कि सत्र में काम चले। लेकिन जब सत्र शुरू हुआ तो सीधा हंगामा रेजिगनेशन की बात पर शुरू हुआ। सदन में बाकी राज्यों के चीफ मिनिस्टर का संदर्भ नहीं आना चाहिए था लेकिन उसके बारे में यहां प्लेकार्ड्स दिखाने शुरू किए गए। यानी जो 50 साल से ऊपर सत्ता में रहे हैं, उनको डिसिप्लेन सिखाना मुश्किल है। ये डिसिप्लेन के आदि ही नहीं हैं।... (व्यवधान)

मैं 20 साल से सदन में हूँ, सुषमा जी को मैंने और आप सबने देखा है। हमने उनका राजनीतिक करियर देखा है। जब वह इस सदन में बात कहने के लिए उठती हैं तब खड़गे साहब और उनके साथी बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। मैंने उनको सांसद के रूप में देखा है, मंत्री के रूप में देखा है, विपक्ष के नेता के रूप में देखा है। एक प्रभावी वक्तव्य कौन दे सकता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, पारदर्शी होता है। जिनका चरित्र अच्छा होता है, वह दे सकता है। हमारे जेडीयू के नेता आदरणीय शरद यादव जी का स्टेटमेंट है 'जहां तक मेरा ताल्लुक है, यानी सुषमा दीदी के बारे में उन्होंने बताया है कि 'अगर वह सौ खून भी करतीं तो हम उनको माफ करते।' ...(व्यवधान) वो हरेक के दिल में बैठी हैं। हमारे शिव सेना प्रमुख सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे जी का स्टेटमेंट था।...(व्यवधान) जब हमारे नरेन्द्र मोदी जी का नाम प्रधान मंत्री के लिए नहीं आया था, उसके पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि अगर देश में इंदिरा गांधी के बाद महिला पंत प्रधान बनने के काबिल कौन है तो वह सुषमा स्वराज हैं।...(व्यवधान) देशवासियों के मन में उनके बारे में ऐसा है।...(व्यवधान) देखिए, विषय बदलने की कोशिश मत करिए। यानी बाला साहेब के मन में भी यह बात थी। यह चुनाव के बहुत पहले की बात है। इसका मतलब यह है कि जो भी उन्होंने उनको देखा है, टी.वी. पर देखा है और प्रत्यक्ष मिलने के बाद भी सुना है तो ये उनके विचार थे। ...(व्यवधान) यह बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आज यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने सीने पर हाथ रखकर बोले कि सुषमा दीदी गलत हैं तो आपका दिल कभी साथ नहीं देगा। ...(व्यवधान) यह भी मैं बोलता हूँ। इसलिए जमकर उनका साथ देने के लिए और इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

मैंने अभी अभी एक कहावत बताई थी। सौ चूहे...(व्यवधान) एक विरोध के लिए विरोध चल रहा है।...(व्यवधान) हां, हमने भी हंगामा किया था। तब किया था। स्पैक्ट्रम टू जी के बारे में किया था जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी। एक लाख छयत्तर हजार करोड़ रुपये का घोटाला था। सीबीआई की चार्जशीट फाइल हुई थी तब भी उनका रेजीनेशन सरकार नहीं ले रही थी।...(व्यवधान) क्योंकि उस समय के प्रधान मंत्री के हाथ में कुछ नहीं था।...(व्यवधान) अगर गलत लगा भी तो भी मनमोहन सिंह जी को एक्सेप्ट करना पड़ता था। इसलिए हंगामा करना पड़ा। यहां सुषमा दीदी के ऊपर क्या चार्जेज हैं? आप बोलते हैं, क्या इसलिए चार्जेज हैं? क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है? क्या उनके खिलाफ कोई सीबीआई नोट है? क्या कोई सीएजी रिपोर्ट है? क्या कोई सीवीसी में मामला है? क्या है? क्यों है? वह तो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं क्योंकि मालूम है कि इसमें कुछ दम नहीं है और आज आपके सवालों का उन्होंने जमकर

जवाब दिया।... (व्यवधान) हर बात आपके खिलाफ जा रही थी। आपका उत्तर देने के लिए भी आप काबिल नहीं हैं।... (व्यवधान) आपका उत्तर देने के लिए भी काबिल नहीं हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। चर्चा जल्दी ही पूरी करनी है।

... (व्यवधान)

श्री आनंदराव अडसुल: मैं कॉमनवैलथ घोटाले की बात कह रहा था। कांग्रेस के एक सदस्य कल्माड़ी थे।... (व्यवधान) 80000 करोड़ रुपये यह सीएजी की रिपोर्ट थी। वह रेजीनेशन नहीं दे रहे थे। हमें तब भी हंगामा करना पड़ा।... (व्यवधान) एक सकारात्मक कारण था जिसमें दम है और अगर ये जानबूझकर कहते हैं तो हमें उसका विरोध करना था। हमने किया था। कोल घोटाला था। ... (व्यवधान) आज क्या हो रहा है? सीएजी ने जो भी रिपोर्ट में दाम लिखे थे, उससे दुगुना दाम मिल रहा है। खाली सीएजी बोलती नहीं है लेकिन आज प्रैक्टिकल में हमें मिल रहा है।... (व्यवधान) फिर भी ये सुषमा दीदी के ऊपर आरोप लगाना और रेजीनेशन मांगना। अरे, कम से कम इतनी बात ध्यान में रखो। विरोधी पक्ष नेता बनने लायक भी आपकी संख्या नहीं रही।... (व्यवधान) तो भी आप ऐसा कर रहे हैं। इतनी दफा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आपको बुलाया। तीन बार मीटिंग बुलाई।... (व्यवधान) इनका कहना था, क्या सरकार को नहीं लगता है? आदरणीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नायडू जी ने भी मीटिंग बुलाई तो भी वही बात कि पहले रेजीनेशन फिर बाद में हाउस चलेगा। कुछ कारण तो होने दो। उनका स्टेटमेंट तो होने दो। ये बात आज चल रही है और पूरा समय बर्बाद कर दिया। ... (व्यवधान) पूरा मानसून सेशन बर्बाद कर दिया। लैंड एक्विजिशन जैसा महत्वपूर्ण बिल है, जीएसटी जैसा महत्वपूर्ण बिल था। ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो हमारे देशवासियों के हित में है, उस तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद इन्हें लगा होगा कि जनता ने हमें नकारा है, इसलिए जनता के हित में कुछ भी नहीं होने देंगे, शायद ऐसी इनकी मंशा रही हो। मैं मानता हूँ कि सही मायने में जनता का प्रतिनिधत्व करने का भी इन्हें अधिकार नहीं है।

महोदया, बोलने के लिए बहुत-सी और बातें भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम पूरी ताकत के साथ शिव सेना पार्टी की तरफ से सुषमा दीदी के साथ हैं और इस प्रस्ताव के विरोध में हैं।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Madam, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Adjournment Motion. I would like to state on the floor of the House that the past few days of the Monsoon Session have, if anything, showed the parliamentarians in absolutely poor light to the people of this country. The Opposition Party, through its actions, has single-handedly ensured the repeated disruption of the supreme seat of democracy in our country. The Opposition Party has a lot to explain to the people of this country for its actions.

If this entire Session is a wash out, then a cumulative amount of about Rs. 260 crore would have gone for a complete waste. The hard earned tax payers' money just went down the drain as a result. But the more important point is the humongous loss that results out of the failure from passing path-breaking legislations that the Government has introduced. The Opposition Party and the like-minded parties do want legislations like the GST Bill that is causing losses worth thousands of crore across the country. The industry has even come out openly in its criticism of the Opposition for failing to allow legislations to pass through.

The allegations leveled against the hon. External Affairs Minister Shrimati Sushma ji are absolutely baseless and she has justified her stance on the floor of the House. The fact of the matter is that when the IPL scam broke out or was still in the making, it was the UPA Government which was in power. There was absolutely nothing that they did to stop the individual in question from escaping to Britain. No cases were filed against him and it is only under the current Government that recently court orders have been issued for his arrest.

In conclusion, I would just like to request you not to allow one party to hijack the proceedings of the House. There are various other issues like the request for implementation of Reorganization Act of Andhra Pradesh and special category status that needs discussion on the floor of the House. I would request the Opposition to let the House to function smoothly so that pressing issues of all the Members can be discussed. I thank you Madam.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, I thank you for giving me this opportunity.

अध्यक्ष महोदया, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए 22 दिन का समय लगा। 22 दिन सदन की कार्यवाही नहीं चली। यहां आने से पहले 20 तारीख को आपने आल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। हैदराबाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने संसद सदस्यों को बुलाया था और कहा था कि संसद सत्र शुरू होने वाला है तथा वहां जमकर अपनी बात सदन में रखना। अपना राज्य 29वां नया राज्य बना है। हमारे बहुत-से मुद्दे हैं। सदानंद गौड़ा जी से बात कर लेना, नायडु जी से बात कर लेना। हाई कोर्ट का मुद्दा है, CAMPA फंड्स का मुद्दा है, जेटली जी ने इनकम टैक्स के 1250 करोड़ रुपए ले लिए। इसी तरह से हमारा एयरपोर्ट का इश्यू है। हमारा बेगमपुर एयरपोर्ट है, वह एयरफोर्स को देना चाह रहे हैं। हमारी इरिगेशन प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में उमा भारती जी से बात करनी है, फुड पार्क के बारे में मंत्री जी से बात करनी है, एम्स के बारे में श्री नड्डा जी से बात करनी थी,

माननीय अध्यक्ष : कहते-कहते आपने सारी बातें कह दीं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : इस तरह से हम यहाँ पर इतने आरजू लेकर आए थे कि इन सभी को हम 25-25 दिनों के अंदर हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर देखता हूँ कि जैसे बचपन में हम टेबल-टेनिस खेला करते थे, उसमें एक बॉल उधर से उधर जाता है और एक बॉल उधर से उधर जाता है और बीच में खड़ा होकर देखते रहते हैं, वैसे ही हमें भी यही मौका दिया गया है। हमें यहाँ पर वही जगह दिया गया है, वे बोलते हैं कि तुम बीच में बैठो और हम खेलेंगे। बाहर गये तो पब्लिक कहती है कि **they are settling their scores.** वे कहते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, तो बीजेपी ने एक महीना सदन नहीं चलने दिया, तो ये कहाँ 15 दिनों में मानने वाले हैं, तो अभी और 15 दिन बाकी हैं। लेकिन देखते-देखते आज दोनों पार्टियों के अंदर बुद्धि आ गयी और दोनों ने इस बात को समझा। मैंने पहले बीएसी मीटिंग में यही बताया था। श्री खड़गे जी आप नहीं थे, आपने श्री सिधिया जी को भेजा था। मैंने रूडी जी को यही कहा था कि एडमिट कर लें मैडम और चर्चा के लिए तैयार हो जाएं। तो रूडी जी बोल देते हैं कि नहीं-नहीं, यह वोटिंग पर जाएगा। यदि वोटिंग पर जाएगा, तो आपकी संख्या ही तो ज्यादा है। 330 की संख्या तो आपके पास ही है, तो आप किस तरह से हारेंगे, सरकार तो गिरेगी नहीं। मुझ से साइन भी करा लिया। इस तरह से मैं यह कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ देखेंगे, तो तेलंगाना दिलाने वाली बड़ी अम्मा हैं और दूसरी तरफ छोटी अम्मा हैं, दोनों के सामने हम खड़े हैं। एक चीज तो हम साफ कहते हैं कि जब हम सुषमा जी को देखते हैं तो जिस तरीके से वे तैयार होकर आती हैं, एक हिन्दू स्त्री की तरह, अच्छी तरह से साड़ी पहनकर

आती हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, तो नमस्कार करता हूँ और मुझे यह नहीं लगता है कि उन्होंने कभी कुछ मिस्टेक की होगी। कभी मिस्टेक नहीं की होगी। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि on humanitarian grounds she said that if it does not cause any problem to your country, you can do it. Maybe that is for her. लेकिन ललित मोदी का जो प्रॉब्लम है, I am also a sportsman. तेलंगाना स्टेट ओलम्पिक्स में मैं रहा हूँ। It is very unfortunate that a sport like cricket which is played and watched by all groups of people from children to sixty-year olds with such a pleasure and enjoyment can be tarnished and destroyed by some *mala fide* interests. This is not in the spirit of the game. Many laurels have been achieved in cricket. We have been crowned world champions. Sachin Tendulkar, who is the role model of cricket community, has been awarded the Bharat Ratna. We must protect and defend the sanity of the sports which we as a nation are so passionate about.

As an individual I feel that suitable action should be taken against the accused in a time bound manner and politics should not destroy this wonderful game. I would like to put down a few facts which are known to the world and our parliament over the IPL controversy. Madam, I wanted to mention all the controversies but many of them have been spoken about like the financial irregularities, money laundering, criminal cases filed by various investigative agencies against Lalit Modi. The Enforcement Directorate has served 16 show-cause notices on Lalit Modi for alleged contraventions of the Foreign Exchange Management Act.

The Supreme Court appointed Special Investigation Team on black money headed by retired Supreme Court Judge Shri M.B. Shah in May, 2014. A non-bailable warrant has also been issued under Prevention of Money Laundering Act. So, all these steps have been taken by all of them. So, I would just like to say that the BCCI should consider administrative reforms that clearly safeguard its practices and procedures as well as bring in transparency in its decision-making process so that the reputation and the spirit of the beautiful game of cricket is not

lost along the way. Already, so much of blame has come on the Indian Premier League. आजकल हम देखते हैं टीवी पर, शाम होते ही आठ बजे हम स्टार टीवी ऑन करते हैं तो कबड्डी आता है। कबड्डी में बहुत लोगों को इंटरैस्ट है। इसमें इतने ज्यादा लोग रुचि लेने लगे हैं कि डर लगता है कि कहीं इसमें भी ललित मोदी जी जैसा कोई आ जाए और इस गेम को खराब कर दे। कबड्डी देखने के बाद गांव में, ग्रासरूट लेवल पर पब्लिक कुश्ती भी खेलना चाहती है, वॉलीबॉल भी खेलना चाह रही है।...(व्यवधान) गांव-गांव में स्पोर्ट्समैन पैदा होने के चांसेज हमारे देश में हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो कौन आगे आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगले गेम्स में जो प्रक्रिया चालू होगी, उस टाइम पर कुछ रूल्स-रेगुलेशन्स पहले से ही तय कर दिए जाएं और जो भी इस तरह से गेम्स को खराब करे, उसे छोड़ना नहीं है। वह कोई भी हो, उसे वहां से लेकर आना, यहां सजा दिलाना होगा और भारत का जो पैसा है, उसे वापस लाना होगा। धन्यवाद।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Hon. Speaker Madam, I thank you for taking the initiative for the discussion on adjournment motion. We, the Opposition parties, have been demanding for the adjournment motion from the initial stage itself in the beginning of the day. All the adjournment notices were disallowed by the Speaker or by the Government. Anyway, it is at the end of the Session that the Government has come forward for the discussion. I really appreciate the initiative of the Speaker and also the Government. I would like to make it clear that it is after a long struggle made by the Opposition parties in the House and it is also at the cost of the suspension of 25 Members for five days that this decision was taken. Why was the Government not ready to take this decision earlier? ... (*Interruptions*) The Government was not ready and our adjournment notices were disallowed. ... (*Interruptions*) We are not responsible because no adjournment notice was allowed by the Government or the Speaker. That is why it is delayed. So you cannot say that the Opposition parties were responsible.

I would like to remind the Government that it was in 2010 that we stalled this House for one month under the leadership of Shrimati Sushma Swaraj. Our leader was Sushmaji and we, the Left parties, were together. At that time, we made it clear that the action has to be taken; it is only after the Government takes action that we can discuss the matter. The Prime Minister should come with a proposal of the action. Many Members from this House were with us.

This was the situation that was prevalent in 2010. So, we the CPM, were here as the Opposition party. At that time, the UPA was in power. But now, the BJP is in the Government and Congress is in the Opposition. We are on the same side, the Opposition side. So, we have not made any change in our stand. The situation that was in 2010 is prevailing. So, the proposal has to be taken by the Prime Minister. As stated by Shri Kharge, the Prime Minister has not come here. In democracy, the Government is accountable to the Parliament and the Parliament is accountable to the people. Here the head of the Government is the Prime Minister. We can be proud of the fact that our Prime Minister has gone to 26

countries in the last few months. In 20 days, he has visited every country. Of course, we are proud of that.

When his colleague Shrimati Sushma Swaraj is under severe criticism, the Prime Minister is silent. He has not made any statement outside; he has not made any statement in the House. ... (*Interruptions*) I would like to point out that there is an Egyptian proverb, 'Speech is silver and silence is golden'. The Prime Minister has accepted that Egyptian proverb. When the discussion is going on throughout the country, the Prime Minister is going on with his silence. This silence could be taken to mean anything: either he is supporting the Minister or he is opposing the Minister. What is his stand on this issue? It has to be made clear by the Prime Minister. Even at present, he is not here when such a serious discussion is going on. Why is the Prime Minister not here?

The question now is not the allegation or criticism of a person. The Ministers are bound to abide by the Constitution. First I listened to the speech made by Shri Mallikarjun Kharge. He raised some seven or eight points. Shrimati Sushma Swaraj also gave a reply. ... (*Interruptions*) She has given some replies, some information but at the same time she has been making counter-allegations. I would like to say that she was in the Opposition and we would ask why the Government could not take action. Even now, we are seeking to raise this issue. But when such an important issue is being discussed in this House the very responsible Minister of External Affairs is not giving any reply but at the same time making allegations. It is not wise. I did not expect this because I really respect Shrimati Sushma Swaraj. This is not the method to be adopted by the Government to reply to these questions. Anybody can make counter-allegations but that is not the way when a fruitful discussion is taking place.

I would like to come to the main subject. I would like to place before the House a serious issue, that is, breaking the standard protocol of the Foreign Office to help Lalit Modi to obtain British travel papers by our hon. Minister of External Affairs Shrimati Sushma Swaraj. That is the main issue. It was in 2010; Lalit Modi

who had fled India to London was using British travel documents. He was the IPL Chief and was involved in corruption charges. The Government of India in those days had also informed the British authorities that Lalit Modi was wanted in a case involving alleged violation of foreign exchange laws, his passport had been impounded, and any diplomatic help he received could adversely impact India's relations with the UK. This was the message given by the earlier Government, whether it was the Home Ministry, Finance Ministry or the External Affairs Ministry. So, the case against him is pending.

16.34 hrs

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

He is not only not ready to come to India but he has also violated many laws. Two days ago, we have seen that some more action has been initiated against him. The Minister of External Affairs had told the British High Commissioner in New Delhi that if the British Government chose to give travel documents to Lalit Modi, that would not spoil our bilateral relations. How can she say that? How can we compare the earlier decisions and this decision? Earlier it was said that the British Government should not give any support. Now, they say, if it chose to give travel documents to Lalit Modi that would not spoil our bilateral relations. It is against the rules and the spirit of the decision of the earlier Government. So, this is a violation that the Minister has made. I would like to know whether this decision was taken with the knowledge of the Prime Minister or whether it was discussed in the Cabinet. It is really violation of the protocol of the Foreign Office. It is said that the action was taken on the basis of the humanitarian aspect of the incident as Modi's wife was ailing from cancer. Of course, we have to think on the humanitarian ground. If such an issue has come before Sushma ji, what should she do? As a Minister she should ask him to go to the Indian High Commission or to the British High Commission. Papers have to be processed from there and then it should come to the Ministry. From the Ministry it should go to the Cabinet and then a decision should be taken.

I know on many other issues the Minister has taken good decisions, such as on the Yemen issue or such other issues but it is discussed in the Parliament. It is discussed in the Cabinet. But this has become a common, social issue. How has she forgotten to follow all this procedure in this case? It has become a major issue. It is not an issue of an individual. The Minister has to obey the rules, which is most important. Even if it has to be given a humanitarian consideration, the Government can assist but how can a Minister alone take this decision? This is the most important issue. The Minister has admitted that she had conveyed to the British Commissioner the change in India's position. The Prime Minister has to make it clear as to whether there was any change in India's position. Was the Minister authorised or was it decided by the Cabinet to make any change?

All through this controversy the Prime Minister is silent. You have made a number of allegations saying that during the UPA regime, Shri Manmohan Singh remained silent. With regard to the present Prime Minister what should I say? I do not want to make any other allegation but at the same time I wonder whether he is sleeping or whether he is silent. Someone has said that he is a 'Mauni Baba'. I do not want to say this.

The External Affairs Minister justifies the action by saying that it was based on humanitarian consideration. Of course, we have to consider a case on humanitarian grounds. The wife of Lalit Modi is facing a critical stage of cancer in Portugal for the last many years. This is not a new development. But as per the Portugal hospital rule the operation cannot be undergone without his assistance. I would like to know after getting the permission where he has gone. How many days he has spent in his house with his wife? I think he has spent a few days with his wife and he was travelling to many other countries. Can we say it a humanitarian consideration?

I know Lalit Modi is not an ordinary citizen. He has an extraordinary financial status. He has relations with the people having highest status. He was the former Chairman of the IPL but he is involved in very serious criminal

financial misappropriation cases and violation of the enforcement law. There are about 16 cases against him. The Enforcement Directorate issued red corner notice against him. It is on the ground that the earlier Government had denied the passport to him. Why it has become an urgent matter? He says that he has very close relations with the External Affairs Ministry. I am not saying anything about the Chief Minister of Rajasthan but at the same time Lalit Modi says that he has 30 years of close relations with the CM of Rajasthan. It is not me who is saying this but he says it. Such is his relation with the high people. I am not contradicting any political leader or the Minister having relation with any businessman. That is natural but at the same time the main issue is whether such relation has influenced or whether such position has influenced to take undue partisan decisions to benefit the person. That is the major issue here.

So, this is a very serious issue. My Party demand that there should be an investigation on this issue. It is related with the British Government and related with many other persons. So, there should be a high level investigation and till that date – as you have said Sushma ji – it is better for the Minister to keep away from the Ministry. With these words, I thank you.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Sir, we are proud of our great democracy. This is the largest democracy in the world and people of India will not tolerate any other form of Government. So, at least good sense prevailed on all of us and finally we are debating the issue.

Sir, when we commit a mistake or a wrong thing, whether anybody knows it or not, our conscience knows it and we always feel guilty about it. We, 543 people, are representing 125 crore people. It is the greatest country. Therefore, we should be a model to the people of our country. People of our country have voted the NDA Government to power with great hopes. Hats off to Shri Advaniji, when some allegations were leveled against him, he had straightaway resigned and he came back to the House only when he was cleared of all the allegations. That should be a model for every leader. Our regional Party, of course it is a small party, feels that democracy and everything should be debated and everything should be investigated if there is anything wrong.

Can the Mighty Government of India not bring back Lalit Modi who is hiding in England? Definitely, the Mighty Government of India can bring him back. I do not know the rules and regulations of the international affairs but with such a Mighty Indian democracy, we can definitely bring him back and investigate everything.

Sir, everybody preaches morals but we never follow them. That is the order of the day. Definitely, if somebody commits any mistake, thorough investigation should be done. Depending on the merits of the case, let us decide and not just because somebody has leveled allegations against me, I will level allegations against him. It should not be the case. Definitely, everything should depend on the merits of the case. Naturally, legal issues are there and investigative departments are there. Let everything be thoroughly investigated and the case be decided on its merits.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो खड़गे साहब ने एडजर्नमेंट मोशन रखा है, उसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ। इस हाउस की परम्परा है और रूल्स भी हैं, विपक्ष की ओर से सरकार का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना हो तो एडजर्नमेंट मोशन आ सकता है। जहां तक इस एडजर्नमेंट मोशन का सवाल है, पिछले कई रोज से यह गतिरोध हाउस में डाला गया। यह लोग एक दिन गतिरोध कर सकते थे, दो दिन कर सकते थे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि गतिरोध के समय डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमैन वैल्यूज और मोरल वैल्यूज का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। जब दीनानगर में पुलिस से पाकिस्तान के टैरिस्ट्स का मुकाबला हो रहा था, हमारे बहादुर सिपाही खून बहा रहे थे तो इन्होंने हमें हाउस में पांच मिनट भी उस पर बोलने का समय नहीं दिया और यहां गतिरोध बरकरार रखा। मैंने बहुत रिक्वैस्ट की कि एक घंटे के लिए शांत हो जाइए। पंजाब में मुकाबले के दौरान देश के लिए जो बलजीत सिंह शहीद हुआ है, उसके लिए सहानुभूति के दो शब्द कह दो, अपना गतिरोध बंद कर दो, लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया।

इसके अलावा वहां भाखड़ा डैम के फ्लड गेट्स खोले गये, हमने कहा कि लोगों के घर गिर रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, चारों तरफ से पानी आ गया है, हमें उस पर दो मिनट के लिए बोलने दो। लेकिन इन्होंने गतिरोध बंद नहीं किया। देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, रोजगार का विषय है, किसानों का विषय है, गन्ना काश्तकारों का मामला चल रहा था, उस समय इन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। आज मुझे समझ आ रहा है कि ये क्यों नहीं कर रहे थे, इनको मालूम था कि जो फटकार और जो लानतें आज हाऊस में कांग्रेस के मित्रों की पड़ रही हैं, इनको उसकी शर्मिंदगी हो रही थी, मैं समझता हूँ ये आज आराम से नहीं आए हैं, आज देश के लोग घर कर इनको इधर ले कर आए हैं। मैं समझता हूँ कि इनके साथियों ने साथ छोड़ दिया, तब ये मजबूर हुए हैं, क्योंकि इनकी शर्मिंदगी, इनकी जो परेशानी थी, वह मुझे अच्छी तरह मालूम है। क्योंकि ये समझ रहे हैं, इनको आश्चर्य हो रहा है कि दीदी सुषमा जैसी मंत्री मुफ्त में कैसे काम कर सकती हैं। ये समझते हैं कि हमारे राज में तो छींक मारने के भी पैसे लिए जाते थे। ये आज की सरकार ऐसे मुफ्त में काम कैसे कर सकती है। इसकी इनको हैरानी थी, परेशानी थी। ... (व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर साहब, जब करप्शन की बात कांग्रेस वाले मित्र करते हैं तो पंजाबी में एक कहावत है कि छाछ तो बोले, छन्नी क्यों बोले। जिनका रोम-रोम, बाल-बाल करप्शन में लिप्त है और जिनको देश के करप्शन का जन्मदाता कहा जाता है, वे करप्शन की बातें करें और सारा मानसून सेशन ऐसे ही इन्होंने लगा दिया, कोई बात ही नहीं करने दी। ये हाऊस का तो बॉयकॉट करते रहे, सदन में तो गतिरोध डालते रहे और

जो हजिरी वाला रजिस्टर है, उसका बॉयकॉट नहीं किया, तो इनकी सीरियसनेस उससे ही पता चल जाती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि मैडम सुषमा स्वराज जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उससे और क्या तसल्ली हो सकती थी कि ललित मोदी के विरोध में न तो वारंट था, न उस पर कोई रोक लगी हुई थी और इन्होंने जो स्पष्टीकरण में कहा कि जो रिकमेंड किया, उसमें स्पष्ट लिखा कि यदि वहां के कानून अलाऊ करते हों तो इसको देख लिया जाए, तो उसमें आपत्ति है। स्पोर्ट्स में 80-80 हज़ार करोड़ के स्कैंडल कर के, जहाजों के लाखों के स्कैंडल कर के और बोफोर्स में लाखों-करोड़ों का स्कैंडल कर के और कोयले में घोटाला कर के ये तो अपने आपको पाक-पवित्र कराने की बात करते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कौआ किसी तालाब में स्नान करने से हंस नहीं बन सकता है। ये लोग जितना मर्जी जो कुछ कहते रहें, इनको देश के लोग कभी बख्श नहीं सकते हैं। ये करप्शन के चार्ज से निकल नहीं सकते हैं। जो इन पर स्टिगमा लगा हुआ है, उसको ये धो नहीं सकते हैं। इसलिए जो एड्जर्नमेंट मोशन खड़गे जी ने रखा है, उसका मैं विरोध करता हूँ। इनकी सीरियसनेस तो इसमें ही दिखाई देती है, जो उकसाने वाले थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यहां से चली गईं, क्योंकि सुनना बहुत मुश्किल है। खड़गे साहब भी चले गए। ये चर्चा ही करना चाहते हैं, चर्चा सुनना नहीं जानते हैं। गुरुनानक देव साहब ने कहा है कि जब तक दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए, किस कहिए, जे सुनाना है तो उसे सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। सुनने की हिम्मत नहीं है, सुना कर परे चले गए हैं। इसलिए देश के लोगों ने जैसे इनको मजबूर किया है, मैं देश के लोगों को भी बधाई देता हूँ, इस हाऊस को भी बधाई देता हूँ कि इनको मजबूर कर के यहां ला कर बिठाया है।

श्री तारिक अनवर (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका और स्पीकर महोदय का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार को तैयार कर लिया। जैसा खड़गे जी ने कहा कि अगर यह काम पहले हो गया होता, सत्र के शुरू में हो गया होता तो शायद इस सत्र का इतना समय बर्बाद नहीं होता और हम लोग और भी बहुत सारे काम इस सदन में कर सकते थे।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : तारिक साहब, हम भी तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे, लेकिन आपके साथी आपको बोलने नहीं दे रहे थे। यही दिक्कत हो गई थी।

श्री तारिक अनवर : महोदय, चलिए देर से आए दुरूस्त आए, आज की इस बहस और मन्थन के बाद क्या निकलेगा, क्या नतीजा आएगा, यह तो नहीं मालूम, लेकिन कम से कम बात शुरू हुई है, चर्चा शुरू हुई है और सभी पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिला। सुषमा जी ने आज फिर एक बार यह साबित करने की कोशिश की वह एक अच्छी वक्ता भी हैं और एक अच्छी वकील भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कमजोर मुकद्दमे की पैरवी होती है, जो रविशंकर जी भी करते हैं, कभी-कभी सुषमा जी उन दलीलों से कोशिश करती हैं कि जो सच्चाई है, वह सामने न आए और हकीकत सामने न आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ दलीलों से असलियत को झुपाया नहीं जा सकता है। सदन के बाहर भी यह चर्चा चल रही है, अगर हमारी बात को, विपक्ष की बात को दबा भी दिया जाए, लेकिन सदन के बाहर भी, चाहे वह पत्र-पत्रिका हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, विदेश की पत्रिकाएं हों, सभी जगह इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा चल रही है, काफी बहस चल रही है। इसलिए हम सब लोगों को इस पर चिन्तन करने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दलील से काम नहीं चलता है, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पर आडवाणी जी बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर कोई नहीं होगा जो नैतिकता के बारे में हम सबको बता सकता है। सिर्फ यह कह देने से कि हमने किसी की मदद की, ठीक है, आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी होगी सहानुभूति होगी, आपने कहा कि उसकी बीवी 17 सालों से कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसकी मदद की। लेकिन शायद सुषमा जी यह बात भूल गई कि वह एक आम शहरी की तरह नहीं हैं, वह इस देश की विदेश मंत्री भी हैं और मंत्री के रूप में उन्होंने कुछ संकल्प लिया है, कुछ शपथ ली है, जिसमें यह बात कही गई है कि किसी भी मौके पर, किसी भी अवसर पर हम कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, हम किसी की उस तरह से मदद नहीं करेंगे, उस तरह से सहायता नहीं करेंगे। लेकिन जो भी उनकी मजबूरी रही हो, उन्होंने ऐसा किया। हम यही चाहेंगे, हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब लोगों को इस बात पर विचार

जरूर करना चाहिए कि जब ऐसे मौके आते हैं तो उस समय देश की गरिमा, देश का सम्मान जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए और जिस प्रकार से ये तमाम घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं, उससे कोई हमारे देश का सम्मान बढ़ा हो, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, जिनका उत्तर भी दिया गया है, इसलिए मैं उन बातों में फिर से नहीं जाना चाहता हूँ, उन प्रश्नों में नहीं जाना चाहता। मुझे इस मौके पर उर्दू का एक शेर याद आ रहा है, जिसे मैं आपकी इजाजत से यहाँ पढ़ना चाहता हूँ-

"रहम की भीख माँगना भी चाहूँ तो किससे कहूँ, शहर का शहर कातिल के तरफदारों में है,

और क्या चाहिए मकतल को सजाने के लिए, खुद मसीहा भी कातिल के तरफदारों में है।"

इस मौके पर हम इतना ही कहेंगे कि स्वयं हमको आत्मचिन्तन करने की जरूरत है कि हमारे सार्वजनिक जीवन पर अगर इस तरह का कोई प्रश्नचिन्ह लगता है तो उस दाग को हम कैसे धोयें, यह हम सब लोगों को अपने हृदय में झाँककर सोचना चाहिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी एंटी करप्शन आंदोलन में से निकली है और किसी भी किस्म की करप्शन के खिलाफ हम अपनी पार्टी की तरफ से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज एडजर्नमेंट मोशन को एक्सैप्ट करने का जो फैसला किया गया, अगर थोड़ा पहले हो जाता तो और भी कीमती समय बच सकता था, और भी ज़रूरी काम हो सकते थे। मैंने खुद भी तीन-चार बार इसी विषय पर एडजर्नमेंट मोशन दिया था लेकिन उसको डिसअलाउ कर दिया गया। चूँकि विषय क्रिकेट का चल रहा है तो मैं यह कहूँगा कि आखिरी ओवर में सरकार ने जो फैसला लिया है, चलो, देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुद्दा यह है कि हम भी डिसकशन करना चाहते थे। हम भी चाहते थे कि विपक्ष और सरकार की तरफ से बातें रखी जाएँ ताकि सामने आएँ, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया।

महोदय, एक गंभीर आर्थिक अपराधी जिसके खिलाफ लाइट ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया हुआ है और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में जिसका नाम है, वह किसी देश में बैठा है और उस देश ने उसको अपनी कंट्री से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। सबसे पहले तो मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि वह सीधा किसी देश के विदेश मंत्री से कॉन्टैक्ट करता है। चलो कोई बात नहीं, आजकल गूगल और विकीपीडिया के जरिये सबके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं। जब विदेश मंत्री जी के पास उनका फोन आया कि मुझे ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो चाहिए तो यह था कि विदेश मंत्री जी उसी वक्त कैबिनेट को या प्रधान मंत्री जी को बताते कि एक ऐसे अपराधी के साथ हमारा संपर्क हुआ है, उसकी यह मांग है। उसके बदले अगर हमने मानवता के आधार पर उसकी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए उसके पास जाने की इजाज़त देनी है तो उसमें शर्त रखी जा सकती थी कि मानवता के आधार पर आपको पुर्तगाल जाने देंगे, लेकिन पुर्तगाल से आप वापस यू.के. नहीं जाएँगे, आप भारत आएँगे और यहाँ पर आकर कानून का सामना करेंगे क्योंकि आपके खिलाफ यहाँ धाराएँ लगी हुई हैं। यह नहीं हुआ। वे वहाँ पुर्तगाल गए या नहीं गए, पता नहीं, लेकिन दो चार दिन बाद किसी बीच पर उनके छुट्टियाँ मनाने की फोटो ज़रूर ट्विटर और फेसबुक पर आई हैं। एक टीवी इंटरव्यू में एक वरिष्ठ पत्रकार को ललित मोदी जी ने इंटरव्यू देते हुए कहा भी है क्योंकि वह पुर्तगाल का इतना अच्छा हॉस्पिटल था कि चौबीस घंटे में मेरी पत्नी का इलाज हो गया और हम इसी खुशी में छुट्टियाँ मनाने चले गए थे। यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है।

इस बात पर मैं यह कहूँगा कि माननीय विदेश मंत्री जी की तरफ से अगर मानवता के आधार पर मदद करने की बात कही जा रही है तो लाखों किसान हर रोज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्या सरकार को मानवता के आधार पर उन पर दया नहीं आई? हर रोज़ गरीब और पिछड़े लोग महंगे इलाज की वजह से

बिना इलाज के मर रहे हैं, क्या उनको कभी इस देश में मानव नहीं समझा जाएगा? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, अंडरट्रायल हैं, कई-कई साल हो गए ज़मानत देने के लिए, वकील को सौ रुपये देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। क्या उनको भी कभी मानवता के आधार पर ऐसी दया की लिस्ट में लाया जाएगा? मैं सुषमा जी से कहना चाहता हूँ कि इराक में अभी भी 41 भारतीय फँसे हुए हैं, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि वे मार दिए गए, कभी खबर आती है कि वे हैं। उन पर भी मानवता के आधार पर थोड़ी दया करें। उनके परिवार वाले आपके घर के सामने प्रदर्शन करने आए थे तो पुलिस की लाठियाँ खाकर गए हैं। उन पर भी थोड़ा मानवता के आधार पर दया करिये।

मैं सुषमा जी से कहना चाहता हूँ कि अगर गलती हो भी गई तो आगे से आप जो रिकमंडेशन करते हैं, ऐसे साइन करते हैं, उनकी ज़रा रीचैकिंग कर लीजिए। कई बार गलत आदमियों की रिकमंडेशन हो जाती है। इस घटना से हमने भी सीखा है और पहली बार हम राजनीतिक जीवन में आए हैं कि रिकमंडेशन पूरी पढ़कर और पूरी क्रॉसचैक करके करेंगे। यह न हो कि उसी केस में कहीं हमारे बारे में भी कुछ चल रहा हो जिसके बारे में देश जानना चाहे। हम किसी भी किस्म की करप्शन के खिलाफ अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ से विरोध करते हैं और फ्यूचर में ऐसा न हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

17.00 hrs.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, on behalf of the IUML, I support this Adjournment Motion and endorse the views expressed by Shri Mallikarjun Kharje ji.

Sir, the Opposition is having a gratification and satisfaction that we unearthed a very serious corruption issue and have brought it up for the threadbare discussion in this august House. I must congratulate all the Members of Parliament who were suspended from this House for a week for their noble fight against corruption.... (*Interruptions*)

Our fight against corruption will be etched in golden letters in the history of this House and it will always remain so. This issue is having a mighty dimension. It is not an isolated or small thing. Nepotism, abuse of power by the External Affairs Minister, violation of rules from the Government side, making a safe haven for an economic offender are before us. The head of the Government, the hon. Prime Minister is behaving as a silent spectator to all these things. It is quite unfortunate. There are the kinds of dangerous elements which are deep rooted in this issue. I would like to say with all politeness that the BJP-ruled Government in this country is in the back-shadow of corruption. It is not only that of the Central Government but also the Governments under the administration of the BJP in different States where these things are happening. Since it is a State subject, I do not want to say much about this. Whether it is Vyapam Scam in Madhya Pradesh, Chikki Scam in Maharashtra, the PDS Scam in Chattisgarh, all these things are coming up in the Indian dailies every day. But the funny thing is this that those who justify or advocate support for the External Affairs Minister say this. I read in a newspaper saying: "Whatever she might have done would have been guided by her human nature and nationalist spirit." If this is your nationalist spirit and human nature, the whole country is ashamed of your approach. I would like to say that.... (*Interruptions*)

On the Lalit Modi issue, our friends were giving the details about it while speaking. There is every reason to believe that this Government had a soft corner with Lalit Modi. It is not only in this case but also we know that during the tenure of the Government in Rajasthan – not during this Government but during the tenure of the previous Government – he had a status. What was that? It was that of a Super Chief Minister! He was enjoying that status. You had always kept a soft corner. You have always given a supporting hand to Lalit Modi. That, perhaps, might have inspired him to do these kinds of things.

Even now, a Foreign Exchange violation case against a Rajasthan-based firm said to be owned by Lalit Modi which involved alleged illegal routing of Rs.21 crore from Mauritius-based company is there. The Enforcement Directorate has begun probe. Such a serious offender has got your blessings! It is a very dangerous thing. This kind of corruption case will have to be treated very seriously.

Finally, I would urge upon the Government that wisdom should prevail upon them. The best option should be to keep the External Affairs Minister out and make a comprehensive inquiry into this matter.

With these few words, I conclude.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please be very brief.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : Sir, I would take three to four minutes.

सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब द्वारा एडजर्नमेंट मोशन मूव किया गया है, मैं उसकी ताईद में खड़ा हूँ।

जहां पर मैं ताईद कर रहा हूँ, वहीं पर मुझे थोड़ा ताज्जुब भी है, जैसे तो सियासत का एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे यह समझ में नहीं आया कि इतने दिन ऐवान को रोकने के बाद कांग्रेस पार्टी एक दिन पहले अचानक डिस्कशन के लिए तैयार हो जाती है। मुझे नहीं मालूम कि इसके लिए वेंकैया नायडू साहब ने कौन सी नैल्लोर की मिर्ची खिलाई या कौन सी गुगली डाली। और वज़ीर-ए-खारज़ा को अपनी बात रखने का मौका दे दिया। अभी हमने वज़ीर-ए-खारज़ा मोहतरमा का जवाब सुना। मैं यह समझता हूँ कि 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो वह मोहतरमा सुषमा स्वराज थीं, जो यहां पर बैठ कर प्वायंटेड तख्तारीर करती थीं। यह और बात है कि उनकी पार्टी ने उसका कभी एक परसेंट भी क्रेडिट नहीं दिया। कोई और दूल्हा बन गया।

तीसरी बात यह है कि असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा आई.पी.एल. - इंडियन पॉलिटिकल लीग है। जब तक यह इंडियन पॉलिटिकल लीग रहेगी, तब तक तमाम चीज़ों का सत्यानाश होगा। मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 120 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसमें से एक शख्स 20 करोड़ रुपये लेकर पाकिस्तान को भाग गया। आप एक साल से सरकार में क्या कर रहे हैं? ये मेरे अल्फाज़ नहीं हैं। दरभंगा के हमारे एम.पी. के मैंने अल्फाज़ सुने कि एक 400 मिलियन डॉलर का घोटाला हुआ। ये कोई चालीस चोर नहीं थे, बल्कि आठ चोरों ने ललित मोदी के साथ 400 मिलियन डॉलर खा लिए। यह भारत का घड़ा है। क्या इनका पेट भरता नहीं है? हमारे हिन्दुस्तान के 400 करोड़ रुपये खा गए। यह आर.बी.आई., एफ.डी.आई., आई.टी. के नॉर्म्स का वॉयलेशन है। यह ड्रग मनी भी हो सकती है। यह 1,365 करोड़ रुपये लाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? इसका तो जवाब दे देते। अफ़सोस इस बात का है कि मोहतरमा सुषमा स्वराज को इस ऐवान में, इतनी गड़बड़ में खड़े होकर अपनी सफाई बयान करना पड़ा। पार्लियामानी जम्हूरियत में तो यह होना चाहिए था कि उनके वज़ीर-ए-आज़म, जो उनका कॉन्फिडेंस एन्जॉय करते हैं, वे ऐवान में आकर कहते कि मुझे अपने वज़ीर पर पूरा भरोसा है, मुझे उनकी सच्चाई पर भरोसा है। मगर, अफ़सोस यह है कि उनको अकेला छोड़ दिया गया। उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया गया? मैं मोहतरमा को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तमाम मालूमात हमें मिली है, वह आपके

पास से मिली है, हमारे पास से नहीं मिली। 'घर का भेदी लंका ढाए' - जरा इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए।

सर, यहां पर बैठ कर मोहतरमा सुषमा स्वराज ने एक शेर कहा था-

मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है

सर, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के दलित, हिन्दुस्तान के मुसलमान, जिन पर आई.पी.सी. के 324 का केस होता है, उनका पासपोर्ट नहीं बनता है। उनका पासपोर्ट कैसे बनेगा? यह फ्यूडलिज्म है कि जो वज़ीर-ए-खारज़ा जानता है, उसे पासपोर्ट मिलता है। हमारे दलित और मुसलमान क्या करेंगे? इसीलिए, मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि आप इसको देखिए, इन चीज़ों को रोकिए और यह जो 1,365 करोड़ रुपये का मामला है, तो वज़ीर-ए-आज़म को यहां आना चाहिए और आकर कहना चाहिए कि मुझे इन पर अटूट भरोसा है, वरना लगता है कि ये तमाम चीज़ें एक साज़िश का हिस्सा हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप पसमांदा मुस्लिम की जो यह बात कर रहे हैं, तो मैंने ह्यूमैनिटैरियन ग्राउण्ड्स पर गिलानी साहब तक को पासपोर्ट दिया है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

... *(Interruptions)* *

* Not recorded.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी पहली बार जीत कर संसद में पहुंची है और एक नए सदस्य के रूप में मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय इस मॉनसून सत्र में उठाना चाहती थी, लेकिन यहां कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि चालीस लोगों ने मिलकर इस संसद सत्र को इस तरह बाधित किया कि एक नए सदस्य के रूप में, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद लोकतंत्र में सारे अधिकार विपक्ष के होते हैं और सत्ता पक्ष के कोई अधिकार ही नहीं होते हैं। 450 सदस्य इस संसद के अंदर यह इंतज़ार करते रहे कि उन्हें भी मौका मिले और वे राष्ट्रीय महत्व के कुछ विषय उठाएं, लेकिन हमें उठाने नहीं दिया गया। अंततः आज इस सदन में चर्चा हुई। आदरणीय खड़गे जी ने एक घंटे से ज्यादा लम्बे समय के लिए हमारे सरकार की मंत्री आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी पर बहुत सारे आरोप मढ़े। लेकिन, माननीय मंत्री जी का आज जो उद्बोधन रहा, जो वक्तव्य रहा, उस ने आज हमारे कांग्रेस के साथियों को ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया है कि जो लोग बार-बार जाकर मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे थे, आज वे मीडिया से बचने के रास्ते ढूंढ़ेंगे। वे सोचेंगे कि अब हम मीडिया के सामने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे हम क्वात्रोची पर, क्या जवाब देंगे हम आदम शहरयार पर, क्या जवाब देंगे एंडरसन पर, आज ये सोचेंगे कि क्विड प्रो को की कौन सी परिभाषा आज मीडिया को बतायेंगे, जिससे कांग्रेस का पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आए? यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इन्होंने यही कहा था और पूरी संसद को बाधित किया था। यह मान लिया था कि इसके अलावा कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो राष्ट्रीय महत्व का है। आज इनके तमाम आरोपों की जो चीरफाड़ हुई, उसके बाद एक कहावत चरितार्थ होती है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अच्छा हुआ कि आज यह चर्चा हुई, पूरा देश जान गया कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही थी और इनके आरोपों में कोई दम नहीं था।

एक माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि सुषमा जी बड़ी अच्छी वकील हैं। एक कमजोर केस को बड़ी मजबूती से लड़ती हैं। भगवार करे कि आपके पास भी ऐसा वकील हो और आप जो दुनिया भर के घोटाले करके बैठे हैं, आप भी इसी तरह से मजबूती से अपना पक्ष रखें। आप आज तक अपने केस को देश के सामने लड़ नहीं पाए। पूरा देश जान गया और आज हम इस बात की बधाई देना चाहते हैं अपनी सरकार को और अपनी मंत्री को कि पूरा देश और भी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है।

एक सदस्य कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आपका बचाव करने के लिए नहीं आए। आपको इसकी जरूरत होगी। हमारे मंत्री ही सक्षम हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। आप रहो, आपको मुबारकबाद। आदरणीय खड़गे जी के एडजर्नमेंट मोशन का मैं विरोध करती हूँ। अपनी पार्टी की ओर से अपनी मंत्री का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने खड़गे जी के एडजर्नमेंट मोशन पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

17.12 hrs.

(Hon. Speaker in the Chair)

अध्यक्ष महोदय, यहां 317 नए सांसद चुनकर आए। लोगों ने चाहे अच्छे दिन के नाम पर, चाहे अपने भविष्य को देखते हुए उनके पक्ष में वोट डाले और उनको सदस्य बनाकर इस सदन में भेजा। जिस तरीके से 12 दिन, चाहे कांग्रेस के साथियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने हाउस एडजर्न कराने का काम किया। कुछ सदस्यों ने आपकी टेबल तक पहुंचकर सस्पेंड होने का काम किया।

चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है। मुझे लगता है कि पूरे मानसून के अंदर इस सदन का एक-एक सदस्य लोकलाज को भूल गया, सिर्फ राज के प्रति अपना ध्यान रखने लग गया। आज इस सदन का सबसे कम आयु का सांसद होने के नाते मुझे लज्जा आने लग गई है। कांग्रेस के साथी कहते हैं कि करप्शन हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर 73 हजार एकड़ जमीन की सीएलयू बेची गई, क्यों नहीं आज तक इस सदन में उस पर चर्चा की गई? ...*(व्यवधान)*

महोदय, आज एक ट्विटर के ट्वीट के कारण इन साथियों ने पूरे मानसून सेशन को खत्म करने का काम किया। ...*(व्यवधान)* अगर ये साथी चाहते हैं तो कल सुबह मैं एडजर्नमेंट मोशन देता हूँ कि जिस तरीके से 73 हजार एकड़ जमीन हमारे किसानों से ली गई, उस पर भी इस सदन में चर्चा हो। ...*(व्यवधान)* मैं एडजर्न मोशन देता हूँ कि एसईजेड में गुडगांव के अंदर रिलायंस को जमीन कौड़ियों के भाव दी गयी, उस पर भी चर्चा की जाए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, जिस तरह सुषमा जी ने जवाब में कहा कि रेड कार्नर नोटिस हमारी सरकार द्वारा ईश्यू कर दिया गया। माननीय जेटली जी के विभाग ने इसे ईश्यू किया। पुर्तगाल से अबू सलेम को रेड कार्नर नोटिस के बाद उसे देश में वापस लाए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब रेड कार्नर नोटिस ईश्यू हो गया है तो आपको ललित मोदी को भी देश में वापस लाकर सजा दिलवानी चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया, ट्विटर की ताकत देखिए कि कोई व्यक्ति इंग्लैंड में बैठ कर ट्विट कर रहा है, और इस देश के पौने आठ सौ सांसद उस पर चर्चा करने के लिए संसद को रोक कर बैठे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस सदन की अध्यक्ष हैं, आप सारी पार्टियों या सभी को बुला कर कोई गाइडलाइन देने का काम करें, जो इस देश के महत्व की बात हो, इस देश को आगे ले जाने की बात हो। हम उनको सदन के पटल पर लाने का काम करें न कि जो ट्विटर फेस बुक पर चर्चायें होती हैं। यह 123 करोड़ लोगों की आबादी का देश है। असली बात इस 12-13 दिनों के वाक्ये में यह आयी है कि

आई.पी.एल. घोटाला हुआ है। महताब जी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने फाइनैस कमेटी की रिपोर्ट भी सदन के सामने रखी है। मैं यह आग्रह करूंगा कि आई.पी.एल. में घोटाला हुआ है, उसमें बहुत-से लोग शामिल हैं, उसके ऊपर भी सदन पूरी सहमति से इन्क्वायरी करवाये, कमेटी बनाये और उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran; you will get only two minutes to speak.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam, for giving me this opportunity. I have also given a notice for a Motion censuring the hon. Minister under Rule 184; unfortunately, it is disallowed. So, my humble submission before the hon. Speaker is this. Kindly grant some bonus time since it is disallowed. That is my first submission.

Madam Speaker, we are having high esteems to the hon. External Affairs Minister and we appreciate the performance which she has made during this time as the External Affairs Minister. But my point is this. In order to uphold the principles of democracy, in order to uphold the traditions and conventions of the biggest democracy in the world, I humbly demand the resignation of the hon. External Affairs Minister at the earliest. Why I am sticking on this is because we are having so many precedents; I am not going to the precedents. Shri Pawan Kumar Bansal, Dr. Shashi Tharoor and so many persons have rendered their resignation. ... (*Interruptions*) Our model, ex-NDA Chairman, hon. L.K. Advani ji is also here. That also can be accepted as a model.

Madam, we have two replies from the hon. External Affairs Minister. One is, written statement issued last week, and today the oral reply. The hon. External Affairs Minister has challenged whether there is any proof or evidence to substantiate any charge against her. I take and accept the challenge. I am saying that your own statement itself is an evidence and proof. ... (*Interruptions*)

I have got the statement from the Bulletin. That is in Page 89 of the Bulletin, and I quote:

“The first sentence of the oral message I sent them is that ‘If the British Government chooses to give travel documents to Lalit Modi, that will not spoil our bilateral relations’.”

Madam, what was the earlier position? What was the earlier foreign policy position in respect of Lalit Modi? If any assistance is given by the UK Government authorities, that will definitely adversely affect the India-UK relations. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, it is more than two minutes.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I am making a statement; I am not making any personal accusation.

HON. SPEAKER: I know but now it is more than two minutes.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I am quoting the statement again.

I am just referring the last sentence of her written statement. ... (*Interruptions*)

“The UK Home Department on Monday claimed: ‘Travel documents issued to IPL boss, Lalit Modi, to travel to Portugal to assist his ailing wife was determined in accordance with the appropriate rules.’”

I do agree. Yes, the UK Government rules does not prevent in giving the travel documents to Lalit Modi. ... (*Interruptions*) Why is it being prevented? It is because the former UPA Government had given a letter that if you assist Mr. Lalit Modi that will definitely affect our relationship. ... (*Interruptions*)

Madam, my question is very simple. ... (*Interruptions*) Suppose, Dawood Ibrahim is in Dubai or in Pakistan. His wife is ailing in Mumbai. ... (*Interruptions*) I would like to ask the hon. Minister through you whether on any humanitarian ground travel documents will be provided to Dawood Ibrahim so that he can travel to India to assist his wife. Is it proper? ... (*Interruptions*)

My second point is from the Constitution. The hon. Minister has lost the authority to hold the office of the External Affairs Minister. ... (*Interruptions*) She has violated the Constitutional obligation of Oath of Office. As per the Article 75, Schedule 3 of the Constitution, I shall discharge my official duties without fear or favour and without ill-will or affection. Here it is being done as a favour. ... (*Interruptions*)

The hon. Minister has accepted in her statement that she has done this on the basis of humanitarian consideration. ... (*Interruptions*) So, the conflict of interest and violation of Oath of Office is there. The hon. Prime Minister is also not taken into confidence in having the policy change. ... (*Interruptions*) With all these doubts, my submission is that the hon. Minister has to uphold the principles of the democratic conventions and traditions. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, it is over.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Sushmaji, why are you going to respond every now and then?

... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट अपनी बात कहना चाहती हूँ क्योंकि प्रेमचंद्रन जी ने यह कहा है कि मैंने ह्युमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करके अपनी कौन्सटीट्यूशन की ओथ वॉयलेट की है। ... (*व्यवधान*) मैं सिर्फ़ इनका एक पत्र यहां प्रेषित करना चाहती हूँ। मैं दो लाइन पढ़कर सुनाती हूँ कि प्रेमचंद्रन जी ने मुझे, एक व्यक्ति जो ओमान में लाइफ़ सैंटेंस काट रहा है... (*व्यवधान*) उसका जुर्म क्या है - प्लांड बरगलरी विद मर्डर - उसके लिए लिखा है कि उसकी एलिंग मदर इंतजार कर रही है, आप ह्युमैनिटेरियन ग्राउंड पर... (*व्यवधान*)

“Respected Shrimati Sushma Swaraj ji, one Mr. Madhvan Pillai is in the Central Jail for the last 18 years. ... (*Interruptions*) His bed ridden old mother is waiting to see her son before the death. ... (*Interruptions*) The applicant and her daughter are also eagerly waiting to see him. ... (*Interruptions*)”

जब मैं इनके व्यक्ति के लिए ह्युमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात करूं तो मैं कर्तव्य परायण हूं और जब मैं किसी कैंसर पीड़ित के लिए मदद करूं तो मैं अपराधी हूं। यह प्रेमचंद्रन जी को मैं सुनाना चाहती हूं। जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।...(व्यवधान)

श्री चिराग पासवान (जमुई) : अध्यक्ष महोदया, आज आदरणीय खड़गे जी द्वारा जो मोशन पेश किया गया है, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आरोप-प्रत्यारोप की जगह नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only Shri Chirag Paswan's speech will go on record.

... *(Interruptions)* *

श्री चिराग पासवान : मैं उसके विरोध में अपनी लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता माननीय राम विलास पासवान जी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सब देखकर दुख होता है, खास तौर पर मेरे जैसे फर्स्ट टाइमर सांसदों के लिए यह बहुत गलत प्रिसिडेंट सैट हो रहा है। मैं जिस सोच के साथ इस सदन में आया था, हकीकत यह है कि यहां आकर मुझे जो देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा दुख मुझे संसद में आने के बाद कभी नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी और बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है, हमारे संस्कारों में दिया गया है कि बातचीत बड़ी से बड़ी समस्या का हल होता है। आज जिस तरह से बातचीत को बहस में बदला जा रहा है ...(व्यवधान), आज दो-तीन मुद्दे को पूरे देश में इतना हावी किया जा रहा है ...(व्यवधान), यहां मौजूद हरेक सांसद किसी न किसी जिले का प्रतिनिधित्व करता है ...(व्यवधान) हमारे पास जिले की अपनी समस्या है ...(व्यवधान), मेरे लोक सभा क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं ...(व्यवधान) मेरे प्रदेश की समस्याएं हैं, जहां कुछ दिन पहले 150 दलित महिलाओं के साथ बर्बरता से व्यवहार किया गया ...(व्यवधान) इस बारे में हम संसद में अपनी बात रखना चाहते थे ...(व्यवधान) लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया ...(व्यवधान) हमारे जनप्रतिनिधियों को वहां मारा जा रहा है ...(व्यवधान) वहीं दो-चार मुद्दे को हावी किया जा रहा है ...(व्यवधान) महज 40 लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि शायद देश इन मुद्दों के बिना नहीं चलेगा ...(व्यवधान) अगर इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, ...(व्यवधान)। सुषमा जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि हमने हमेशा उनका समर्थन किया है ...(व्यवधान) मैंने युवा राजनीतिज्ञ होने के नाते यू-ट्यूब पर सुषमा जी की न जाने कितने भाषण सुने हैं और उनसे प्रोत्साहन लिया है ...(व्यवधान) उनसे मैंने बोलना सीखा है ...(व्यवधान) आज जब सुषमा जी द्वारा अपने बारे में अपना पक्ष रखना पड़ रहा है ...(व्यवधान)

* Not recorded.

17.26 hrs

At this stage, Dr. A. Sampath and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

श्री चिराग पासवान: तो मेरे जैसे फौलोअर को जिन्होंने दलगत राजनीति से हटकर नेताओं को अपना आदर्श माना ... (व्यवधान) जिसमें सुषमा जी मेरी बहुत बड़ी आदर्श हैं ... (व्यवधान) आज उनको अपना पक्ष रखते हुए सुनना पड़ रहा है तो मुझे दुख होता है ... (व्यवधान) सुषमा जी के बारे में कोई भी व्यक्ति इस सदन में कोई भी बात बोले ... (व्यवधान) किंतु ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख कर बोल दे ... (व्यवधान) कि सुषमा जी के 38 साल के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कभी कुछ गलत किया हो, ... (व्यवधान) कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। मैं आग्रह करूंगा कि सदन इस बात को समझे, बहुत सारे मुद्दे हैं, हर सांसद को अपनी बातें रखने की जरूरत है ... (व्यवधान) सुषमा जी के बारे में इतने दिनों से भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है ... (व्यवधान) सुषमा जी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जो देश के हित में न हो। ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam Speaker, I am on a point of order. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is that?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You go to your seat. I will see if any wrong thing is said by Shrimati Sushma ji, I will expunge it.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam Speaker, I want to raise a point of order under Rule 356. ... (*Interruptions*) It says:

“The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either in one’s own arguments or of ”

Madam, also see Rule 357, which says:

“A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise.”

So, as per Rule 357, he should be allowed to give an explanation. It is relevant to refer ... (*Interruptions*) you cannot cow down ... (*Interruptions*) It is an allegation against the Minister. She cannot make counter allegation. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He will explain. You allow him to speak under Rule 357. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं, जैसे मैंने उनको परमिशन नहीं दी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Why are you in the Well?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have not said anything. I am sorry. Let him say.

... (*Interruptions*)

17.29 hrs

At this stage, Dr. A. Sampath and some other hon. Members went back to their seats.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, what do you want to say?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Premachandran, what happened?

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Are you above the Speaker? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: She should not have said otherwise.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not do that. I know.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, thank you very much... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अगर एक-दूसरे को इस प्रकार से रिप्लाय देना शुरू कर देंगे, तो इसका अंत कभी भी नहीं होगा।

... (व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, thank you very much, for giving me this opportunity to make a personal explanation in respect of the letter referred to by Madam Sushmaji.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am not remembering the letter. It may be correct... (*Interruptions*) Yes, I do accept.

HON. SPEAKER: Okay.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am accepting, Madam... (*Interruptions*) Do not be so vigilant.

Madam, yes, I do accept. I have written... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please. It cannot go on like this.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: When she has said something, I will have to allow him.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (*व्यवधान*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam Speaker, it is absolutely correct and I do admit, and I stand by it. Why? It is because I have got a letter or representation. I have written to my Foreign Affairs Minister, not to the UAE Authorities... (*Interruptions*) Examine and do the needful... (*Interruptions*)

Madam, please have the mercy. The hon. Minister of External Affairs, such a senior personality in the Cabinet, making an allegation with me and equating Lalit Modi with me, is not fair... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please. It is not fair. Whatever he is saying, I am hearing.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What are all these things happening?

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: What Madam was referring to. According to my knowledge or to my memory, one Mr. Madhavan Pillai is in jail, his mother is ailing. I am writing a letter to my Minister, my hon. Foreign Minister to see whether something could be done in order to help or in order to meet the situation. What the Minister has to do?... (*Interruptions*) Madam, what the Minister has to do?... (*Interruptions*)

Madam Speaker, the Minister has to examine with the External Affairs Ministry if it is proper to be done. But in the other case, what has been done?... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बात यह है कि ऐसा होता है। इतना कहना ही काफी है।

... (व्यवधान)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Today, the Finance Minister... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, one second, please... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यहां पर हर पत्र का एक्सप्लानेशन देना शुरू कर देंगे।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I appeal to you.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The Minister is equating me with Lalit Modi. But the situation is entirely different. Here, Lalit Modi requested to the Minister; and without informing the Ministry, without informing the Prime Minister, without informing the Finance Minister, without informing the Mission in London, she has directed to give the travel documents... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay.

Now, we have to finish the discussion.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: So, it is entirely a different situation. My point is, she has to withdraw it... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपने अपना एक्सप्लानेशन दे दिया।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is okay.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: No, Sushmaji. I am sorry, it cannot go on like this.

... (*Interruptions*)

* Not recorded.

HON. SPEAKER: No. I am sorry. This is not the way.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. Nobody should cross-talk. This is not the way. The dialogue should not go like this. Every now and then, you also should not interfere.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, there is a solution to this. The hon. Minister will certify and place the letter on the Table of the House.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am conceding it... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: But he is not saying, no.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I can understand it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, you please take your seat. It is okay.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: There is no question of certifying or anything.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बात केवल इतनी ही है। यह सबको समझना चाहिए कि हमारे पास भी एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते कई सारी बातें आती हैं और उनमें से कुछ होती हैं। उनका कहना इतना ही था कि हमें भी समझ कर ही किसी को रिक्वेस्ट करनी है। I think that was the only thing and that is why she had referred it. It is okay.

Now, Shri Rahul Gandhi. It is already 5.30 p.m. You will get only two minutes, not more than that.

... (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Madam Speaker, with your permission I would like to begin by asking Sushma Ji a question.

HON. SPEAKER: Now, there is no question-answer. You can speak and that will go on record and that will be finished. There is no question answer.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सुषमा जी के समय भी हुआ था..

...(व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : Sushma Ji just now raised a very important point. I would like to get an answer from her.... (*Interruptions*) She mentioned that the gentleman had given a request on humanitarian ground. ... (*Interruptions*) I would like to ask her a question.... (*Interruptions*) Did she carry out the request or not?

HON. SPEAKER: No, I am not allowing question-answer. I am sorry.

SHRI RAHUL GANDHI : I would like to ask Sushma Ji if she carried out the request. Can Sushma Ji answer if she carried out the request?

माननीय अध्यक्ष : राहुल जी, आपको बोलना है तो नो क्वेश्चन, आंसर। I am not allowing question-answer. आपको बोलना है तो अपनी बात बोलिए। Let it go on record but there is no question-answer please.

श्री राहुल गांधी : जवाब नहीं दिया।...(व्यवधान) मोदी जी ने देश को एक वादा किया था, कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक एकाउंट में जाएंगे। कहा था, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। अब मैं उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ तो ये मुझे चिल्लाकर चुप करा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, कांग्रेस पार्टी बोलती रहेगी।...(व्यवधान) अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि देश की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया था। देश की जनता को लगा था कि मोदी जी कालेधन में से 15 लाख रुपए हमारे एकाउंट में डालेंगे।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not the issue.

SHRI RAHUL GANDHI : This is the issue.

IPL is the centre of *kala dhan* in India.... (*Interruptions*) Lalit Modi is a symbol of *kala dhan* in India that all he is.... (*Interruptions*) He is nothing other than a symbol of black money in this country. ... (*Interruptions*) Now our Prime Minister said न खाऊंगा, न खाने दूंगा।... (*Interruptions*) Today he does not have the guts to sit in the chair and take our questions.... (*Interruptions*) He is not sitting

here because he does not have the guts to face this House.... (*Interruptions*)
 Anyway, गांधी जी के तीन बंदर थे छोटे-छोटे और छोटी उनकी मूर्तियां हुआ करती थी, एक बंदर कहता था बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कहता था कि बुरा मत सुनो, तीसरा बंदर कहता था कि बुरा मत बोलो।... (व्यवधान) मोदी जी ने इसे मोडिफाई कर दिया है। मोदी जी का कहना है, सच को मत देखो, सच को मत सुनो और सच को मत बोलो।... (व्यवधान) कल सुषमा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम मेरे से गुस्सा क्यों हो? मैंने तुम्हारा क्या किया है और मैंने सुषमा जी से कहा कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ। तब मैंने उनकी आंखों में देखा जैसे मैं अभी देख रहा हूँ और कहा - सुषमा जी मैं सत्य बोल रहा हूँ, तब उन्होंने अपनी आंखें नीचे की।... (व्यवधान) यह सच है।... (व्यवधान) अब सवाल उठता है कि आपने यह क्यों किया? मैं बताता हूँ, आपके परिवार को ललित मोदी जी पैसा देते हैं।... (व्यवधान) आपका परिवार उनके लीगल अफेयर्स को देखता है उसी समय आप मिनिस्ट्री में उनकी मदद करती हैं।... (व्यवधान) बहुत सारे लोग ह्युमेनिटेरियन काम करते हैं। आप लोग भी ह्युमेनिटेरियन काम करते हो, कोई अस्पताल बनाता है, कोई किसी की मदद करता है लेकिन सुषमा जी दुनिया में पहली ह्युमेनिटेरियन हैं जो छुपकर ह्युमेनिटेरियन काम करती हैं। मैडम, हमने सुषमा जी से दो सवाल पूछे हैं। एक सवाल यह था कि कितना पैसा मिला?... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please conclude now.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Rahulji, please complete it now.

... (*Interruptions*)

श्री राहुल गांधी: मैडम, ... (व्यवधान) जो काला धन है, उसका जो चिन्ह है, उसको बचाने के लिए कितना पैसा मिला?... (व्यवधान) और दूसरा सवाल यह है कि आपने यह काम छुपकर क्यों किया?... (व्यवधान) खुले में क्यों नहीं किया? सदन सामने क्यों नहीं किया? प्रधान मंत्री को क्यों नहीं बताया?... (व्यवधान) या बताया या नहीं बताया? ... (व्यवधान)

दूसरी तरफ, वहां आपके एक एम.पी. बैठे हैं, उनको आज छुपाया जा रहा था। एमपीज की लाइन उनके सामने खड़ी थी।... (व्यवधान) उनको छुपाया जा रहा था। ... (व्यवधान) उनको 11-12 करोड़ रुपये सीधे दिये गये।... (व्यवधान) उनकी कंपनी को सीधा 12 करोड़ रुपया दिया गया? किसने दिया? ललित मोदी जी ने दिया।... (व्यवधान) उनकी बिजनैस रिलेशनशिप है। आपके यहां जो जेटली जी बैठे हैं, ... (व्यवधान) उन्होंने कहा, It is a commercial transaction. स्पीकर मैम, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में दो

लोगों को फायदा होता है। ये ...(व्यवधान) हमें यह बहुत अच्छी तरह दिख रहा है कि यहां पर जो एमपीज हैं, उनको क्या फायदा हुआ?... उनकी मदर को क्या फायदा हुआ। (व्यवधान) हमें यह बता दीजिए कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन में ललित मोदी का क्या फायदा हुआ?...(व्यवधान) मोदी जी, देश ने आप पर भरोसा किया था।...(व्यवधान) आपने देश को कहा कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। ...(व्यवधान) काला धन...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, it is over.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Now, it is okay.

Hon. Minister - Shri Jaitley.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Are you completing?

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Jaitleyji, he is completing.

Now, complete it.

... *(Interruptions)*

श्री राहुल गांधी : ये आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं।...(व्यवधान) आपकी रक्षा आपके बोलने से होगी।...(व्यवधान) आप बोलिए। आप बोलने से नहीं डरिए।...(व्यवधान) देश आपकी आवाज सुनना चाहता है। ...(व्यवधान) आप कहते हैं, मन की बात करूंगा।...(व्यवधान) आप देश के मन की बात भी कर लो। देश सुनना चाहता है, पन्द्रह लाख रुपये कहां गये? देश सुनना चाहता है कि ललित मोदी को, ब्लैक मनी के नेटवर्क को क्यों बचाया जा रहा है? ...(व्यवधान) आपके यहां की मंत्री बचा रही हैं। वहां चीफ मिनिस्टर बचा रहे हैं। यहां उनका बेटा बचा रहा है।...(व्यवधान) यह देश हित में नहीं है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, it is okay. Please sit down.

Shri Jaitley may speak now.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Yes, Mr. Jaitley.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Now, the hon. Minister is replying.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप एक घंटा बोल चुके हैं। पहले इनका रिप्लाय आने दीजिए। बीच में नहीं बोलते। रिप्लाय के बाद बोलिएगा।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please take your seat. The Government is replying. Please do not do like this.

... (*Interruptions*)

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे देश को और जितने सांसद इस सदन में बैठे हैं, ...(व्यवधान) सबकी अपेक्षा यह थी कि जो एडजर्नमेंट मोशन खड़गे जी ने पेश किया है, ...(व्यवधान) उसकी बहस में कोई तर्क सामने आएंगे। कोई तथ्य सामने आएंगे कि पूरा देश जान सके कि पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन वॉश आउट हो गया। कोई बहुत बड़े कारण रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस रणनीति को अपनाया।...(व्यवधान) लेकिन खेद इस बात का है कि न खड़गे जी के भाषण में और न ही उनकी पार्टी के दूसरे सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया, वे अपने आपको खोखले नारों से ऊपर नहीं उठा पाए और कोई तर्क आधार नहीं दे पाए।

17.45 hrs.

Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members then left the House.

माननीय अध्यक्ष जी, यह उम्मीद थी कि कोई इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा हो और सदन में कानून न बनने दे। जिन विषयों से देश की आर्थिक प्रगति होनी है, जिन विषयों पर एक राय भी बन चुकी है, फिर भी उनको पारित न होने दे, शायद कोई बहुत बड़ा अपराध होगा जो सरकार की तरफ से किसी ने किया होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और अन्य सदस्य जिन्होंने आरोप लगाए हैं, सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार मानती है और खारिज करती है।

17.47 hrs.

Shri P. Karunakaran and Shri Mohammad Salim then left the House

महोदया, कहा गया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, शायद अनुप्रिया जी ने कहा। यह भी अपने आप में अतिशयोक्ति थी क्योंकि वह भी नज़र नहीं आ रहा है। यह सारा विषय क्या है, क्या हम सिर्फ नारों तक इसे सीमित रखेंगे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि आरोप क्या था और इसका मूल विषय क्या था। यह तब शुरू हुआ जब वर्ष 2009 में आम चुनाव होने वाले थे। जब देश में आम चुनाव थे तब आईपीएल का क्रिकेट टूर्नामेंट देश में नहीं हो पाया क्योंकि जितनी पुलिस थी, जितना सिक्योरिटी एपेरेट्स था, वह चुनाव में व्यस्त था। कुछ सप्ताहों का नोटिस दिया गया और उसे दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया। इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस टूर्नामेंट के बाद इस आधार के ऊपर नोटिस दिए और आरोप था कि वहां टूर्नामेंट कराने के लिए जो पैसा भेजा गया, वह रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर भेजा गया। पैसा बैंकिंग चैनल से गया, बैंकिंग चैनल से आया लेकिन रिजर्व बैंक की परमिशन नहीं थी। ये वर्ष 2009-2010

की घटना है। जिस व्यक्ति का नाम बार-बार लिया जाता है, जो इसके लिए जिम्मेवार थे इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें नोटिस भेजकर कहा कि आप हमारे सामने आकर अपनी इनवेस्टिगेशन करवाइए। वह इनवेस्टिगेशन के लिए नहीं गए। जो इनवेस्टिगेशन में नहीं जाते हैं उन लोगों को तीन प्रकार के नोटिसिस भेजे जाते हैं। पहला नोटिस इंटरपोल के माध्यम से रेड कार्नर अलर्ट भेजा जाता है कि इस व्यक्ति को हम लोग पकड़ना चाहते हैं, इसे अरेस्ट करना चाहते हैं और यह व्यक्ति गायब हो गया इसलिए दुनियाभर में रेड कार्नर अलर्ट पहुंच जाता है। सभी एयरपोर्ट्स पर होता है कि यह व्यक्ति कभी आए तो इसे पकड़ कर हिंदुस्तान ले आइए। यह इंटरपोल के माध्यम से होता है।

दूसरा नोटिस रेड कार्नर नहीं होता है, लेकिन उसे ब्लू कार्नर कहा जाता है। वह भी इंटरपोल के माध्यम से होता है और वह नोटिस होता है कि अगर वह व्यक्ति दुनिया के किसी एयरपोर्ट से आता-जाता दिख जाए तो उसे वेयरएबाउट्स भारत की एजेंसी को बता दिए जाएं। यह भी इंटरपोल के माध्यम से होता है। एक तीसरा नोटिस होता है, जिसे लाइट ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस कहा जाता है। यह केवल देश के भीतर, देश की इंवेस्टिगेटिव एजेंसी डीआरआई इश्यू करती है ताकि देश के भीतर किसी एयरपोर्ट पर यह व्यक्ति नज़र आ जाए, तो उसकी जानकारी हमें पहुंचा दी जाए। उस वक्त मुझे नहीं मालूम कि यूपीए सरकार को क्या सूझी, इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्या सूझी कि व्यक्ति लंदन में छिप गया, इन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस नहीं दिया, ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस नहीं दिया, लेकिन जयपुर और जोधपुर के तमाम एयरपोर्ट्स को लाइट ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस दे दिया। लाइट ब्ल्यू कलर नोटिस के बेस पर वह लुक-आउट नोटिस चलता रहा। उन 15 शो-कॉज़ नोटिसेज़ में, कि हर चेक, जो साऊथ अफ्रीका गया, हर चेक के ऊपर एक नोटिस था। वह व्यक्ति इंवेस्टिगेशन के लिए नहीं आया और जो केस था, वह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट का था। वर्ष 2002 में दो कानून बने। फेरा (एफईआरए) को रिपील करके एक फेमा (एफईएमए) और दूसरा पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग ऐक्ट) कानून बना। दोनों में इतना अंतर है कि पीएमएलए का जो कानून है, वह मनी लांड्रिंग का कानून होता है। मनी लांड्रिंग के कानून में कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है और उससे कोई कमाई करता है, तो उस कमाई को जो इस्तेमाल करता है, उस मनी को जो लौंडर करता है, तो पीएमएलए का केस बनता है। पीएमएलए के लिए आवश्यक है कि एक एंटीसिडेंट ऑफेंस हो, कहीं पर एफआईआर हो, कहीं चार्जशीट हो। So, any profit of crime which is laundered and used leads to PMLA. There must be a crime, there must be an FIR, and secondly, there must be the laundering of the profits of that crime. That is PMLA.

फेमा का जो कानून है, वह उसकी तुलना में सरल कानून है। इसमें है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कानून का उल्लंघन किया है। इस ऐक्ट के तहत आपको नोटिस जाएगा, आप उसका जवाब

दीजिए। जैसे इनकम टैक्स की एसेसमेंट होती है, वैसे एडजुडिकेशन होगी और आप दोषी पाए गये, तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी।

The maximum punishment that can be granted under FEMA is fine and penalty. There is no provision for arrest in FEMA; there is no provision for any Red Corner alert; and there is no provision for any bailable or non-bailable warrant. Under FEMA, you cannot be declared an absconder or a fugitive because you cannot be arrested. In PMLA, you can be arrested, you can be declared an offender, or you can be declared as a fugitive. There can be a warrant against you.

अब आप उस चूहिया की तलाश कर रहे थे ... (व्यवधान) वह चूहिया यह थी कि हमने फेमा के इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस भेजा, वह व्यक्ति नहीं आया, वह लंदन चला गया, हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर कह दिया कि आपको पता हो, तो बता दो कि इसका एड्रेस क्या है। इस बेस पर आपने एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख दिया कि इसका पासपोर्ट रद्द कर दो, आपने ब्रिटेन के चांसलर को कह दिया कि इसको आप पकड़कर हिन्दुस्तान डिपोर्ट कर दो। अब इन्होंने कहा कि आरटीआई में चिट्ठी क्यों नहीं दी, यह बहुत बड़ा राज है। आरटीआई कानून यूपीए ने बनाया था। यूपीए के उस आरटीआई कानून में इन्वेस्टिगेटिव कानून को यह छूट है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन के कोई कागज नहीं दे सकता।

The reason is that if CBI or Enforcement Directorate is compelled to give documents under RTI, every accused will go to the CBI and say, “Please give me the documents that you have against me during the investigation”. Every accused will tell the Enforcement Directorate, “I am being prosecuted under PMLA; let me see what the evidence against me is; then I will tell you my defence.” So, as a rule, the Enforcement Directorate and the CBI do not give these documents because the UPA granted them immunity.

Now the then Finance Minister wrote three letters to the Chancellor of the Exchequer in England. I have no difficulty, in your Chamber, showing those letters to Shri Kharge ji. They are with me here. But we cannot make them public under RTI because we do not want the person sitting in London to get all the documents of investigation because he is not entitled to them. So, he wrote three letters. The first was on 8th of July, 2013, the second was on 21st of August, 2013

and the third was on 14th of March, 2014. The letters were that we have cancelled his passport. Without passport, how is he continuing to stay in England? Now it looked a very legitimate question. The Chancellor replied that if you enter England with a valid passport and thereafter you lose your passport or it is cancelled, this is not a ground under the English law to deport. So, we cannot deport him. And for deportation, there has to be some criminal case. Now the best case you had against him was FEMA under which there cannot be an arrest; there cannot be a bail; there cannot be a warrant; and there can only be some penalty. So, just because somebody has an income-tax case or a FEMA case, you cannot physically pick him up in England and bring him to India. These were all make-believe action. Just as informing domestic airports to tell them about the whereabouts of a man sitting in London, you follow the wrong route so that you are never able to get the man back. So, the British authorities said that the only methodology that you have is that under our Extradition Law you apply for his extradition. If you fulfil those criteria, we will extradite him. After all, they are also a society governed by rule of law. Meanwhile, the passport authorities had cancelled his passport. The Delhi High Court delivered a judgment saying that his passport has been wrongly cancelled. What must have weighed with the Court is that there is only a show cause notice of the Enforcement Directorate. No proceedings had taken place of that show cause notice for a very long period of time. That show cause notice was of 2010 and we are now in 2014 and it is still pending at a show cause notice stage. न तो इसमें वह अरेस्ट हो सकता है, न इसमें नॉन-बेलेबल वारण्ट जारी हो सकते हैं क्योंकि कानून में ही उसका प्रावधान नहीं था। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसका पासपोर्ट वापस कर दिया। उसके पारिवारिक विषय क्या थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सरकार की तरफ से जवाब दे रहा हूँ, इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सुषमा जी ने अपना निजी स्पष्टीकरण दिया है। The correct methodology was that there were a large number of facts against him with regard to which a case was pending against him in Chennai. The subject matter of that case gave rise to a cause of action under PMLA. The

FIR under PMLA was registered in 2012. The case was registered by the Enforcement Directorate. The FIR was of 2012 but the proceedings were registered under PMLA in 2012. But the proceedings were not given any life; they did not take off. It is only now that proceedings under PMLA have been started because *prima facie* some of those violations may make out a case under PMLA. Summons were issued to him in London to come and appear before the Enforcement Directorate in the PMLA case. He has not come. So, the Enforcement Directorate has moved the appropriate Court in Mumbai and got a non-bailable warrant against him. We are at that stage today.

माननीय अध्यक्ष : आप सभी की सहमति हो, इसके बाद सदन का कुछ बिजनेस और भी है, उसे पूरा होने तक हम हाउस का समय एक्सटेंड करते हैं।

श्री एम. वैकेंग्या नायडू : बिजनेस पूरा होने तक एक्सटेंड करें।

माननीय अध्यक्ष : हां, बिजनेस पूरा होने तक एक्सटेंड करते हैं। That is what I have said.

18.00 hrs.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, for the first time he became liable for arrest on a non-bailable warrant on the 5th of August, 2015. Therefore, if you move under FEMA and then say let him be physically picked up and deported to India, it may be a difficult proposition to sustain. The British Government did not agree with that. It is only when he is required for arrest here and he evades that arrest that other proceedings like red corner alert or any extradition proceeding or any legitimate cancellation or impounding of passport can thereafter follow. Unless you take the right steps, you would not move in the right direction.

So, where do we stand today? The allegation against Sushmaji is, on a day when there was no arrest warrant against him, there was no criminal case against him, there were FEMA proceedings pending against him, he made some request, right or wrong and she carefully told the High Commissioner that this is not a question of international relationship, you deal with it under your law. They say this is a big crime that you have committed. Unfortunately we are living in a world

where in the first instance he is declared a fugitive and an absconder by television channels, not by a court of law, or by some Members of the Congress party because it suited their argument.

Now, what is the strategy? The strategy is that factually, till the 26th of May in 2014 you were in power. You had only an old FEMA adjudication proceeding where the principal question is whether transfer of money to South Africa and transfer back - and these are bank transfers - without RBI permission is a violation of FEMA or not. It could be. That is all the proceeding, a proceeding in which he could not be arrested.

Therefore, every step that you took including wanting him to be brought back by physical deportation - the British said this is not permissible in law - you were taking the wrong steps and creating a false cloud as though you were doing something and the present government is favouring him. The truth is to the contrary that you took steps where you could never succeed. The correct steps - that is registration of case under PMLA, activation of that case, summoning him in that case for the first time, getting a non-bailable warrant against him, moving for a red corner alert against him - these are all steps which will be taken now. Otherwise, a make-believe light blue coloured notice given to domestic airports for a man living in London makes no sense. And that is the step they took.

What is the strategy now? The strategy is that if you argue these facts in a calm environment as we are, then probably you have no legs to stand on. You ran a government for ten years. उन दस वर्षों में क्या था, ये केस हमें नहीं डालने पड़े। आपको जब हमने कहा कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन गलत हो रहा है, बे-ईमानी से हो रहा है, इसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, संसद में बहस हुई, सी.एंड ए.जी. की रिपोर्ट आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांटेक्ट रद्द किए, एफ.आई.आर. रजिस्टर हुई। फिर जाकर हमने कहा कि मंत्री को हटाओ। कोयले के कांड में, उस वक्त के प्रधान मंत्री के पास कोयला मंत्रालय था। आज पता चल रहा है कि उनके साथ जितने सहयोगी थे, जो एम.ओ.एस. थे, सब उसमें शामिल थे। उसमें भी 1,87,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आज जब ऑक्शंस हुई हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया। मोदी जी की सरकार ने आते ही कहा कि यह सब ऑक्शंस

से होगा। आप कोई आरोप नहीं लगा पाए। स्पेक्ट्रम में हमने तो कोई एफ.आई.आर. नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई। कोयले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर कैसे ज़रूर चलाएं और आबंटन रद्द किए। आपकी सरकार के जमाने में कहा और जब वह कलंक आपके ऊपर लग गया, अब एक साफ-सुथरी सरकार दिल्ली में काम कर रही है, so, you make a mountain of what is not even a molehill. जहां चुहिया भी नहीं निकली, वहां उसे आप चुहिया कह दीजिए कि एक हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर नोटिस था, एक लंदन में बैठे व्यक्ति का, उसकी क्यों मदद की। राहुल जी ने अभी कहा कि क्या आपने प्रेमचन्द्रन जी की रिक्वेस्ट पर कार्रवाई की या नहीं? आपने तो केवल उस एक व्यक्ति की मदद की? सुषमा जी ने उस रिक्वेस्ट पर भी वही की। उस रिक्वेस्ट पर प्रेमचन्द्रन जी को 31 अक्टूबर, 2014 को जवाब दिया- I have had the matter looked into. Shri Madhavan Pillai and two other Indian nationals have been serving life sentence in an Omani jail since 1997 in the case of planned burglary involving murder of an Omani security guard. The mercy petition of the families of these Indians has been regularly forwarded to the local Government for consideration and reduction of their jail sentence terms. The Indian Mission in Oman has also taken up their cases with the IG of Police, Central Prison in Oman in September, 2014 for consideration of clemency on humanitarian grounds.

The difficulty with Shri Rahul Gandhi is that he is an expert without knowledge. So, without knowing the case, he is presuming that Shrimati Sushmaji only wanted to help one man and not these persons. Exactly the same policy was there. आप बताइए कि उस व्यक्ति को लाने के लिए मई 2014 से पहले क्या हुआ था? Which was the legally sustainable action that your Government took? You can simply use words 'the centre of black money' or 'the symbol of black money' but what steps did your Government take to bring black money lying abroad into India? We have taken some hard steps. Some people who are critics of this Government are criticizing us, saying that these are too harsh steps. But you did nothing. Every step has been taken by us.

You are very fond of saying that there were three monkeys but do not make a monkey out of this country. Without an issue which is an arguable issue, you

hold up Parliament, you waste the whole Session and the real reason is that you ran a failed Government. You ran a corrupt Government. Therefore, when things are beginning to look up in India and there is a new confidence, you somehow want to sabotage the Indian growth story.

In order to sabotage the Indian growth story, their best chance was: let me go back on what I had promised – the Goods and Services Tax. So, what was announced by them in 2006 and introduced in 2011, all the proposals which their Finance Ministers had accepted are not acceptable to them. Now they say, we will dissent once it is cleared by Lok Sabha, once the numbers are against you in the other House; we will not allow a vote because a Constitution amendment requires a vote by using just lung power and disturbing the House.

My entire sympathies are with Sushmaji because she is only a scapegoat, a pretext. The real reason was that they wanted to prevent the legislation, particularly the Constitution amendment on the GST. It is very easy to say that your family members appeared in a case. She has clarified that her daughter appeared with her senior. There were nine other juniors. She was one of that crowd. She has not been paid. She went along with her senior to the Court. Is this the big scandal? There are still many honest people in this country whose children have to work for a living.

The generations of family which has dominated this country's politics have not worked for a living. They have learnt the art of living comfortably without working; some of us have not. Therefore, the Government rejects each of these charges and the question of Sushmaji resigning does not arise. Similarly, I may also clarify that just as this case under Prevention of Money Laundering Act is now pending, they referred to the case of a Member of Parliament and his mother who happens to be the Chief Minister. I am not giving an opinion. I am just stating the fact.

That was not a part of this Motion but a huge amount of time by both the Speakers from the Congress was spent on that. The first offence is that a loan by

cheque was given in one year and it was returned in the next year. So, if I had said that it was a commercial transaction between two people, when a son-in-law of a family got an advance from a real estate company which became a national issue, my predecessor Shri Chidambaram had also said it was a commercial transaction. But in that commercial transaction, there was a lot more than what meets the eye. So, you receive a loan in one year, you give back the loan the next year, and this is a big scandal!

You have a company which owns a palace. So, you start a make-believe argument, 'We are now disputing it. This palace is not owned by you.' Is the Congress Party and their spokesman an appellate authority over a civil court which has decided that the palace belongs to Shri Dushyant Singh? कचहरी ने कह दिया उनका है, उन्होंने कहा कि नहीं हम कचहरी के ऊपर अपीलेंट अथारिटी हैं, हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपका नहीं है तो चार दिन उसी की बहस चला दो। Now, if that palace is converted into a hotel, it is Shri Dushyant Singh's right. If somebody has brought an investment दस रुपये का शेयर 96 हजार रुपये में there is a system of valuation. The value of a company will be taken. If you call another investor to invest in the company, if the promoters call them, ask them to invest in a company, and then whether the investment is overstated, understated or real may be gone into by the authorities. I do not know whether Shri Kharge was repeatedly accusing or complementing me of knowing the law, but I will share some information with him in absentia. There is a very simple logic. Find out the total area of the palace, go and find out the circle rate and you will realise that the valuation of the shares, what it should be. You will get it. I do not want to express a final opinion on it because there is a complaint pending, which will be investigated. But without knowing these facts, to create a cloud and say there is a scandal in it, there are many scandals which have been covered up. All these will be taken up, investigated in a fair and honest manner by the agencies and taken to their logical conclusion, not in the manner in which the

gentleman in London was investigated prior to 26th May, 2014. That is all I have to say about it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not adding anything to the debate but as Parliamentary Affairs Minister, this is my responsibility. It has been painful to me for the last few days. The first is on account of Shrimati Sushma Swaraj, an honest and best performing Minister facing this sort of a totally negative propaganda. I thought, it would come to an end today. But today also, I must share with you Madam Speaker, you were sometimes angry when my people were shouting. I agree with you that they should not be shouting. What was it that the people who insisted on the motion doing when Shrimati Sushma Swaraj was speaking in the House? Is this the way to treat a Minister, who too is a woman Minister against whom you made all sorts of allegations for days together? Do you want to tar her image?

You want everybody to keep quiet when you stand up. We have to keep quiet but when a Minister wants to respond you do not have the courtesy. Shri Kharge is a very senior person with so much experience in life. Should he give such a treatment to Shrimati Sushma Swaraj?

The second point is that I am a Parliamentary Affairs Minister. What a Parliamentary Affairs Minister has to do, today some people are giving me advice. I welcome the advice. I have less knowledge than them. I called a meeting on the 20th. Forty-one political leaders – it has to go on record – of 29 political parties were present. We discussed various issues. Many of our friends are here. At the end of the day, 28 parties said, the House should function and all issues including this so-called ‘Lalit Modi’ issue also should be taken up for discussion. That was the broad consensus. If I am wrong, Shri Bhartruhari Mahtab is here, Shri Jithender Reddy is here, Shri Rajamohan Reddy is here, Dr. Venugopal from the AIADMK is here, and others are here they can correct me. They said, ‘Yes, it should be discussed. It is an important issue.’ What was the response of the Government? I said, ‘The Government is willing to discuss each and every issue.

Secondly, our Leader, the Prime Minister of the country was present and he also assured that all the issues will be discussed. What did the Congress Party in

that meeting say? It is there in the Minutes. Normally, I do not want to quarrel as a Parliamentary Affairs Minister, it does not behove of my stature also. I am supposed to be friendly with all, which I am trying to be but at the same time I cannot be unfriendly with the truth. The point is, the Congress Party went on record saying that the House will not function unless the Ministers resign. 'First resignation then discussion' was the statement made.

After that, we came to you Madam for the hon. Speaker's customary lunch. Broadly, the Government said the same thing that the Government is willing to discuss each and every issue. They raised certain issues. I do not want to comment on that because it was held under the hon. Speaker's Chairmanship.

On 30th the hon. Speaker had called a meeting again. For the sake of record I would like to recall, on 30th July, the Speaker called a meeting requesting Members of Parliament to settle political issues and other issues among themselves but at least for the sake of democracy coming to the well of the House and displaying placards should be avoided. This was the earnest appeal of the Speaker to all. This is what the Speaker has said.

As there was a deadlock and they were creating pandemonium in the House, Madam, on 3rd August, I called a meeting of All Party Leaders. Before that, Arun ji made an attempt to talk to them. Informally they agreed but subsequently they said that they cannot come. So, Arun ji dropped that meeting. Naqvi ji has spoken to all of them. On 3rd, I called a meeting of Leaders of Opposition Parties and I assured them that as per the rules the Government is ready to discuss each and every issue, including this issue, in whatever manner they want. Admitting a discussion in the House is not in the hands of the Parliamentary Affairs Minister but in the hands of the Speaker as per the rules. Speaker also goes by rules and precedents. There also, the Congress categorically stated: 'resignation first, discussion later'. Most of the Parties said that we should discuss the matter and the House may be allowed to function.

On 10th, Mulayam Singh ji, in this House gave a suggestion to the hon. Speaker to call the Leaders and sort out the issue as other Members are not getting an opportunity to discuss the issues. You were kind enough to call many of the Leaders to your Chamber, including me. I also came and we had a discussion. Mulayam Singh ji said लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए, पार्लिमेंट में बहस होनी चाहिए, ऐसा मुलायम सिंह जी ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। सुप्रिया जी यहां बैठी थीं, उन्होंने भी कहा था और अन्य लोगों ने भी कहा। बी.जे.डी. शुरू से ही यही मत की था, वाई.आर.एस. कांग्रेस पार्टी, टी.आर.एस. पार्टी, ए.डी.एम.के और बाकी जो पार्टियाँ हैं, उनका यही मत था कि सदन में बहस होनी चाहिए। That was put on record also. But, Mulayam Singh ji confronted and insisted कुछ रास्ता निकालना चाहिए, मैंने इतने दिन आपका साथ दिया, अभी आप साथ दीजिए और हाऊस चलाओ, जो भी आपको कहना है, कह दीजिए, मंत्री ने क्या पाप किया? उन्होंने पूछा तो कांग्रेस वालों ने कहा कि यह तो सब कुछ मालूम है, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। हाऊस में चर्चा होने दीजिए, मंत्री को जवाब देने दीजिए और बाद में आपको पसंद नहीं आया तो फिर जो करना है, कीजिए, जो आज आज किया है न उन्होंने, वही काम कीजिए।

Madam, what I am trying to say is, this is not to settle scores or score points. Some people are giving advice outside that the Government should have been a little more flexible. In the meeting they said: “Six Ministers of our Government were forced or made to resign. We are asking only for two Ministers”.

With respect to all, there is a small story called Madras Panchayat. Madras is Chennai city. Our friends from the city are all sitting here. One fellow was quarrelling with another fellow saying मुझे पचास हजार रुपये देना, आपने दिया नहीं। फिर झगड़ा बढ़ गया तो भीड़ जमा हो गयी, तब लोगों ने कहा कि झगड़ा क्यों करते हो, आपस में बात करो। उन्होंने कहा कि हम दोनों आपस में बात नहीं करते तो उन्होंने कहा कि एक पेदमंशी, तुलगु में कहते हैं कि पेदमंशी, means elderly man, यहां कहते हैं पंच, पंच को चुनो और वह जो कहेगा, उसके अनुसार आप इसको सॉर्टआउट करो तो फिर पंच को चुना गया। पंच ने पूछा कि क्या हुआ। पहले वाले ने कहा कि सर, इन्होंने मुझसे पचास हजार रुपये लिए और वापस नहीं कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है। उन्होंने कहा कि सर मैं अभी-अभी ट्रेन से उतरा हूँ। ये कौन है, मुझे मालूम भी नहीं है।

और मेरा हेंड बैग देख कर यह मेरे साथ झगड़ा कर रहा है कि मुझे पचास हजार वापस करो। मैंने कभी इनको देखा नहीं, इनका चेहरा भी मुझे मालूम नहीं है। वे जेंटलमैन, जिनको पंच चुना, उन्होंने कहा कि दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट किया। बाकी लोगों ने कहा कि आप जजमेंट दे दो, आर्बिट्रेशन कर दो तो इन्होंने आर्बिट्रेशन दे दिया। उन्होंने एक से कहा कि आप कह रहे हैं कि पचास हजार लिया, दूसरे से कहा कि आपका कहना है कुछ दिया नहीं, ठीक है ऐसा करो कि पच्चीस हजार देकर मामला खत्म करो।

She is a better performing Minister who has spent her entire life in the service of the people. A Chief Minister who is a darling of the masses has won three elections in Madhya Pradesh at a very young age coming from an ordinary background. There is a Chief Minister who is so popular in Rajasthan. Without anything, you want their heads and then you want me to agree. It is because six of your Ministers had to resign and at least two of mine should also resign. We will be doing injustice to democracy also.

Lastly, a lot of journalists were also asking वैकैय्या जी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने कहा कि आप बताइए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि उनको कुछ न कुछ वे-आउट देना चाहिए। हमने उन्हें वे-आउट दिया। आज सुषमा जी ने खड़े होकर कहा कि एडमिट करो। अभी आरोप क्या है? इसलिए मैं खड़ा हो गया, आरोप क्या है, उन्होंने कहा कि यह काम पहले ही दिन कर सकते थे। पहले दिन से आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा पहले चर्चा बाद में, आज पहली बार आपको ज्ञानोदय हो गया, आपने कहा कि बहस और बाद में इस्तीफा। हमने तुरन्त स्वीकार किया। शब्दावली के बारे में भी आपत्ति थी। मैडम, मैं आपके पास आया तो वह भी सॉर्ट-आउट हो गया। सुषमा जी ने कहा है कि कोई भी शब्दावली हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप अध्यक्ष हैं, कुछ रूल्स हैं, नियम हैं और प्रिसिडेंट बनेगा, इसलिए हम सबने मिलकर बात करके उसको शार्ट आउट किया है। हमने उनके कहने से जो थ्री-फोर्थ मेजोरिटी से लोक सभा ने लैंड बिल पास किया, उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा। जो जीएसटी बिल सर्वसम्मति से लोक सभा में पारित हो गया, उनके कहने से, उनके एश्योरेंस पर हमने उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा। हमने रियल एस्टेट बिल, जो मेरा इंपोर्टेंट लेजिस्लेशन है, पहले स्टैंडिंग कमेटी में गया, दोबारा आया, फिर भी उन्होंने कहा कि वैकैय्या जी फर्स्ट राउंड में, ऑन रिकार्ड है, फर्स्ट राउंड में हम इन तीनों कानूनों को पारित करायेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा वे-आउट दिखाना है, रेफर करो कमेटी को, तो हमने कमेटी को रेफर किया। कमेटी में क्या हुआ, आप लोग जानते हैं। बाद में रिपोर्ट आई, अब कह रहे हैं कि ये

नया-नया विषय ला रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि जीएसटी के बारे में बीएसी ने टाइम एलॉट नहीं किया। बीएसी ने चार घंटे एलॉट किया। यह दूसरे सदन का विषय है, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता हूँ।

Finally, the people of this country has given such a mandate to our leader, Shri Narendra Modi and to our Government. I am thankful to the Parties, particularly, BJD, YSR Congress, TRS, and AIADMK. Shiv Sena is our partner and our old friend. Akali Dal is also our partner. TDP is also our partner. अपना दल भी हमारा पार्टनर है, लोक जन शक्ति पार्टी हमारी पार्टनर है और कुशवाहा जी की पार्टी भी हमारी पार्टनर है। कुछ पार्टियों के साथ हमारी प्रदेशों में लड़ाई चल रही है, फिर भी लोकतंत्र के हित में उन लोगों ने सदन चलाने में मदद की है, इसलिए मैं पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई होती रहेगी, let us argue, discuss, debate and decide but allow the Parliament to function. When they were in power, they pulled the country backwards and now they are in Opposition, they are not allowing the country to move forward. The Prime Minister of India wants to take the country forward.

It pains us that the Ruling Party with this much strength cannot say anything. The Minister of Parliamentary Affairs cannot say anything. My Minister has no liberty to open her heart and answer the allegations. You have not allowed her to do so even on the last day. This is where I am really hurt. It is sad. Today, also what treatment was given to Sushmaji. I feel Rahulji should also be allowed to speak and we should hear him. But Khargeji feels that he alone should be heard and others have no right. लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आगे के लिए, जो जनता का मैन्डेट है, mandate is for the NDA to rule the country. You have mandate to sit in opposition. Therefore, you wait for your turn as I told you maybe for 10 years or 15 years or 20 years. You should have patience. Do not make sweeping allegations. Do not misuse the Parliament to make allegations against the Prime Minister. My Prime Minister is the most powerful leader in the world today. I challenge it. He is respected not only in India but in every part of the world. Wherever the Indian Prime Minister is going,

he is respected and hailed. India's prestige is going up. Everywhere in the world India is recognised and respected.

The Opposition everyday is raising fancy slogans against him. They want to take revenge against the people because people have elected Narendra Modi. It is very unfair. I would like to request the Congress Party which says that they have 130 years of experience and 50 years of experience to rule this country, please allow democracy to function.

Madam, I am sorry I had to quote certain things because as Parliamentary Affairs Minister I had to put the records straight.

Thank you very much.

MADAM SPEAKER: Shri Mallikarjuna Kharge has to reply to the debate, but he is not present. So, I will put the Motion to the vote of the House.

The question is:

“That the House do now adjourn.”

The motion was negatived.

18.25 hrs.**PAPERS LAID ON THE TABLE...Contd.**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): श्री उपेन्द्र कुशवाहा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) (एक) एकजोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एकजोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3075/16/15]

(3) (एक) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3076/16/15]

(5) (एक) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3077/16/15]

(7) (एक) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3078/16/15]

(9) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3079/16/15]

(11) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3080/16/15]

(13) (एक) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3081/16/15]

(15) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3082/16/15]

(17) (एक) सर्व शिक्षा अभियान समिति कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सर्व शिक्षा अभियान समिति कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3083/16/15]

- (19) (एक) महिला समाख्या उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) महिला समाख्या उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3084/16/15]

- (21) (एक) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3085/16/15]

- (23) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3086/16/15]

(25) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3087/16/15]

18.26 hrs.**MATTERS UNDER RULE 377 ***

MADAM SPEAKER: Now, hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of House. Members may hand over slips to the Table.

(i) Need to expedite construction of Lalitpur-Singrauli rail project and run a direct train from Singrauli to Delhi and Bhopal

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : मैं सीधी (मध्य प्रदेश) संसदीय क्षेत्र से संबंधित अत्यन्त पुरानी रेल परियोजना ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन की गति, इसकी आवश्यकता व तात्कालिक समाधान के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लोग स्थानीय रेल व्यवस्था के अभाव में अपनी गुजर-बसर काफी कठिनाइयों से कर रहे हैं। यदि इन लोगों को दिल्ली या भोपाल (जो सर्वाधिक आवश्यकता के केन्द्र हैं) की यात्रा करनी होती है तो ट्रेन के नियत समय से 4 घण्टे पहले घर से निकलते हैं और उन्हें ट्रेन पकड़ने नजदीक के रीवा रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, जहाँ तक की दूरी 90 किलोमीटर है। अगर दिल्ली की यात्रा किसी चिकित्सा या कार्यालय कार्य के प्रयोजन से करनी पड़ती है तो 1 दिन पूर्व पहुँचना पड़ता है क्योंकि रीवा से आनन्द विहार के लिए चलने वाली ट्रेन 12 427/12428 अधिकांशतः काफी लेट रहती है। इन सभी नियमित समस्याओं के बाद भी क्षेत्र की जनता सीधी में रेलवे लाइन की आस लगाए हुए है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को द्रुत गति प्रदान करते हुए सिंगरौली छोर से भी कार्य चालू करवाने व सिंगरौली से नियमित दिल्ली व भोपाल के लिए ट्रेन चलवाने की कृपा करें।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to take suitable measures for conservation of cow and cow breeds and frame a strict law for total ban on cow slaughter and export and smuggling of beef

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : भारतीय ऋषि महर्षियों द्वारा गाय को माँ सम्बोधन करके सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया है। गौ-माता केवल मनुष्य का ही नहीं जीव मात्र का रक्षण करती है फिर भी स्वतंत्र भारत में गाय एवं गौवंश का विनाश निरन्तर जारी है। अनेक प्रान्तों में गौरक्षा के कानून बनाये गए लेकिन कानूनों का प्रमाणिकता के साथ पालन न होने के कारण गौवंश की संख्या निरन्तर घट रही है। गाय की तस्करी की जा रही है। इनका मांस निर्यात किया जा रहा है। भारतीय नस्ल की गाय की उपेक्षा की जा रही है। गायों की तस्करी करके हम अपने देश में दूध उत्पादन स्वयं घटा रहे हैं और विदेशों से पाउडर का दूध मँगा रहे हैं। इससे हमारी खेती भी अलाभकारी हो रही है जिसके कारण किसान शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। भारत के समग्र विकास और देश में 'श्वेत क्रान्ति' लाने के लिए भारतीय नस्ल के गौवंश का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गौवंश की बढ़ोत्तरी के लिए गौमांस के निर्यात तथा तस्करी और गौवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून बनाया जाए। साथ ही, केन्द्र व सभी राज्यों में गौ संवर्धन मंत्रालय की स्थापना हो, ताकि गौवंश पर समग्र चिन्तन हो सके।

(iii) Need to frame a transparent policy for providing employment on compassionate ground

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : मैं सरकार का ध्यान गंभीर एवं चिंताजनक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कल्याणकारी सरकार होने के नाते भारत सरकार ने एक अति जनकल्याणकारी नीति बनाई और अपनाई है। वह यह है कि सेवाकाल के दौरान किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी पात्र व्यक्ति को सरकार अनुकम्पा के आधार पर सामान्यता उसी विभाग में नौकरी देती है जिसमें मृत व्यक्ति कार्य कर रहा था। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने नियुक्ति में 5 प्रतिशत का कोटा निश्चित किया है और सभी विभागों द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार किया जाता है।

विशेष रूप से रक्षा विभाग के कर्मियों तथा अर्द्धसैनिक बलों के मामले में इस प्रकार की आवश्यकता सर्वाधिक है, परंतु ऐसी नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। किसी विभाग विशेष द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियों की जाती हैं, इसका कोई लेखा-जोखा अथवा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह भी पता नहीं कि क्या 5 प्रतिशत का कोटा पूरा किया जाता है अथवा नहीं। यदि दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इसके आश्रितों को यह आशा बँध जाती है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी और परिवार का भरण-पोषण करने वाले को परिवार की आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। परन्तु जब आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पर नहीं रखा जाता है तो उस परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। भगवान से और सरकार से उस परिवार का विश्वास कम होने लगता है और कभी-कभी वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं अथवा अपराध की दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने संबंधी नीति को और अधिक सुदृढ़ व कल्याणकारी बनाया जाए और उस परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिले, यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे आश्रित हताशा और निराशा का शिकार न हों और उन्हें आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिले।

(iv) Need to shut down illegal slaughter houses and stop open sale of meat in every nook and corner in Uttar Pradesh posing serious health hazard to the public

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी हाल ही में देश के अन्दर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों तथा खुले मांस की बिक्री पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें तत्काल बन्द करने का आदेश सरकार को दिया है लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कोई प्रभावी कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं की है। उत्तर प्रदेश में चले रहे अवैध बूचड़खाने जहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं, वहीं पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। खुलेआम चौराहे और मौहल्लों में मांस बेचा जा रहा है। खुला मांस तमाम प्रकार की संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ 'स्वाइन फ्लू' और 'बर्ड फ्लू' आदि की दृष्टि से भी खतरनाक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खाने तथा खुलेआम बेचे जा रहे मांस की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बन्द करके पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को बन्द किया जाए।

(v) Need to protect the interests of sugarcane farmers and workers in Deoria District, Uttar Pradesh

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवरिया जनपद (उत्तर प्रदेश) के प्रतापपुर में स्थित बजाज ग्रुप की चीनी मिल को वहाँ के प्रबंधन द्वारा हमेशा के लिए बन्द कर देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इस क्रम में प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को वी.आर.एस. लेने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके चलते मिल कर्मचारियों, गन्ना किसानों और जनप्रतिनिधियों में व्यापक आक्रोश है और पिछले माह से ही धरना-प्रदर्शन का दौर चल रहा है। देवरिया जनपद की पाँच चीनी मिलों में से एक भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के उपक्रम बी.आई.सी. द्वारा संचालित गौरी बाज़ार की चीनी मिल करीब दो दशक से बन्द है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित भटनी, देवरिया तथा बैतालपुर की चीनी मिलें लगभग तीन साल से बंद पड़ी हैं। निजी क्षेत्र की प्रतापपुर चीनी मिल जिले की एकमात्र चालू चीनी मिल थी। ऐसी हालत में इसके बंद हो जाने पर इस जिले का गन्ना उद्योग चौपट हो जाएगा और गन्ना किसान तथा बेरोज़गार किए जाने वाले चीनी मिल मजदूर बदहली के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि गन्ना ही यहाँ के किसानों की एकमात्र नकदी फसल थी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करके गन्ना किसानों तथा मिल मजदूरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें।

(vi) Need to expedite payment of arrears to sugarcane farmers in Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : भारत में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया वर्तमान चालू वर्ष 2014-2015 में लगभग 21 हज़ार करोड़ रूपए है। केवल उत्तर प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में बकाया गन्ना मूल्य 8 हज़ार करोड़ रूपए है जबकि गन्ना किसानों की नगदी फसल है। गन्ने की आय से किसानों के परिवार की जीविका चलती है। किसान के गन्ने की पर्चियों के भुगतान से वे अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस, बेटी का विवाह तथा परिवार के सदस्यों का इलाज कराते हैं। किसानों का गन्ना नकदी फसल होने के बावजूद देश एवं उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा विगत पेराई सत्र का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। सरकार के बार-बार चेतावनी देने के बाद भी किसानों का हज़ारों करोड़ रूपया चीनी मिलों पर वर्ष 2014-15 का बाकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बकाया 8 हज़ार करोड़ रूपए गन्ना मूल्य के सापेक्ष में 50 करोड़ रूपए जारी करने का निर्णय लिया गया है जिसके कारण किसानों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों की परेशानियों को देखते हुए उनके गन्ने की बकाया धनराशि के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

(vii) Need to clear the arrears of sugarcane farmers by sugar mills in Gonda Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री कीर्ति वर्धन सिंह (गोंडा) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोण्डा के करीब 2 लाख काश्तकारों का दर्द एवं उनकी परेशानी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देवीपाटन मंडल की 10 चीनी मिलें किसानों के लगभग चार अरब रूपए दबाए बैठी है। भुगतान न होने से किसानों को धान की खेती हेतु खाद खरीदने में परेशानी हो रही है। उन्हें अपना पैसा समय से नहीं मिल पा रहा है। 22 जुलाई, 2015 तक सरकारी आंकड़ों तथा कुछ समाचार-पत्रों के आंकड़ों के अनुसार जिन चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है, उनका विवरण निम्नवत् है- मनकापुर चीनी मिल पर 32.90 करोड़ रूपए, चिलवरिया पर 73.33 करोड़ रूपए, तुलसीपुर पर 34.32 करोड़ रूपए, बलरामपुर पर 47.93 करोड़ रूपए एवं ईटईमैदा पर 74.42 करोड़ रूपए। इन चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य भुगतान में न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा बल्कि अधिकारियों के निर्देशों का भी पालन नहीं किया। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के 15 जुलाई, 2015 तक 75 प्रतिशत भुगतान किए जाने के आदेश की समय-सीमा को भी ध्यान में नहीं रखा। भुगतान के नियम के अनुसार 14 दिनों के भीतर भुगतान न हो तो मिलों को भुगतान पर ब्याज देना चाहिए। किन्तु, ऐसा होता नहीं है। पिछले वर्ष इन 10 चीनी मिलों पर 33.69 करोड़ रूपए का ब्याज निकला था जिसका भुगतान किसानों को नहीं किया गया था।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों की बकाया राशि का तुरन्त भुगतान करवाने के आदेश देने का कष्ट करें।

(viii) Need to provide fluoride free water to Kudalri Taluka of Bellary Parliamentary Constituency, Karnataka

SHRI B. SRIRAMULU (BELLARY): To provide Fluoride water to the 217 villages of Bellary District, Central Government approved Rs. 260 crores in 2012 under the National Drinking Water Mission. In December, 2014, this work was allotted. It was expected to be started by March 2015 but still there has been no progress in this regard.

Natural contamination of groundwater by Fluoride causes irreparable damage to the human health. High oral intake of Fluoride results in physiological disorders, skeletal and dental fluorosis, thyroxine changes and kidney damage in humans. Fluoride contamination in water upto 1PPM is bearable but in Kudalgi Taluka of Bellary district, 30 odd villages is having more than 3.5 PPM and 160 villages is having more than 2PPM Fluoride contamination in water due to which many of the people can be seen with physical disorder in this taluka.

Therefore, I urge the Hon'ble Minister for Drinking Water and Sanitation to look into the matter and expedite the work to facilitate the supply of Fluoride free water to the people of Kudalgi Taluka of my district.

(ix) Need to allow SC/ST Welfare Associations in Government departments to hold meetings with the management for presenting their grievances

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): All Government departments have SC/ST welfare Associations. The purpose of these welfare associations is to air the grievances of SC/ST employees, but very often they are denied access to authorities. Necessary facilities like office accommodation and related paraphernalia are also denied to SC/ST Welfare Associations. At many places, the authorities are pressurized by general category unions not to recognize SC/ST unions. Even if the SC/ST associations are not provided the facilities and power at par with general unions, their grievances should be entertained and permission to hold meetings by them should be granted. This is nothing but prejudice towards SC/ST associations and there is no harm in authorities granting them time for resolving their grievances. After all, strength of SC/ST employees is around 25% of the total workforce and neglecting their welfare associations means either disappointing them or neutralizing their opinion which has an overall bearing on the functioning of the Government. I request that SC/ST welfare associations be allowed to hold meetings with management and present their grievances to them.

(x) Need to construct a permanent school building for Kendriya Vidyalaya Gopeshwar, Chamoli District, Uttarakhand

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल) : मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के सीमान्त जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में एक केन्द्रीय विद्यालय वर्ष 2004 में अथक प्रयासों के बाद खुला था। आज 11 वर्षों बाद भी उक्त विद्यालय का स्थायी भवन नहीं है। उक्त विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के उपरान्त भी इस विद्यालय का भवन न होना खेद का विषय है। पूर्व में यह विद्यालय राज्य सरकार के खाली पड़े भवनों में चलता था। कुछ वर्ष उपरान्त इस विद्यालय को इन भवनों से भी स्थानान्तरित कर मुख्य शहर से दूर स्वास्थ्य विभाग के खाली पड़े भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया। अब चूँकि स्वास्थ्य विभाग को इस भवन की आवश्यकता है, जिस कारण एक बार पुनः इस विद्यालय को कहीं अन्यत्र दूर भेजा जा रहा है। पहाड़ों पर सीमित संसाधन होने के साथ ही यह एक सैन्य बाहुल्य क्षेत्र भी है। गोपेश्वर में केन्द्रीय विद्यालय खुलने के बाद से ही कई परिवार अपने घर-गाँव छोड़कर यहाँ सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ही रहते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भवनों के अभाव में विद्यालय का बार-बार स्थानान्तरित होना इन विद्यार्थियों के पठन-पाठन को प्रभावित करता है, इसलिए इस विद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण शीघ्र किया जाए ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो।

(xi) Need to provide financial assistance to farmers distressed due to loss of crops caused by excess rains and hailstroms in Sant Kabir Nagar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : देश के कई हिस्सों में ओला एवं अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई थी। पुनः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से कुछ जगहों पर फिर से भारी तबाही हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश एवं बिहार के 19 संभाग सूखे के चपेट में हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र 30 प्रतिशत बारिश हुई। कुल बारिश का आंकड़ा तो संतोषजनक है लेकिन यह इतनी असमानता के रूप में है कि देश को बाढ़ एवं सूखा दोनों का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार उदारतापूर्वक प्रदेश सरकार के माध्यम से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश एवं बिहार में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर पीड़ित किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी, किन्तु यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही तकनीकी आधार पर कुछ तहसीलों का चयन किया गया है। उन्हीं तहसीलों में कर्मचारियों द्वारा मनमाने तरीके से सहायता राशि का वितरण किया गया। उदाहरणस्वरूप मैं कहना चाहूंगा कि देश में सन्त कबीर नगर लोक सभा अंतर्गत तीन जिलों में ओला एवं अतिवृष्टि से हानि हुई थी किन्तु तकनीकी आधार पर आपदा क्षेत्र में घोषित नहीं होने के कारण मेंहदावल, खलीलाबाद तथा खजनी तहसीलों के किसानों को कोई सहायता राशि नहीं मिल पायी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आपदा में सहायता राशि उपलब्ध कराने में किसी तकनीक को आधार बनाकर पीड़ित किसानों के साथ अन्याय न किया जाए।

(xii) Need to provide adequate financial assistance to all the farmers distressed due to loss of crops caused by excess rains and hailstroms in Akbarpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री देवन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : विगत माह पूर्व में हुई बेमौसम बरसात, भयंकर ओलावृष्टि एवं तूफानी हवाओं से पूरे क्षेत्र में तिलहनी एवं दलहनी फसलों का शत-प्रतिशत एवं गेहूँ का सत्तर प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक आपदा राहत धनराशि का आवंटन पूर्ण नहीं हो पाया है जिसके कारण अधिकतर किसानों को अभी तक मदद नहीं मिल पायी है। इस प्राकृतिक आपदा से किसान की कमर टूट गयी है तथा किसान असहाय हो गया है। यदि तत्काल इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हुई तो इनके सामने भूख से मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अभी तक 71 करोड़ रूपए में से मात्र 49 करोड़ रूपए ही आवंटित किए गए हैं जबकि अब तक पूर्ण धनराशि का आवंटन सुनिश्चित होना चाहिए था। यही स्थिति प्रदेश के अन्य जनपदों की है तथा धन के आवंटन में विभागीय अधिकारियों द्वारा काफी गड़बड़ियों की जा रही हैं। किसानों की भूमि का जो हिस्सा है, उसके अनुसार चेकों का वितरण नहीं हो पा रहा है। उदाहरणार्थ, सरसौल ब्लॉक, कानपुर नगर में एक ही परिवार के बराबर के हिस्सेदार को अलग-अलग राशि के चेक दिये जा रहे हैं। अभी भी किसानों की जो सदमे से मौत हो रही है, उसे प्रशासन द्वारा स्वाभाविक मौत बताकर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। किसानों के साथ अभी भी न्याय नहीं हो रहा है। असिंचित फसलों लाही, अरहर एवं चना आदि पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह फसलें बर्बाद नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा मुआवजा राशि डेढ़ गुना बढ़ाये जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पुराने रेट 9000 हज़ार रूपए सिंचित एवं 4500 रूपए असिंचित के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है जो किसानों के साथ अन्याय है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर के अंतर्गत कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपद के किसानों को आपदा धनराशि का आवंटन जल्द से जल्द कराये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। साथ ही, इन परिस्थितियों में किसानों के सभी बकाया ऋण एवं सिंचाई तथा विद्युत के बकाया बिल तत्काल माफ किये जाएं तथा अन्य देयों की वसूली स्थगित की जाए। आने वाले समय में खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए किसानों की आर्थिक तंगी को देखते हुए खाद एवं बीज की समय पर निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

(xiii) Need to take steps to protect the ancient monuments of Sivasagar district of Assam and develop it as a tourist destination

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): Sivasagar is a historical city of Assam and erstwhile the capital of the mighty Ahoms, who ruled Assam for more than six hundred years before the advent of the British. The Ahom kings took special care to build different temples, dedicated to various deities and dug big tanks which till today stand out as memorials to their glory in the district.

In North Eastern Region, ancient monuments are available only in Sivasagar.

The Treaty of Yandaboo in 1826 with Britishers brought the about six hundred year Ahom period to an end. The Sivasagar district was created in 1839.

I request the Government to take steps for protecting the ancient monuments of Sivasagar District and developing the district into a tourist destination.

(xiv) Need to regularize the services of non-teaching non-muster roll employees of National Institute of Technology, Tiruchirappalli

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI):, The National Institute of Technology (NIT), Tiruchirappalli, a premier institute of the country is in my Parliamentary Constituency. Founded in 1964, earlier, it was known as Regional Engineering College (REC) Tiruchirappalli.

Due to the change in status from REC to NIT, the administrative control was transferred, leaving the non-teaching Non-Muster Roll employees in the lurch. More than 100 such NMR employees were employed in the erstwhile REC, who could have been absorbed in REC, after five years of experience. But still now, they are working on temporary basis, earning daily wages, even though they have educational qualifications. They are presently living in very poor conditions and with great mental agony, since they have not been so far absorbed in NIT, Trichy.

When I raised this matter earlier, the Union Minister of HRD stated that 50% of the vacancies will be filled by the NMRs serving in the Institute by issuing an internal order and that the rest could be adjusted in the balance 50% vacancies. Further, it was assured that there will be an in-house training to NMRs for six months, if they fall short of minimum educational standards.

Presently, there are 203 vacancies in which these 101 NMRs could be absorbed by issuing internal orders. Hence, I request the Hon. Minister of HRD to kindly consider this genuine demand and regularize the non-teaching NMRs in the same institute.

(xv) Regarding speedy completion of Outer Ring Road in Madurai city in Tamil Nadu

SHRI R. GOPALAKRISHNAN (MADURAI): I would like to raise once again the matter regarding completing out ring of Madurai.

Madurai city is the third largest city in Tamil Nadu. The popular Meenakshi Amman Temple draws lakhs of people daily from all over the world. Being centrally located between the southern and northern districts of Tamil Nadu, Madurai deserves to have better infrastructure facilities and construction of the Outer Ring Road around Madurai city is one of such infrastructure.

On behalf of the people of Madurai, I would like to convey our gratitude laying foundation stone for four-laning of Madurai to Ramanathapuram highway recently. National Highways Authority of India (NHAI) is nodal organization to execute the construction of Outer Ring Road. Understanding the growth potential and the need of Madurai city, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has already allocated Rs. 200 crore towards four-laning of the existing half ring road there.

Therefore, I urge upon the Union Government to complete all the formalities and procedures for speedy completion of Outer Ring Road of Madurai in public interest.

(xvi) Need to expedite the procurement of Genexpert TB test machines

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Tuberculosis is one of India's greatest public health challenges. India has the highest burden of TB in the world and accounts for ¼th of its global incidence. Every year, 2.2 million persons develop the disease, out of which about 8,00,000 are infectious and nearly 3,00,000 lose their lives due to TB.

The most widely used method to detect TB is the 125 year old sputum smear microscopy test. This method has low sensitivity and is incapable of determining drug-resistance. Further, the conventional diagnosis of drug-resistant TB is a slow and cumbersome process. During this time, patients may be inappropriately treated, drug-resistant strains may continue to spread and resistance may have become amplified.

To counter the problem of delay in detection and diagnosis, the Government's Central TB division announced a roll out of 300 rapid GeneXpert TB test machines. After a nationwide survey, it was ascertained that the test can detect five times more cases of drug resistant tuberculosis. Thus, the machine has the capability to bolster the Government's war on drug resistant tuberculosis.

However, there has been delay in the procurement of the GeneXpert TB test machines. States are also facing problems of storage and finances to keep the machines running. There have been reports of out of stock GeneXpert cartridges impeding the functioning of the machines. Therefore, there is a need to develop a comprehensive plan for the deployment of the machines across the country supplementary with adequate financial and operational assistance.

(xvii) Need to review the shifting of Air India Office from Mumbai to Delhi

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : वर्ष 2007 में एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन का विलय सिर्फ कागजों पर हुआ लेकिन इतने सालों बाद भी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। मुम्बई स्थित एयर इण्डिया का कार्यालय दिल्ली के इण्डियन एयर लाइन्स की कमज़ोर एवं जर्जर हो चुकी इमारत में शिफ्ट किया गया है। अतः विलय समझौते के अनुसार एयर इण्डिया का कार्यालय मुम्बई में ही रहने दिया जाए। एयर इण्डिया में भ्रष्ट अधिकारियों की जांच न करते हुए उनकी पुनर्नियुक्ति करना अनुचित है। पचेजिंग टेण्डरिंग में गड़बड़ियाँ तथा पदोन्नति नीतियों में धाँधली कीट उच्च स्तरीय समिति का गठन कर जाँच करानी चाहिए।

(xviii) Need to revise the Coal Mines Pension Scheme, 1988 for the welfare of coal mine workers

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Telangana is one of the coalmine rich States of India. The Coal Mines Pension Scheme - 1998 was introduced for the welfare of coal mine workers and their dependents and they drew wages on the basis of 5th National Coal Mines Wage Agreement. This pension is the only source of income for their survival. However, the Government has not reviewed and revised the same till date.

As per the Coal Mines Pension Scheme - 1998, the corpus of CMPS-1998 is to be evaluated every three years and upon evaluation, the benefits are to be expanded to pensioners. But, no evaluation has taken place till now, whereas, the wages of coalmine workers have been revised four times during the last 17 years of time. The coal mine pensioners are requesting the concerned authorities to revised CMPS 1998, but no action has been taken.

I, therefore, urge upon the Government to resolve their long pending issues, as follows :- (i) Revise CMPS-1998 in every 5 years as it is being done in PSUs, (ii) Fix a minimum pension of Rs. 6,500, (iii) Evaluate CMPS 1998 corpus for the last 14 years and pay arrears along with interest, (iv) Evaluate this corpus every year instead of once in three years, (v) Pay dearness allowance every 3 months to CMPS - 1998 pensioners. (vi) Employer contributory amount be equivalent to 2% of wages and one increment as in the case of regular employee, (vii) Provide pension commutation facility, (viii) Consider the entire service from 1971 to 1989 for the purpose of pension, (ix) the Saving Scheme from pension be continued, (x) Pay pension to the disabled irrespective of the period of service rendered, (xi) Last drawn pay should be criterion for the purpose of pension, (xii) All the medical facilities that were available while in service, should continue after retirement and (xiii) Grant funeral expenses of Rs. 10,000.

(xix) Regarding problems faced by Cardamom growers in Kerala

ADV. JOICE GEORGE (IDDUKI): The small Indian cardamom farmers are facing acute crisis due to the fall in market price. Though the farmers are struggling for their survival, the Spice Board, which was created by abolishing the Cardamom Board, is responsible for development and marketing of the cardamom is acting as a mere spectator. Though more than 90% of the small cardamom is being produced from Kerala, the Spice Board has taken steps to shift the office of the Director Marketing from Kochi to Selam and the Assistant Director Office at Bодynaikannur to Bangaluru. This will affect the market expansion of small cardamom and consequently result in fall of cardamom price. At present the small cardamom fetches only Rs. 600 per kg against the market price of rs. 1800 per kg during the previous years. Since the production cost of cardamom is more than Rs. 750 per kg, it is impossible for small and medium growers to survive. While introducing the GST, the cardamom should be treated as an agricultural commodity so as to get the protection. Therefore, I urge upon the Government to intervene in the matter by taking steps to restore the responsibility of marketing of the cardamom to the Kochi office of the Spice Board and also announce MSP 50 percent above the cost of production and thereby save the interests and lives of the poor farmers.

18.27 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Sustainable development goals – Contd..

HON. SPEAKER: The House will now take up discussion under Rule 193 – Sustainable Development Goals.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। चौथी बार में भी मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और आज पाँचवाँ दिन है।

माननीय अध्यक्ष : आज भी लगता है कि अपनी बात पूरी नहीं कर पाएँगे। आज थोड़ा सा बोल दीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदया, मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि इतने गंभीर मुद्दे पर जहाँ देश को चर्चा करनी चाहिए थी, मैंने अपनी बात कही थी। कुछ गलतियाँ जो हुई हैं विरासत में हमें मिली हैं, उनको सुधारना और आगे के बारे में वह सावधानी रखना कि हम अपने संसाधनों को बचा सकें, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर इस चर्चा को गंभीरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सदन में वे तमाम लोग, सभी पार्टी के लोग, अपनी बात को यहाँ ज़िम्मेदारी के साथ रखें, इस दुराग्रह को छोड़कर कि जो गलतियाँ की हैं, वह किसी व्यक्ति ने नहीं की हैं, बल्कि देश के संसाधनों के लिए ज़रूरी है कि हम उन बातों को आगे बढ़ाएँ। मैं चाहता हूँ कि इस चर्चा को शांत चित्त से लंबा चलना चाहिए और दुराग्रह के बगैर चलना चाहिए।

HON. SPEAKER: We will take it up next time.

18.28 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, August 13, 2015/ Shravana 22, 1937 (Saka).*
